जून, 2014

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
अनूप कुमार वार्ष्णेय

संपादक
डा. एम. सी. पांडेय

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां अभियोजन साक्ष्य निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति का नहीं है तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभीयोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त द्वारा हत्या का अपराध किया गया वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सरवन सिंह** 856

संसद् के अधिनियम

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (11) – (22)

पृष्ठ संख्या 745 – 896 **(2014) 1 दा. नि. प.**

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जून, 2014 (पृष्ठ संख्या 745 – 896)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जून, 2014

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
आनन्द पासी **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य	796
उत्तम कुमार **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	844
देवराज गोयल **बनाम** उत्तराखंड राज्य	806
राजू **बनाम** केरल राज्य	819
लक्ष्मण राय **बनाम** असम राज्य	835
संजय **उर्फ** गफूदिया **बनाम** राजस्थान राज्य	852
हरेन्द्र **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	745
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार	891
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सरवन सिंह	856
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** सुरेश कुमार	864

संसद् के अधिनियम

भविष्य निधि अधिनियम, 1925 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (11) – (22)

संपादक-मंडल

श्री प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्रीमती शारदा जैन, संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. विजय नारायण मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

प्रो. डा. वैभव गोयल,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन
अकादमी, मसूरी (उत्तराखण्ड)

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ
विश्वविद्यालय

डा. ऋषि पाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव, राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

उप-संपादक : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 12

वार्षिक : ₹ 135

© 2014 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	कीमत (₹)
1.	भारत का विधिक इतिहास	श्री सुरेन्द्र मधुकर	410	30.00
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि	डा. एन. पी. परांजपे	371	40.00
3.	वाणिज्य विधि	डा. आर. एल. भट्ट	630	108.00
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण)	श्री शर्मन लाल अग्रवाल	357	40.00
5.	अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. सी. खरे	273	115.00
6.	मानव अधिकार	डा. शिवदत्त शर्मा	340	120.00
7.	दण्ड प्रक्रिया संहिता	न्या. महावीर सिंह	840	200.00

पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

	पुस्तक का नाम	लेखक	पृष्ठ सं.	मूल दर (₹)	संशोधित दर (₹)
1.	संविदा विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रामगोपाल चतुर्वेदी	552	275.00	137.00
2.	श्रम विधि (तृतीय संस्करण)	श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा	658	452.00	226.00
3.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण)	डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया	969	293.00	146.00
4.	आधुनिक पारिवारिक विधि	श्री राम शरण माथुर	767	429.00	214.00
5.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय)	संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे	209	225.00	112.00
6.	हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण)	डा. रवीन्द्र नाथ	617	425.00	212.00
7.	भारतीय दंड संहिता	डा. रवीन्द्र नाथ	696	741.00	370.00
8.	भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण)	श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ	272	165.00	82.00
9.	प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण)	डा. कैलाश चन्द्र जोशी	635	200.00	100.00
10.	विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण)	डा. एस. के. कपूर	414	311.00	155.00
11.	विधि शास्त्र	डा. शिवदत्त शर्मा	501	580.00	377.00

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9)

– धारा 59 – पैरोल – यदि दंडादेश भुगत रहे कैदी (याची) का आचरण संतोषजनक है और याची ने दस वर्ष और एक मास का कारावास भोग लिया है तो याची को न्याय हितों में अपने विवाह के प्रयोजन के लिए पैरोल की अवधि तीस दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

संजय उर्फ **गफूदिया** बनाम **राजस्थान राज्य** 852

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 164 – संस्वीकृति कथन – जहां मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को कथन करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता तब अपीलार्थी-अभियुक्त का संस्वीकृति कथन विश्वसनीय नहीं होगा ।

देवराज गोयल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 806

– धारा 293 और 313 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 45] – डीएनए रिपोर्ट की ग्राह्यता – डीएनए रिपोर्ट धारा 293 के अधीन तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक यह साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप साबित नहीं की जाती ।

आनन्द पासी बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** 796

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 – हत्या – मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और एकमात्र साक्षी के इस साक्ष्य से यह साबित होता है कि घोर और अचानक प्रकोपन का कोई साक्ष्य नहीं है और अपराध अचानक लड़ाई या अचानक झगड़ा जनित कार्य नहीं है तथा अभियुक्त ने मृतक पर कटार से प्रहार कर उसकी

पृष्ठ संख्या

हत्या कारित की थी, अत:, अपराध धारा 300 के किसी अपवाद के अधीन न आने के कारण अभियुक्त धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने का पात्र है ।

लक्ष्मण राय बनाम **असम राज्य** 835

– धारा 300 और 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3 और 27] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त और मृतका जिसकी आयु 65 वर्ष थी, को अंतिम बार एक साथ देखा गया किन्तु अभियुक्त के साथ मृतका को अंतिम बार देखने और शव मिलने के बीच दो दिन का अन्तर था तथा बलात्संग साबित करने की कोई सामग्री नहीं है और न ही किसी साक्ष्य या सामग्री से यह साबित होता है कि मृतका की मृत्यु कारित की गई, अत: निश्चायक प्रकृति के पारिस्थितिक साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

उत्तम कुमार बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 844

– धारा 302 – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां अभियोजन साक्ष्य निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति का नहीं है तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त द्वारा हत्या का अपराध किया गया वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सरवन सिंह** 856

– धारा 302 – हत्या – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य, हत्या के हेतुक, अभिकथित अपराध कारतूस की अभियुक्त से गैर-बरामदगी के कारण युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित न होने पर कि हत्या का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था, अतः अभियुक्त के विरुद्ध निश्चायक

पृष्ठ संख्या

सबूत न होने के कारण भी वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **सुरेश कुमार** 864

– धारा 302 और धारा 34 – हत्या – सामान्य आशय – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, हेतुक और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संदेह के परे सिद्ध होता है कि अभियुक्तों ने मृतका को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसकी हत्या कारित की, वहां अभियुक्त व्यक्तियों को सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

हरेन्द्र बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 745

– धारा 302 और धारा 34 – हत्या – अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी का होना – जहां इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो कि मृतकों के अवैध (नाजायज) संबंधों के कारण अभियुक्तों की ग्राम और समाज में बदनाम हो रही थी, वहां मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उनकी हत्या किए जाने का मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता ।

हरेन्द्र बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 745

– धारा 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872, (1872 का 1) – धारा 3] – बलात्संग – अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य – जहां अप्राप्तवय पीड़िता के परिसाक्ष्य की संपुष्टि उसकी माता और चिकित्सक के साक्ष्य से होती है कि अभियोक्त्री के पिता और उसके भतीजे द्वारा मृत्यु की धमकी देकर पिछले पांच महीने से बलात्संग किए जाने के फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई, वहां अभियुक्त बलात्संग के दोषी ठहराए जाने के दायी हैं ।

राजू बनाम **केरल राज्य** 819

पृष्ठ संख्या

– धारा 379 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) – धारा 41 और 42 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872] – वन की लकड़ी की चोरी – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य तथा अभिलेख के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता हो कि वन की लकड़ी की चोरी का अपराध अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया है, वहां अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **गरीबू** उर्फ **राजीव कुमार** 891

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – प्रत्यक्षदर्शी का एकमात्र परिसाक्ष्य – यदि एकल साक्षी का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक हो तो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

लक्ष्मण राय बनाम **असम राज्य** 835

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 42 – तलाशी और अभिग्रहण – यदि अपराध के संबंध में प्राप्त की गई सूचना को लिखा नहीं जाता और अधिनियम की धारा 42 का अननुपालन किया गया है तो अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

देवराज गोयल बनाम **उत्तराखंड राज्य** 806

———

हरेन्द्र*

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 30 जुलाई, 2013

न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति बच्चू लाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 34 – हत्या – सामान्य आशय – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, हेतुक और चिकित्सा साक्ष्य के आधार पर संदेह के परे सिद्ध होता है कि अभियुक्तों ने मृतका को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उसकी हत्या कारित की, वहां अभियुक्त व्यक्तियों को सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित और तर्कसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और धारा 34 – हत्या – अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी का होना – जहां इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो कि मृतकों के अवैध (नाजायज) संबंधों के कारण अभियुक्तों की ग्राम और समाज में बदनामी हो रही थी, वहां मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उनकी हत्या किए जाने का मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता ।

अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मुकदमा वादी विजयपाल द्वारा तारीख 28 दिसंबर, 2007 को समय 6.30 बजे सुबह लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली, जिला बागपत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई कि वह ग्राम बली, थाना कोतवाली, जिला बागपत का मूल निवासी है, तारीख 28 दिसंबर, 2007 को रात करीब 3.00 बजे उसके घर के पास वाली हरिजन बस्ती की तरफ से उसके लड़के सुनील की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी, वह और उसका भतीजा वेद प्रकाश पुत्र नेपाल, हरेन्द्र कुमार पुत्र धनपाल और संजीव कुमार पुत्र गजराज सिंह

* मूल निर्णय हिन्दी में है ।

हरिजनों की बस्ती की तरफ भागे तो देखा श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के घर, जो काफी दिनों से खाली पड़ा है, के पहले कमरे में मैथिलीशरण पुत्र गेंदा तथा उसके लड़के हरेन्द्र व राहुल बलकटी से उसके लड़के सुनील को गिराकर गला काट रहे हैं और मैथिलीशरण की लड़की गीता वहीं जमीन पर मरी पड़ी थी । तीनों ने शोर मचाया तो मैथिलीशरण, हरेन्द्र और राहुल श्यौराज के घर के आंगन की तरफ की दीवार कूद कर भाग गए । यह घटना विजयपाल, वेदप्रकाश, हरेन्द्र कुमार और संजीव कुमार ने टार्चों की रोशनी में देखी व तीनों लोगों को भली-भांति पहचाना । जब वे भाग गए तो विजयपाल, वेदप्रकाश, हरेन्द्र कुमार और संजीव कुमार ने देखा कि सुनील की मृत्यु हो चुकी है । सुनील तथा गीता की लाश वहीं मौके पर जमीन पर पड़ी थी, सुनील की लाश नग्न अवस्था में थी तथा लड़की गीता की सलवार भी उतरी पड़ी थी । तीनों अभियुक्त ग्राम बली के निवासी थे । वादी विजयपाल द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर मैथिलीशरण, हरेन्द्र व राहुल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध संख्या 663 वर्ष 2007 रजिस्ट्रीकृत किया गया । मामले की विवेचना की गई । अभियोजन साक्षी उप-निरीक्षक आर. के. सिंह, द्वारा मृतका गीता तथा मृतक सुनील के पंचायतनामा तैयार किया गया । मृतका गीता का पंचायतनामा तथा उससे संबंधित संलग्न प्रपत्र, फोटो नाश, चालान लाश, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक है तथा मृतक सुनील का पंचायतनामा एवं उससे संबंधित संलग्न प्रपत्र चालान लाश, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक तथा चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी एवं फोटो नाश है । मृतकों के शव मुहरबंद करके पोस्टमार्टम हेतु भेजे गए । उप-निरीक्षक आर. के. सिंह द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी पुलिस कब्जा में लेकर सर्व मोहर करके उसकी फर्द तैयार की तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार की । अभियुक्त राहुल व मैथिलीशरण तारीख 28 दिसंबर, 2007 को गिरफ्तार किए गए । अभियुक्त राहुल की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक डण्डा जिस पर खून लगा था, भी कब्जे में लिया गया और उसकी फर्द तैयार की गई । इस मामले का अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किए और अभियुक्त मैथिलीशरण और राहुल के बयान अंकित किए । आगे का अन्वेषण प्रभारी निरीक्षक एस. के. एस. प्रताप द्वारा किया गया । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र को तारीख 2 जनवरी, 2008 को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक बलकटी बरामद की गई जिसके सिरे

पर खून लगा था । पुलिस ने बलकटी को कब्जे में लेकर उसकी फर्द तैयार की । डाक्टर यतीश कुमार द्वारा मृतकों के शवों का शव विच्छेदन किया गया था । उन्होंने मृतका गीता व मृतक सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने लेख और हस्ताक्षर साबित किए और यह भी कहा कि मृतकों की मृत्यु तारीख 28 दिसंबर, 2007 को 3.00 बजे सुबह होना सम्भव है और यह भी बताया है कि गीता की चोट संख्या 1 व 3 बलकटी व उस जैसे किसी धारदार भारी हथियार से होना सम्भव है और मृतक सुनील की चोट संख्या 1 और 4 बलकटी या उस जैसे भारी धारदार हथियार से होना सम्भव है । शेष चोटें कुन्द आले से होना सम्भव है । अभियोजन साक्षी संख्या 6 विजय प्रकाश सिंह ने अपने बयान में बताया कि तारीख 14 जनवरी, 2008 को वह थाना बागपत में प्रभारी निरीक्षक की हैसियत से तैनात था, उस दिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मुकदमा अपराध संख्या 663 वर्ष 2007 की अन्वेषण उसके सुपुर्द की गई थी । उसके पहले अन्वेषण प्रभारी निरीक्षक एस. के. एस. प्रताप कर रहे थे । पहले की केस डायरी का अवलोकन किया तथा मृतका गीता के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में अंकित की । मृतक सुनील के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी केस डायरी में अंकित की गई और उसी दिन कांस्टेबल गयूर अहमद व कांस्टेबल राजेन्द्र शर्मा के बयान अंकित किए गए । उसने तारीख 15 जनवरी, 2008 को गवाहान वेद प्रकाश, विजयपाल, करतार सिंह, रोहताश सिंह, ऊधम सिंह, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अनिल कुमार, संदीप कुमार तथा गवाह आरक्षी संजीव कुमार, आरक्षी पुनीत सिंह के बयान अंकित किए तथा कांस्टेबल संजीव कुमार की शिनाख्त के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया । इसी साक्षी ने नक्शा नजरी, बरामदगी स्थल को साबित किया है । इसी साक्षी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । इसी साक्षी द्वारा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण किए जाने के पश्चात् अपीलार्थियों/अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । इसी साक्षी ने आरोप पत्र पर अपने लेख व हस्ताक्षर होना साबित किया और यह भी कहा कि तारीख 14 जनवरी, 2008 को मामले को आगरा स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । तारीख 5 मार्च, 2008 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट केस डायरी में अंकित की गई । इसी साक्षी ने यह भी बताया कि कांस्टेबल आनन्द पाल थाना बागपत में उसके साथ तैनात रहा है और उसने उसको लिखते पढ़ते देखा है और उसके लेख और हस्ताक्षर को

पहचानता है । इसी साक्षी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और मामला रजिस्ट्रीकृत किए जाने से संबंधित रोजनामचे की प्रति पर कांस्टेबल आनन्द पाल के लेख व हस्ताक्षर होना बताते हुए प्रमाणित किया । बागपत के विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पक्षों को सुने जाने और फाइल पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार किए जाने के पश्चात् अपीलार्थियों/अभियुक्तों मैथिलीशरण तथा हरेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 302 और 34 के अधीन लगाए गए आरोपों के अन्तर्गत दोषी पाते हुए मृत्युदण्ड और चालीस हजार रुपए प्रत्येक के अर्थदण्ड द्वारा दण्डित किया । अर्थदण्ड का संदाय न कर पाने पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का आदेश पारित भी किया गया । इससे व्यथित होकर उपरोक्त दोनों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष फाइल की गईं । अपीलें भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन साक्षी विजयपाल मृतक सुनील का पिता तथा वादी मुकदमा है । उक्त अभियोजन साक्षी विजयपाल ने अपने बयान में यह कहा है कि आज से करीब 10 महीने पहले की घटना है, रात के तीन बजे थे । वह अपने मकान पर था उसने आवाज सुनी उसे आवाज उसके लड़के सुनील की लगी । आवाज बचाओ-बचाओ की थी तभी वह बैटरी लेकर अपने भतीजे वेद प्रकाश को साथ लेकर और हरेन्द्र, संजीव को आवाज दी । वे भी उसके साथ हरिजन बस्ती की तरफ चल दिए । जब वे श्यौराज के मकान के पास पहुंचे जो काफी दिनों से खाली पड़ा था तो देखा कि उसके लड़के सुनील को राहुल व हरेन्द्र व मैथिलीशरण डंडे से मार रहे थे । बलकटी से मार रहे थे । मैथिलीशरण डंडे से मार रहा था । हरेन्द्र व राहुल के हाथ में बलकटी थी । जब उसने टार्च से देखा तो वे लोग उसके लड़के सुनील को बलकटी से मार रहे थे और बराबर में पड़ी लड़की गीता की लाश को भी मार रहे थे । उसने शोर मचाया तो वे दीवार कूदकर भाग गए जब उसने जाकर देखा तो लड़की गीता मरी पड़ी थी और लड़का भी मर गया था । यह भी कहा है कि उसके लड़के को मुलजिमानों ने इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि उसके लड़के सुनील व गीता के नाजायज संबंध हैं । यह भी कहा है कि उसने वेद प्रकाश से रिपोर्ट लिखवाई जो उसने बोला और वेद प्रकाश ने लिखा । वेद प्रकाश ने लिखी रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाई । इस साक्षी ने तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसे साबित किया है । अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश ने भी अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 28 दिसंबर, 2007 समय करीब 3.00 बजे रात्रि के वह अपने घर पर था । हरिजन बस्ती की

तरफ से बचाओ-बचाओ की आवाज आई । उसे लगा कि यह आवाज सुनील की है । उसके चाचा विजयपाल ने उसे आवाज दी और वह टार्च लेकर हरिजन बस्ती की तरफ दौड़े । वहां पर उसने देखा कि श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के मकान में जो खाली पड़ा था वहां पर मैथिलीशरण व उसके पुत्र राहुल व हरेन्द्र थे । मैथिलीशरण के हाथ में डंडा तथा राहुल के हाथ में बलकटी व हरेन्द्र के हाथ में भी बलकटी थी । वे तीनों सुनील को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर ताबड़-तोड़ वार कर रहे थे । उसे आता देखकर वे मकान के अन्दर आंगन की तरफ दौड़े तथा वहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी उस पर भी वार किया । लड़की का नाम गीता था जो मैथिलीशरण की पुत्री थी । मुलजिमान मकान की दक्षिणी-पश्चिमी दीवार फांद कर भाग गए । उसने दोनों सुनील व गीता को देखा तो वे मर चुके थे । इसके बाद वहां पर हरेन्द्र पुत्र धनपाल व संजीव पुत्र गजराज भी आ गए उन्होंने भी घटना देखी उसके बाद आस-पास के अन्य लोग भी आ गए थे फिर वह वापस घर गया और विचार-विमर्श किया । यह भी कहा है कि उसने विजयपाल के बोलने पर तहरीर लिखी थी जो उसने पढ़कर विजय को सुनाई थी । इस साक्षी ने तहरीर को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताया है । यह भी कहा है कि पुलिस ने उसके सामने राहुल व मैथिलीशरण से डंडा व बलकटी बरामद की थी और हरेन्द्र से भी बलकटी बरामद की थी जिसकी फर्द पुलिस ने उसके सामने लिखी थी । तारीख 28 को राहुल व मैथिलीशरण से बरामदगी की थी तथा दो तारीख में हरेन्द्र से बरामदगी की थी । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है । अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 28 दिसंबर, 2007 की रात्रि के लगभग 3.00 बजे की घटना है । वह अपने घर पर मौजूद था । उसने हरिजन बस्ती की ओर से आता हुआ बचाओ-बचाओ का शोर सुना । शोर सुनकर वह हरिजन बस्ती की तरफ गया । उसे रास्ते में विजयपाल और वेद प्रकाश व संजीव मिले । जिनके पास टार्चें थीं । बचाओ-बचाओ की आवाज श्यौराज हरिजन के मकान से आ रही थी जो खाली पड़ा हुआ था । वह उपरोक्त लोगों के साथ श्यौराज के मकान के अन्दर गया तो उसने देखा कि मुलजिमान मैथिलीशरण, राहुल और हरेन्द्र, सुनील को मार रहे थे और गीता को भी अपने-अपने हथियारों से मार रहे थे । मुलजिम मैथिलीशरण के पास डंडा, राहुल और हरेन्द्र के पास बलकटी थी । उक्त घटना को टार्चों की रोशनी में देखकर उन सबने शोर मचाया तो उपरोक्त मुलजिमान सुनील व गीता की हत्या करने के बाद दीवार कूद कर भाग गए । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर

से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है अभियोजन साक्षी विजयपाल जो वादी मुकदमी है तथा अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश व अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार आपस में चाचा भतीजे हैं । अभियोजन साक्षी विजयपाल, अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार का सगा चाचा है जो एक ही परिवार व खानदान के व्यक्ति हैं तथा हितबद्ध साक्षी हैं । घटना के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है । ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षियों का कथन संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हैं । न्यायालय के विचार से मात्र संबंधी होने के आधार पर किसी साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतया गलत एवं अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । यह बात अवश्य है कि अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी विजय-पाल (वादी मुकदमी) के भतीजे हैं तो उक्त आधार पर उनके साक्ष्य को प्रथमदृष्ट्या गलत मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । पंजाब राज्य बनाम जुगराज सिंह और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी साक्षी की साक्ष्य को मात्र संबंधी होने के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है । ऐसे साक्षियों की साक्ष्य जिनकी उपस्थिति घटना के समय स्वाभाविक है तथा उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि है को स्वीकार किया जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अमित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में यह अवधारित किया है कि "कोई भी साक्षी केवल संबंधी होने मात्र से हितबद्ध साक्षी नहीं हो जाता । जब तक साक्षी का झूठा फंसाने में हित सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक केवल संबंधी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता" इसी प्रकार की एक अन्य विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुदर्शन रेड्डी और अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य वाले मामले में यह अवधारित किया है कि "किसी साक्षी के संबंधी होने मात्र से उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है । एक संबंधी वास्तविक अपराधी को न तो छिपाएगा और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाएगा । यदि झूठा फंसाने का तर्क दिया गया है तो कोर्ट का दायित्व है कि साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से करे और यदि साक्ष्य स्पष्ट व विश्वसनीय है तो केवल संबंधी होने मात्र से साक्षी के साक्ष्य को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता ।" अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश ने भी अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 28 दिसंबर, 2007 समय करीब 3.00 बजे रात्रि की है । वह अपने घर पर था । हरिजन बस्ती की तरफ से

बचाओ-बचाओ की आवाज आई । उसे लगा कि यह आवाज सुनील की है । उसके चाचा विजयपाल ने उसे आवाज दी और वह टार्च लेकर हरिजन बस्ती की तरफ दौड़ा । वहां पर उसने देखा कि श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के मकान में जो खाली पड़ा था वहां पर मैथिलीशरण व उसके पुत्र राहुल व हरेन्द्र थे । मैथिलीशरण के हाथ में डंडा तथा राहुल के हाथ में बलकटी व हरेन्द्र के हाथ में भी बलकटी थी । वे तीनों सुनील को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर ताबड़-तोड़ वार कर रहे थे । उसे आता देखकर वे मकान के अन्दर आंगन की तरफ दौड़े तथा वहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी उस पर भी वार किया । लड़की का नाम गीता था जो मैथिलीशरण की पुत्री थी । अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 28 दिसंबर, 2007 की रात्रि के लगभग 3.00 बजे की घटना है । वह अपने घर पर मौजूद था । उसने हरिजन बस्ती की ओर से आता हुआ बचाओ-बचाओ का शोर सुना । शोर सुनकर वह हरिजन बस्ती की तरफ गया । उसे रास्ते में विजयपाल और वेद प्रकाश व संजीव मिले । जिनके पास टार्चें थीं । बचाओ-बचाओ की आवाज श्यौराज हरिजन के मकान से आ रही थी जो खाली पडा हुआ था । वह उपरोक्त लोगों के साथ श्यौराज के मकान के अन्दर गया तो उसने देखा कि मुलजिमान मैथिलीशरण, राहुल और हरेन्द्र, सुनील को मार रहे थे और गीता को भी अपने-अपने हथियारों से मार रहे थे । मुलजिम मैथिलीशरण के पास डंडा, राहुल और हरेन्द्र के पास बलकटी थी । अभियोजन साक्षी विजयपाल ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि घटना के समय वह जाग रहा था । उसने रात को 2.30 बजे भैंस का दूध निकाला था इसलिए वह जाग रहा था । इस साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश का मकान उसके घर के पास में है । अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश ने अपनी प्रतिपृच्छा में बताया है कि अभियोजन साक्षी विजयपाल के मकान और उसके मकान के बीच लगभग एक डेढ़ मीटर ऊंची दीवार है । चूंकि अभियोजन साक्षी विजयपाल कथित घटना के समय जाग रहा था तथा घटनास्थल वाला श्यौराज का मकान पास में ही था । ऐसी दशा में उसने जो मृतक सुनील की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनने वाली बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश का मकान अभियोजन साक्षी विजयपाल के मकान के पास है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी विजयपाल द्वारा वेद प्रकाश को अपने साथ बुलाकर ले जाना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में साक्षियों के मौके पर पहुंचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचने की बात कही है । इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपृच्छा में यह भी बताया गया है कि शोर के समय वह भैसों का दूध निकलवाकर अपने बरामदे में बैठा हुआ था । शोर सुनने के समय दूधिया दूध निकाल कर जा चुका था । इसलिए यह साक्षी भी कथित घटना के समय जाग रहा था । ऐसी दशा में इस साक्षी द्वारा शोर सुनकर मौके पर पहुंचना और घटना देखना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य पर भी अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक सुनील के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया और न ही घटनास्थल पर उसके कपड़े व जूते पाए गए । घटना के समय सर्दी का मौसम था, दिसम्बर का महीना था सर्दी के मौसम में कोई व्यक्ति बिना कपड़े पहने घर से नहीं निकलेगा । इससे यह प्रकट होता है कि मृतकों की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अन्यत्र स्थान पर करने के पश्चात् उनके शव घटनास्थल पर डाल दिए गए । न्यायालय के विचार से यदि कथित घटनास्थल पर मृतक सुनील के कपड़े व जूते नहीं पाए गए हैं तो मात्र उक्त आधार पर यह अवधारणा कायम करना कि मृतकों की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अन्यत्र स्थान पर करने के पश्चात् कथित घटनास्थल पर उनके शव डाल दिए गए हों न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । कथित घटनास्थल जहां पर मृतकों के शव पाए गए हैं उस स्थान से विवेचनाधिकारी द्वारा खून आलूदा व सादी मिट्टी एकत्र की गई है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त मिट्टी पर मानव रक्त पाया गया है । इससे भी कथित घटनास्थल पर घटना कारित होने के तथ्य की पुष्टि होती है । यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्षी विजयपाल को जिरह में यह सुझाव दिया गया था कि उसका लड़का आवारा हो इसी वजह से उसके ससुराल वाले उससे नाराज रहते हों और इसी कारण से उसके ससुराल वालों ने सुनील व गीता की अन्यत्र स्थान पर हत्या कर लाशों को घटनास्थल पर डाल दिया हो । अभियोजन साक्षी विजयपाल द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त सुझाव को गलत बताया गया है । यहां यह भी कहना उचित होगा कि अभियोजन साक्षी विजयपाल के प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि मृतक सुनील का उसकी पत्नी या उसके ससुराल वालों से

कोई विवाद होने की बात स्वीकार की जा सके बल्कि उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्पष्ट किया है कि मृतक सुनील का अपनी पत्नी व उसके परिवार वालों से कोई विवाद नहीं था । मृतक सुनील की शादी घटना से 10-15 साल पहले होने की बात कही गई है तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि घटना के समय मृतक सुनील की पत्नी उसके साथ घर पर रहती थी । इससे यही प्रकट होता है कि मृतक सुनील का अपनी पत्नी व ससुराल वालों से कोई विवाद नहीं था । इन परिस्थितियों में मृतक सुनील के ससुराल वालों के द्वारा उसकी एवं मृतका कुमारी गीता की हत्या कर लाशों को घटनास्थल पर फेंक देने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एकमात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि कथित तिथि, समय व स्थान पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण व अभियुक्त राहुल के द्वारा ही मृतकों की हत्या कारित की गई है । ऐसी स्थिति में कथित घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है तथा एंटी टाइम की गई है । मृतक सुनील के पंचायतनामे में धारा 302 भा. दं. सं. के बाद धारा 34 का उल्लेख नहीं है । पंचायतनामे के साथ संलग्न प्रपत्रों में भी अपराध संख्या व धारा का उल्लेख नहीं है । इससे यही प्रकट होता है कि मृतकों के पंचायतनामे के समय घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी । मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । घटना दिनांक 28 दिसंबर, 2007 के समय 3.00 बजे रात्रि की है और इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 28 दिसंबर, 2007 को प्रातः 6.30 बजे वादी विजयपाल के द्वारा अंकित कराई गई है । थाने से घटनास्थल की दूरी 8 किमी. दर्शाई गई है । चूंकि यह घटना रात्रि की तथा एक गांव की है और वादी विजयपाल के समक्ष ही उसके लड़के सुनील व मृतका कुमारी गीता की निर्मम व क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी । घटना के समय सर्दी का मौसम था । अभियोजन साक्षी विजयपाल ने अपने बयान में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश की मोटरसाइकिल से जाने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि रात होने की वजह से और मोटरसाइकिल की हालत सही न होने की वजह से उसने रात के तीन बजे थाने में घटना की सूचना नहीं दी थी । उसने ट्रेक्टर वालों से थाने चलने के लिए कहा था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था । उपरोक्त

से यही स्पष्ट होता है कि मोटरसाइकिल की हालत सही नहीं थी और रात्रि होने की वजह से वादी द्वारा सुबह थाने पर जाकर प्रातःकाल 6.30 बजे इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । उपरोक्त परिस्थितियों में इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जितना समय लगा है वह स्वाभाविक है । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं पाया जाता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि घटनास्थल से पुलिस चौकी टटीरी 2 कि. मी. के फासले पर है । घटना के तुरन्त बाद वादी मुकदमा इस घटना की सूचना पुलिस चौकी टटीरी में भी दे सकता था लेकिन इस तरह की कोई सूचना वादी द्वारा पुलिस चौकी में नहीं दी गई । जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है । न्यायालय के विचार से यदि वादी ने इस घटना की सूचना पुलिस चौकी टटीरी में नहीं दी है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में अथवा कथित घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता के बारे में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि यह घटना रात्रि के सर्दी के मौसम की है और मोटरसाइकिल की हालत ठीक नहीं थी । ऐसी दशा में वादी ने सुबह थाना पहुंचकर इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना या उसके द्वारा मृतक सुनील को डंडे से मारकर चोटें पहुंचाए जाने का उल्लेख नहीं है और साक्षियों ने बाद में विचार-विमर्श करने के बाद मैथिलीशरण के हाथ में डंडा व उसके द्वारा डंडे से मारने का उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में घटना की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है । न्यायालय के विचार से यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना या उसके द्वारा डंडे से मारने का उल्लेख नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । चूंकि अभियोजन साक्षी विजयपाल, अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी हरेन्द्र कुमार के साक्ष्य में यह आया है कि घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा था और उसके द्वारा डंडे से मृतक सुनील को मारने का उल्लेख किया गया है तथा शव विच्छेदन के समय मृतक सुनील के शरीर पर नीलगू निशान व फटा हुआ घाव पाया गया है जिसे अभियोजन साक्षी डाक्टर यतीश कुमार ने कुंद आले से आना बताया है । इससे यही साबित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण द्वारा

मृतक सुनील के ऊपर डंडे से प्रहार करके चोटें पहुंचाई गई हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना व उसके द्वारा डंडे से प्रहार करके चोटें पहुंचाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है तो उससे अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा तथा अपीलार्थी/ अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी की बरामदगी बताई जाती है जो पूर्णतः गलत एवं फर्जी है तथा बरामदगी के संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा कोई प्रकटीकरण कथन तैयार नहीं किया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा व बलकटी बरामद होना सिद्ध नहीं है । न्यायालय के विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण तथा अभियुक्त राहुल को विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के ही दिन दिनांक 28 दिसंबर, 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी उनके घर से बरामद की गई थी । दिनांक 2 जनवरी, 2008 को अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी भी उसके घर से बरामद की गई थी । अभियोजन साक्षी वेद प्रकाश उक्त बरामदगी के साक्षी भी है । उसने अपने बयान में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण से डंडा व अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र व अभियुक्त राहुल से बलकटी बरामद की थी जिसकी फर्द उसके सामने पुलिस ने लिखी थी । तारीख 28 को राहुल व मैथिलीशरण से बरामदगी की गई थी तथा 2 तारीख को हरेन्द्र से बरामदगी की गई थी । इस साक्षी ने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद आला कत्ल डंडा व बलकटी की फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद आला कत्ल (बलकटी) की फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है । अभियोजन साक्षी सुनील कुमार सिंह, प्रताप, उप-निरीक्षक ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 2 जनवरी, 2008 को वह थाना बागपत में प्रवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत था । उस दिन आरक्षी चन्द्र प्रकाश, आरक्षी पुनीत सिंह, आरक्षी संजीव

कुमार के साथ सरकारी जीप व चालक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र ने यह बताया था कि आला कत्ल बरामद करा सकता है जिस पर उसे साथ लेकर वे लोग ग्राम बली में उसके बताए अनुसार गए । गवाहान वेद प्रकाश व अनिल को मकसद बताकर साथ में लिया। अभियुक्त हरेन्द्र ने खडन्जे पर जीप रुकवाई और आगे-आगे चलकर अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर उन्हें लेकर आया और घर में घुसकर उत्तरमुखी कमरे में घुसकर पश्चिम में बाथरूम व कमरे के बीच की गैलरी के ऊपर बनी दुछत्ती पर से एक बलकटी जिसके फल में खून लगा था निकालकर दी और उससे घटना करना बताया । बलकटी को सील सर्वे मुहर करके नमूना मोहर तैयार किया । फर्द उसने मौके पर तैयार की थी और गवाहान व हमराहीयान व मुलजिम को पढ़कर सुनाई थी तथा हस्ताक्षर कराए थे तथा फर्द की कापी मुलजिम को दी थी । इस साक्षी ने फर्द पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशान-देही पर बरामद बलकटी को वस्तु के रूप में साबित किया है । यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र तथा अभियुक्त राहुल की निशानदेही पर बरामद बलकटी तथा डंडा रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है । उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडा व हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद बलकटी तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी पर मानव रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा व अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी (आला कत्ल) की बरामदगी संदेह से परे सिद्ध है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से एलीबाई की पिली (अन्यत्र होने का अभिवाक्) लेते हुए यह तर्क रखा गया है कि कथित घटना के रात्रि में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र मौके पर मौजूद नहीं थे वे अपने दूसरे मकान स्थित लोनी पर मौजूद थे जब अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण घटना की सूचना पर घटनास्थल ग्राम बली आया तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । बचाव साक्षी समसूदीन ने अपने बयान में यह बताया है कि वह मुलजिमान हरेन्द्र व मैथिलीशरण को जानता है । मुलजिमान पिछले 10-12 सालों से लक्ष्मी गार्डन लोनी में अपना मकान बनाकर रहते हैं जो उसके पड़ोसी हैं । आज से करीब साढ़े चार साल पहले उसे सुबह करीब पांच बजे आवाज देकर उठाया गया था कि गांव में उसकी लड़की गुम हो गई है वहां चलना है । गाड़ी का इन्तजाम करने उसने कृष्ण नाम के आदमी की गाड़ी किराए पर

कराई थी । वह मैथिलीशरण, अली हसन ग्राम बली गए थे । वहां मैथिलीशरण की लड़की की मौत का पता चला । वहां पुलिस मौजूद थी । मैथिलीशरण रिपोर्ट लिखाने बागपत गया था । पुलिस ने मैथिलीशरण को पूछताछ के लिए बैठा लिया और चालान कर दिया । उपरोक्त साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत हमारे विचार से उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । घटनास्थल से लोनी की दूरी 30-35 कि.मी. दर्शाई गई है और यह घटना रात के करीब 3.00 बजे की बताई गई है । उपरोक्त बचाव साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त घटना की रात्रि में कहीं न गए हों फिर बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन ने स्वयं को मुलजिमान का किराएदार बताया है । यह बात स्वाभाविक नहीं लगती है कि मुलजिमान अपने किराएदार के साथ कमरे में सोए तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बचाव साक्षी अली हसन के पास घटना की रात्रि में सोना भी स्वाभाविक नहीं लगता है । उपरोक्त बचाव साक्षी अली हसन ने अपने बयान में इस तरह का कोई कथन नहीं किया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण किन परिस्थितियों में उसके पास सोए थे । चूंकि यह घटना ग्राम बली की है और ग्राम बली से लोनी की दूरी लगभग 30-35 कि.मी. है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कथित घटना कारित करने के बाद लोनी भी पहुंच सकते हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में बचाव साक्षी अली हसन बचाव साक्षी समसूदीन के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । फिर इस घटना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की पुत्री की भी हत्या हुई है । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण ने अपने बयान के अंतर्गत धारा 313 द. प्र. सं. के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में यह बताया है कि उसे नहीं पता कि मृतका गीता की हत्या कैसे हुई और उसने पता नहीं किया कि हत्या कैसे हुई । यह भी बताया है कि वह जेल से आने के बाद सीधा लोनी चला गया था और उसने बाद में पता भी नहीं किया था कि उसकी बेटी गीता की हत्या कैसे हुई । न्यायालय के विचार से यदि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व उसके लड़कों ने मृतका गीता की हत्या न की होती तो निश्चित रूप से अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में जानकारी अवश्य करता और यदि उसे अपनी पुत्री की हत्या के बारे में गलत फंसाया गया था तो वह इस संबंध में पुलिस के उच्चधिकारियों को अवगत करा सकता था तथा कार्यवाही भी कर सकता था । जेल से छूटने

के पश्चात् चुपचाप अपने दूसरे घर स्थित लोनी न चला जाता लेकिन जेल से छूटने के बाद भी इस अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इससे भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता साबित होती है । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र ने अपने बयान के अंतर्गत धारा 313 द. प्र. सं. के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में यह बताया है कि इस घटना के बारे में किसी ने उसके पिताजी को टेलीफोन से सूचना दी थी फिर उसके पिताजी के साथ गांव नहीं गया था । उसे डर था कि कभी कोई कुछ कहने लगे । हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र का आचरण भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब उसकी बहन की हत्या हो गई थी और उसकी बहन की हत्या में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई हाथ न होता तो कोई भी भाई अपनी बहन की हत्या की सूचना सुनकर मौके पर अवश्य जाता और अपनी बहन की हत्या के संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त करता लेकिन घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र का मौके पर न जाना स्वयं इस अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता को प्रकट करता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से यह भली-भांति सिद्ध है कि मृतका कुमारी गीता तथा मृतक सुनील की हत्या अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई थी तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र की संलिप्तता तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र की संलिप्तता पूर्णतः साबित है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र को झूंठा फंसाए जाने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है । ऐसी दशा में उपरोक्त संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व हरेन्द्र के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा. द. सं. संदेह के परे सिद्ध है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । (पैरा 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 50, 52, 59, 62, 63 और 64)

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में मृतकों की हत्या नाजायज संबंधों के कारण होनी बताई गई है । वादी विजयपाल मृतक सुनील का पिता है । उसने अपने बयान में यह बताया है कि उसके लड़के को

मुलजिमानों ने इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि उसके लड़के मृतक सुनील व मृतका गीता के नाजायज संबंध हैं । साक्ष्य में यह भी आया है कि मृतक सुनील विवाहित था । अपीलार्थी/अभियुक्त तथा मैथिलीशरण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. सं. में मृतक सुनील के बच्चे होने का भी कथन किया है । मृतका गीता को घटना के समय अविवाहित होना बताया गया है । इस प्रकरण की घटना रात्रि के 3.00 बजे की बताई गई है तथा श्यौराज नामक व्यक्ति के खाली पड़े मकान में मृतकों की हत्या होना बताया गया है । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 द. प्र. सं. में मृतकों के बीच कोई मुलाकात होने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं कि मृतका गीता सुनील के साथ भाग गई हो और उसने सुनील के साथ भागकर अपने परिवार की मर्जी के विरुद्ध शादी कर ली हो तथा एक साथ रहने लगे हों । जिससे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण अपमानित महसूस करने लगे हों तथा गांव व समाज में उनकी बदनामी होने लगी हो । घटना के समय मृतक सुनील विवाहित था तथा उसके बच्चे भी थे । मृतका गीता अपना घर छोड़कर मृतक सुनील के साथ नहीं रह रही थी । कथित घटना के समय मृतक सुनील के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया और वह नग्न अवस्था में था । मृतका गीता की सलवार भी उतरी थी । इससे यही प्रकट होता है कि मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतक गीता तथा मृतक सुनील की हत्या कर दी । चूंकि प्रस्तुत मामले में न तो मृतका गीता मृतक सुनील के साथ भागी थी और न ही उसने मृतक सुनील के साथ भागकर कोई शादी की थी तथा कथित घटना के समय मृतका गीता व मृतक सुनील एक साथ रह भी नहीं रहे थे बल्कि मृतका गीता अपने परिवार के साथ निवास कर रही थी । मृतक सुनील भी विवाहित था तथा उसके बच्चे भी थे एवं वह भी पृथक् रूप से अपने परिवार के साथ रह रहा था । पत्रावली पर इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतकों के नाजायज संबंधों के कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की गांव व समाज में बदनामी हो रही हो । चूंकि कथित घटना के समय मृतक सुनील का शव नग्न अवस्था में पाया गया है और मृतका गीता की सलवार भी उतरी थी । इससे यही जाहिर होता है कि मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने उनकी हत्या कर दी । अतएव प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह मामला विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । ऐसी दशा में न्यायालय के

विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को मृत्युदण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा । (पैरा 68 और 71)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1136 :
जगरूप सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 22

[2012] (2012) 1 जे. सी. आर. सी. 703 :
अमित बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 29

[2011] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1863 :
भगवान दास बनाम **दिल्ली राज्य** ; 22, 69

[2011] (2011) 14 एस. सी. सी. 678 :
पंजाब राज्य बनाम **जगतार सिंह एवं अन्य** ; 69

[2011] (2011) 3 एस. सी. सी. 685 :
रमेश एवं अन्य बनाम **राजस्थान राज्य** ; 22

[2010] (2010) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 248 :
राज्य, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाम
सुनील एवं एक अन्य ; 22

[2010] (2010) 1 एस. सी. सी. 775 :
दिलीप प्रेम नारायन तिवारी बनाम
महाराष्ट्र राज्य ; 22, 67, 69

[2010] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **कृष्णा मास्टर एवं अन्य** ; 22, 67, 70

[2009] (2009) 64 ए. सी. सी 1020 :
महाराष्ट्र राज्य बनाम **अहमद शेख बाबा जान और अन्य** ; 44

[2006] (2006) 2 सी. ए. आर. एस. सी. 742 :
सुदर्शन रेड्डी व अन्य बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ; 29

[2004] (2004) 12 एस. सी. सी. 414 :
भार्गवन और अन्य बनाम **केरल राज्य** ; 30

[2003] (2003) 7 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1904 :
गोलकंडा वेंक्टश्वार्य राव बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य** ; 22, 58

[2003] (2003) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 32 :
गंगाधर बेहरा एवं अन्य बनाम **उड़ीसा राज्य** ; 30

[2003] (2003) 6 एस. सी. सी. 277 :
गोलकंडा वेंक्टश्वार्य राव बनाम **आन्ध्र प्रदेश** राज्य ; 58

[2003] (2003) 6 एस. सी. सी. 380 :
थमन कुमार बनाम **संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़** ; 44

[2002] (2002) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 630 :
पंजाब राज्य बनाम **जुगराज सिंह और अन्य** ; 29

[1999] (1999) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 436 :
राजस्थान राज्य बनाम **तेजा राम** ; 22

[1995] (1995) 4 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60 :
सुरेश चन्द्र बाहरी बनाम **बिहार राज्य** । 22, 53, 60

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2012 की अपील संख्या 3125 और 3126 तथा 2012 का संदर्भ संख्या 2012.

1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन अपील ।

1. दांडिक अपील सं. 3125 वर्ष 2012

हरेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

2. दांडिक अपील सं. 3126 वर्ष 2012

मैथिलीशरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री गौरव काक्र, जी. एस. चतुर्वेदी और मान्वेन्द्र नाथ सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

माननीय अमर सरन, न्यायमूर्ति

माननीय बच्चू लाल, न्यायमूर्ति

(माननीय न्यायमूर्ति बच्चू लाल द्वारा प्रदत्त निर्णय)

1. अपीलार्थी हरेन्द्र ने कैपिटल दाण्डिक अपील संख्या 3125 वर्ष

2012 तथा अपीलार्थी मैथिलीशरण ने कैपिटल दाण्डिक अपील संख्या 3126 वर्ष 2012 श्री राजेन्द्र बाबू शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 149 वर्ष 2008 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 7.8.2012 के विरुद्ध योजित की है । जिसके द्वारा उनमें से प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए मृत्यु दण्ड तथा चालीस-चालीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में उनमें से प्रत्येक को छह-छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

2. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा मृत्यु दण्ड के पुष्टि हेतु संदर्भ संख्या 6 वर्ष 2012 प्रेषित किया गया है ।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा विजयपाल द्वारा एक लिखित तहरीर दिनांक 28.12.2007 को समय 6.30 बजे सुबह थाना कोतवाली, जिला बागपत में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि वह ग्राम बली थाना कोतवाली जिला बागपत का मूल निवासी है । आज दिनांक 28.12.2007 को रात करीब 3.00 बजे उसके घर के पास ही हरिजन बस्ती थी की तरफ से उसके लड़के सुनील की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई पड़ी जिस तरफ घर से वह तथा उसका भतीजा वेद प्रकाश पुत्र नेपाल, हरेन्द्र कुमार पुत्र धनपाल और संजीव कुमार पुत्र गजराज सिंह हरिजनों की बस्ती की तरफ भागे तो देखा श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के घर में जो काफी दिनों से खाली पड़ा है के पहले कमरे में मैथिलीशरण पुत्र गेंदा तथा उसके लड़के हरेन्द्र व राहुल बलकटी से उसके लड़के सुनील को गिराकर गला काट रहे हैं तथा मैथिलीशरण की लड़की गीता वहीं जमीन पर मरी पड़ी थी, जब हम तीनों लोगों ने शोर मचाया तो यह तीनों श्यौराज के घर की आंगन की तरफ भाग कर दीवार कूद कर भाग गए । यह घटना हम लोगों ने टार्चों की रोशनी में देखा है व तीनों लोगों को भली-भांति पहचान गए । जब वे भाग गए तो हमने देखा सुनील की मृत्यु हो चुकी है । सुनील तथा गीता की लाश वहीं मौके पर जमीन पर पड़ी थी, उसके लड़के की लाश नग्न अवस्था में थी तथा लड़की गीता की सलवार भी उतरी पड़ी है । सूचना देने आया हूं, सूचना दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें । तीनों अभियुक्त हमारे गांव बली के ही निवासी हैं ।

4. वादी मुकदमा विजयपाल के द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना बागपत पर अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र

व राहुल के विरुद्ध अपराध संख्या 663 वर्ष 2007 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अधीन मुकदमा पंजीकृत किया गया । उसका खुलासा जी. डी. रपट संख्या 15 समय 6.30 बजे में भी अंकित किया गया ।

5. मामले की विवेचना की गई । अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह, उपनिरीक्षक के द्वारा मृतका कुमारी गीता तथा मृतक सुनील के पंचायतनामा तैयार किए गए । मृतका कुमारी गीता का पंचायतनामा प्रदर्श क-6 तथा उससे संबंधित संलग्न प्रपत्र, फोटो नाश प्रदर्श क-11, चालान लाश प्रदर्श क-12, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-13, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-14 है तथा मृतक सुनील का पंचायतनामा प्रदर्श क-7 एवं उससे संबंधित संलग्न प्रपत्र चालान लाश प्रदर्श क-15, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक प्रदर्श क-16 तथा चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदर्श क-17 एवं फोटो नाश प्रदर्श क-18 है । मृतकों के शव को सर्व मोहर करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया । आर. के. सिंह यादव द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके घटनास्थल से खून आलूदा व सादी मिट्टी पुलिस कब्जा में लेकर सर्व मोहर करके उसकी फर्द प्रदर्श क-8 तैयार की तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-9 तैयार किया । अभियुक्तगण राहुल व मैथिलीशरण दिनांक 28.12.2007 को गिरफ्तार किए गए । अभियुक्त राहुल की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा (लकड़ी) जिन पर खून लगा था उन्हें भी पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-19 तैयार की गई । इस मामले की विवेचना एस. एच. ओ. के आदेशानुसार इस साक्षी द्वारा प्रारम्भ की गई थी । इस साक्षी ने विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किए तथा अभियुक्त मैथिलीशरण एवं राहुल के बयान अंकित किए । अग्रिम विवेचना एस. के. एस. प्रताप प्रभारी निरीक्षक के द्वारा की गई । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र को दिनांक 2.1.2008 को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी बरामद की गई जिसके फल पर खून लगा था । जिसे पुलिस कब्जा में लेकर उसकी फर्द प्रदर्श क-3 तैयार की गई ।

6. अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर यतीश कुमार, चिकित्साधिकारी द्वारा मृतका गीता के शव का शव विच्छेदन दिनांक 28.12.2007 को समय 2.50 बजे अपराह्न पर किया गया । कुमारी गीता की आयु लगभग 22 वर्ष थी । मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाई गईं :–

1. पांच कटे हुए घाव जो कि 9 से. मी. x 4 से. मी. के क्षेत्र

में बाईं ओर तथा गर्दन के सामने की ओर थे । सबसे बड़ा घाव 5 से. मी. x 1.05 से. मी. हड्डी तक गहरा तथा सबसे छोटा घाव 2.5 से. मी. x 1 से. मी. हड्डी तक गहरा था, जो कि बाएं जबड़े की हड्डी से 2 से. मी. नीचे था ।

2. कटा हुआ घाव 3.5 से. मी. x 0.5 से. मी. मांसपेशी तक गहरा गर्दन के पीछे की ओर सर्वाइकल सेविन बर्टीब्रा से ऊपर था ।

आन्तरिक परीक्षण – गर्दन की मुख्य रक्त वाहनियां श्वास नली कटी हुई थी । शव के शरीर की अकड़न सम्पूर्ण शरीर पर थी सड़न शुरू नहीं हुई थी । अतः मृत्यु का समय पोस्टमार्टम के समय से करीब आधा दिन पूर्व का था और मृत्यु का कारण अत्याधिक रक्त स्राव और आघात से हुआ था ।

इसी साक्षी ने उसी दिन समय अपराह्न 3.30 बजे मृतक सुनील पुत्र विजयपाल के शव का शव विच्छेदन किया । मृतक सुनील की आयु लगभग 32 वर्ष थी । मृतक सुनील के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें पाई गईं –

1. कटा हुआ घाव 17 से. मी. x 4 से. मी. ठोडी से नीचे बाईं ओर कान के निचले हिस्से से गर्दन पर सामने की ओर, बाएं जबड़े से नीचे तक था ।

2. कटा हुआ घाव 8 से. मी. x 1.5 से. मी. हड्डी तक गहरा केनियाल गुहा तक गहरा व दाहिनी ओर चेहरे पर मध्य भाग दाहिने कान पर था । कान कटा हुआ तथा मैग्जिला हड्डी का बाहरी हिस्सा कटा हुआ था ।

3. कटा हुआ घाव 4 से. मी. x 1 से. मी. हड्डी तक गहरा सिर के ऊपर बाईं तरफ बाएं कान से 13 से. मी. ऊपर था । बहुत सारे कटे हुए घाव जो 21 से. मी. x 12 से. मी. के क्षेत्र में सिर के पीछे व गर्दन पर थे ।

4. बहुत सारे कटे हुए घाव जो 21 से. मी. x 12 से. मी. के क्षेत्र में सिर के पीछे व गर्दन पर थे ।

5. कई सारे नीलगू निशान जो कि कमर के दोनों ओर 35 से. मी. x 30 से. मी. के क्षेत्र में लम्बर रीजन तक फैले हुए थे ।

6. छाती और पेट पर कई नीलगू निशान जो कि 36 से. मी. x 30 से. मी. के क्षेत्र में थे ।

7. दाएं ऊपर की बाजू पर कई नीलगू निशान थे ।

8. बाईं ऊपर भुजा पर कई नीलगू निशान थे ।

9. फटा हुआ घाव 1 से. मी. X 1/2 से. मी. जो कि दाएं पैर के निचले भाग में सामने की ओर था ।

आन्तरिक परीक्षण – गर्दन की मुख्य रक्त वाहनियां कटी हुई थीं तथा श्वास नली भी कटी हुई थी । सिर के दाईं टेम्पुरल हड्डी टूटी हुई थी । मस्तिष्क व उसकी झिल्लियां फटी हुई और कटी हुई थीं । शव के पूरे शरीर पर अकड़न थी तथा सड़न शुरू नहीं हुई थी । मृत्यु का समय लगभग आधा दिन पहले का था । मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व की चोटों की वजह से कोमा से हुई थी ।

7. मृतका गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व मृतक सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-5 है ।

8. इस मामले की अग्रिम विवेचना अभियोजन साक्षी संख्या 6 विजयपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक के द्वारा की गई । उन्होंने विवेचना के दौरान मृतका गीता एवं मृतक सुनील के पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में अंकित की । गवाहान आरक्षी गयूर अहमद व आरक्षी राजेन्द्र शर्मा के बयान अंकित किया । इस साक्षी ने दिनांक 15.1.2008 को गवाहान के बयान अंकित किया तथा आरक्षी संजीव कुमार की निशानदेही पर घटनास्थल बरामदगी आला कत्ल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-20 तैयार किया तथा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करके व साक्ष्य संकलित कर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र तथा अभियुक्त राहुल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-21 अन्तर्गत धारा 302/34 भा. द. सं. न्यायालय में प्रेषित किया ।

9. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का मुकदमा दिनांक 10.3.2008 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बागपत के द्वारा सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया । सत्र न्यायाधीश बागपत के आदेश दिनांक 2.6.2008 के माध्यम से अभियुक्त राहुल की पत्रावली पृथक् कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गई ।

10. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34

भा. द. सं. के अन्तर्गत आरोप विरचित किए गए । अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इनकार किया गया तथा परीक्षण की मांग की गई ।

11. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथन के समर्थन में अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल (वादी मुकदमा), अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश, अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर यतीश कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह यादव (उपनिरीक्षक), अभियोजन साक्षी संख्या 6 प्रभारी निरीक्षक विजय प्रकाश सिंह, अभियोजन साक्षी संख्या 7 सुनील कुमार सिंह प्रताप, उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया ।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं ।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर यतीश कुमार द्वारा मृतकों के शवों का शव विच्छेदन किया गया था । इस साक्षी ने मृतका गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व मृतक सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-5 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा यह भी कहा है कि मृतकों की मृत्यु दिनांक 28.12.2007 को 3.00 बजे सुबह पर होना सम्भव है तथा यह भी बताया है कि कुमारी गीता की चोट संख्या 1 व 3 बलकटी व उस जैसे किसी धारदार भारी हथियार से आना सम्भव है तथा मृतक सुनील की चोट संख्या 1 तथा 4 बलकटी या उस जैसे भारी धारदार हथियार से आना सम्भव है । शेष चोटें कुन्द आले से आना सम्भव हैं ।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह यादव ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 28.12.2007 को वह बतौर उपनिरीक्षक थाना कोतवाली जिला बागपत में तैनात था उस दिन वादी विजयपाल की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 663 वर्ष 2007 अन्तर्गत धारा 302/34 भारतीय दण्ड संहिता बनाम मैथिलीशरण, राहुल तथा हरेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । इस मुकदमे से संबंधित मृतक सुनील व गीता के पंचायतनामा भरने हेतु वह आरक्षी गयूर तथा आरक्षी राजेन्द्र शर्मा के साथ मय पंचायतनामा तैयार किया तथा दोनों लाशों को पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद सील सर्व मोहर कर वास्ते पोस्टमार्टम शवगृह बागपत के लिए

रवाना कराई । इस साक्षी ने मृतका गीता का पंचायतनामा प्रदर्श क-6 तथा उससे संबंधित संलग्नक प्रपत्र फोटो नाश, पुलिस प्रपत्र, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक को क्रमशः प्रदर्श क-11 लगायत प्रदर्श क-14 के रूप में तथा मृतक सुनील का पंचायतनामा प्रदर्श क-7 तथा उससे संबंधित संलग्नक पुलिस प्रपत्र, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी, फोटो नाश को क्रमशः प्रदर्श क-15 लगायत प्रदर्श क-18 के रूप में साबित किया है तथा घटनास्थल से सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी के कब्जे में लेने के संबंध में उसकी फर्द प्रदर्श क-8 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथ्य यह भी बताया है कि उसी दिन उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया था । इस साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-9 तथा बरामदगी स्थल आला कत्ल का नक्शा नजरी प्रदर्श क-10 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । यह भी बताया है कि एस. एच. ओ. के आदेशानुसार इस मुकदमे की विवेचना उसके द्वारा प्रारम्भ की गई थी । दिनांक 28.12.2007 को केस डायरी प्रथम में नकल चिक, नकल रपट, बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, नकल फर्द बाबत लेने कब्जा मिट्टी खून आलूदा तथा अभियुक्त मैथिलीशरण व राहुल की गिरफ्तारी तथा उनसे पूछताछ की तस्करा की नकल रपट व अभियुक्त मैथिलीशरण व राहुल की गिरफ्तारी तथा उनसे पूछताछ की तस्करा की नकल रपट व अभियुक्त मैथिलीशरण व राहुल की निशानदेही पर बरामद आला कत्ल के फर्द की नकल तथा आला कत्ल बरामदगी के स्थल का निरीक्षण तथा गवाह वेद प्रकाश, गवाह हरेन्द्र के बयान तथा अभियुक्त मैथिलीशरण व राहुल के बयान अंकित किए गए । इसके बाद विवेचना की कार्यवाही श्री एस. के. एस. प्रताप प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई । इस साक्षी ने अभियुक्त मैथिलीशरण व राहुल के खून से सने कपड़े लेने कब्जे के संबंध में फर्द प्रदर्श क-19 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी ने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडा को वस्तु प्रदर्श-3 व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में साबित किया है ।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 6 विजय प्रकाश सिंह ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 14.1.2008 को वह थाना बागपत में बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था उस दिन मुकदमा अपराध संख्या 663 वर्ष 2007

अन्तर्गत धारा 302/34 भा. द. सं. की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गई थी उसके पहले विवेचना प्रभारी निरीक्षक एस. के. एस. प्राप्त कर रहे थे । पूर्व की केस डायरी का अवलोकन किया तथा मृतका गीता के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल केस डायरी में अंकित की । मृतक सुनील के पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी केस डायरी में अंकित किया तथा उसी दिन आरक्षी गयूर अहमद व आरक्षी राजेन्द्र शर्मा के बयान अंकित किए । यह भी बताया है कि उसने दिनांक 15.1.2008 को गवाहान वेद प्रकाश, विजयपाल, करतार सिंह, रोहताश सिंह ऊधम सिंह, अनिल कुमार चश्मदीद गवाह, संदीप कुमार तथा गवाह आरक्षी संजीव कुमार, आरक्षी पुनीत सिंह के बयान अंकित किए तथा आरक्षी संजीव कुमार की निशान-देही पर घटनास्थल बरामदगी आला कत्ल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया । इस साक्षी ने नक्शा नजरी, बरामदगी स्थल आला कत्ल प्रदर्श क-20 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है । इस साक्षी द्वारा विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इस साक्षी द्वारा विवेचना संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण करके अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था । इस साक्षी ने आरोप पत्र प्रदर्श क-21 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है तथा यह भी कहा है कि दिनांक 14.2.2008 को माल मुकदमे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया । दिनांक 5.3.2008 को माल परीक्षण रिपोर्ट के विधि विज्ञान प्रयोगशाला केस डायरी में अंकित की । यह भी बताया है कि आरक्षी आनन्द पाल थाना बागपत में उसके साथ तैनात रहा है तथा वह उसको लिखते-पढ़ते देखा है व उसके लेख एवं हस्ताक्षर को पहचानता है । इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा मुकदमा कायमी से संबंधित जी. डी. की प्रति को आरक्षी आनन्द पाल के लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए क्रमशः प्रदर्श क-22 तथा प्रदर्श क-23 के रूप में प्रमाणित किया है ।

16. अभियोजन साक्षी संख्या 7 सुनील कुमार सिंह प्रताप, उपनिरीक्षक ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 21.1.2008 को वह थाना बागपत में प्रवर निरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन आरक्षी चन्द्र कुमार, आरक्षी पुनीत सिंह, आरक्षी संजीव कुमार के साथ सरकारी जीप व चालक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र ने यह बाताया था कि वह आला कत्ल बरामद करा सकता है । जिस पर उसे साथ लेकर वे लोग ग्राम बली में उसके बताए अनुसार गए । गवाहान वेद प्रकाश, व अनिल को मकसद

बताकर साथ में लिया । अभियुक्त हरेन्द्र ने खडन्जे पर जीप रुकवाई और आगे-आगे चलकर अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर हमें लेकर आया और घर में घुसकर उत्तरमुखी कमरे में घुसकर पश्चिम में बाथरूम व कमरे के बीच की गैलरी के ऊपर बनी दुछत्ती पर से एक बलकटी जिसके फल पर खून लगा था निकालकर दी और उससे घटना कराना बताया । बलकटी को सील सर्व मोहर करके नमूना तैयार किया । फर्द मौके पर उसने तैयार की थी तथा गवाहान व हमराहीयान व मुलजिम को पढ़कर सुनाई थी तथा हस्ताक्षर कराए थे तथा फर्द की कापी मुलजिम को दी थी । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित प्रपत्र प्रदर्श क-24 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए साबित किया है इस साक्षी ने अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है ।

17. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किया गया । जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा यह कहा कि वे निर्दोष हैं । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण ने अपने बयान में यह कहा है कि घटना वाले दिन वह अपनी बेटी मृतका गीता की रिपोर्ट लिखाने थाने पर गया था वहां वह वादी विजयपाल ने पुलिस से मिलकर उसे गिरफ्तार करा दिया था । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र ने अपने बयान में यह बताया है कि वह घटना वाले दिन गांव में नहीं था ।

18. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी सफाई साक्ष्य में अली हसन को बतौर डी. डब्ल्यू. 1 तथा शमसूदीन को बतौर डी. डब्ल्यू. 2 परीक्षित कराया गया ।

19. विद्वान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा उभय पक्ष को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण तथा हरेन्द्र को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुए उन्हें मृत्यु दण्ड तथा चालीस-चालीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड अदा न करने पर उन्हें छह-छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का आदेश पारित किया । जिससे क्षुब्ध होकर उपरोक्त दोनों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष योजित की गई हैं ।

20. हमने अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी तथा उनके सहायक के रूप में अधिवक्ता श्री मानवेन्द्र नाथ सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान् शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह तथा उनके सहायक के रूप में विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनन्द तिवारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य व प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश का भली-भांति अवलोकन किया । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस का भी सम्यक् अवलोकन किया ।

21. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधिसम्मत नहीं है । विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य तथा अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत सफाई साक्ष्य का भली-भांति अवलोकन नहीं किया तथा प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से तथा एंटी टाइम की गई है तथा पंचायतनामा से संबंधित प्रपत्रों में प्रकरण का अपराध संख्या का धारा का उल्लेख नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से की गई है तथा एंटी टाइम की गई है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में भली-भांति विचार नहीं किया । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/ अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना या उसके द्वारा मृतक सुनील के डंडे से चोट पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है । गवाहान वेद प्रकाश तथा हरेन्द्र कुमार वादी के सगे संबंधी एवं परिवार व खानदान के व्यक्ति हैं जो हितबद्ध साक्षी हैं । यह घटना श्यौराज के घर में घटित होना बताई गई है । घटनास्थल से मृतकों के चिल्लाने की आवाज वादी विजयपाल के घर तक जाना सम्भव नहीं है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 का आचरण काफी अस्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने मृतकों के शव को देखकर वापस घर आने का उल्लेख किया है और घटना के संबंध में विचार-विमर्श करने के बाद काफी विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे । ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षियों का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटनास्थल पर मृतक सुनील के कपड़े, जूते नहीं पाए गए ऐसी दशा में भी

कथित घटना की कहानी संदिग्ध प्रतीत होती है और यह प्रतीत होता है कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मृतकों की अन्यत्र स्थान पर हत्या कर शवों को कथित श्यौराज के मकान में डाल दिया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के संदर्भ में किसी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है । घटना वाले मकान के पास जस्सू तथा राज कुमार के भी मकान हैं लेकिन न तो विवेचनाधिकारी द्वारा उनका बयान अंकित किया गया है और न ही उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया । विवेचनाधिकारी ने गवाहान की कोई भी टार्च कब्जे में नहीं ली । अभियोजन साक्षी संख्या 2 तथा 3 ने अपने बयान में मृतक सुनील एवं मृतका गीता के बीच किसी भी प्रकार के अवैध संबंध होने का कोई उल्लेख नहीं किया है ऐसी दशा में घटना का हेतुक भी सिद्ध नहीं है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई आला कत्ल की बरामदगी नहीं कराई गई है तथा गलत बरामदगी दिखाई गई है एवं कथित बरामदगी के संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई डिस्कोलोजर स्टेटमेंट भी तैयार नहीं किया गया है । ऐसी दशा में कथित बरामदगी विश्वसनीय नहीं है ।

22. इसके विपरीत विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने अपने बयान में कथित घटना अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित करने का उल्लेख किया है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं । गवाहान ने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण द्वारा डंडे से तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र द्वारा बलकटी व अभियुक्त राहुल द्वारा बलकटी से मृतकों पर प्रहार करके उनकी हत्या करने का उल्लेख किया है । उपरोक्त अभियोजन साक्षियों की घटनास्थल पर उपस्थिति सिद्ध है तथा उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है । साक्षियों के मकानात घटनास्थल के आस-पास ही हैं । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल द्वारा मृतक सुनील का शोर सुनना व उसके शोर पर गवाहों के साथ मौके पर पहुंचना स्वाभाविक है । चिकित्सीय साक्ष्य से साक्षियों की साक्ष्य सम्पुष्टि होती है । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा तथा हरेन्द्र द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी बरामद कराई गई है । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उपरोक्त डंडा तथा बलकटी पर मानव रक्त पाया गया है जिसके संबंध में

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया ऐसी दशा में कथित घटना की पुष्टि होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि मृतक सुनील के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया या घटनास्थल से मृतक के कपड़े व जूते बरामद नहीं हुए हैं तो मात्र उक्त आधार पर संदेह करने का कोई आधार उत्पन्न नहीं होता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि बरामदगी के संबंध में यदि विवेचनाधिकारी द्वारा कोई पृथक् से डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर कथित बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **सुरेश चन्द्र बाहरी** बनाम **बिहार राज्य**[1] (पैरा 70, 71 एवं 72), **गोलकंडा वेंक्टश्वार्य राव** बनाम **राज्य आन्ध्र प्रदेश**[2] (पैरा 11 से 15,) **राज्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** बनाम **सुनील एवं एक अन्य**[3] (पैरा 19, 20 एवं 21) में दी गई विधि व्यवस्था प्रस्तुत की है तथा यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि यदि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में रक्त का वर्ग निर्धारित नहीं हो सका है तो मात्र उक्त आधार पर भी बरामदगी के संबंध में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है । बरामद डंडा तथा बलकटी पर मानव रक्त पाया गया है । डंडा तथा बलकटी पर मानव रक्त कहां से आया इस संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । रक्त के वर्ग के अभाव में बरामदगी किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होती है । अपने तर्क के समर्थन में **जगरूप सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[4] (पैरा 32 से 35), **राजस्थान राज्य** बनाम **तेजा राम**[5] (पैरा 39 से 43, 50 एवं 51), **रमेश एवं अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य**[6] (पैरा 25, 26 एवं 27) उद्धृत किया है तथा यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा रखा गया हेतुक साक्ष्य से साबित है । अंत में यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण ने अपने सम्मान के खातिर गलत ढंग से कानून को अपने हाथ में लेते हुए मृतका की निर्ममता व क्रूरतापूर्वक तरीकों से हत्या कारित की है । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में आता है । ऐसी दशा

---

[1] (1995) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60.
[2] (2003) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1904.
[3] (2010) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 248.
[4] (2013) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1136.
[5] (1999) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 436.
[6] (2011) 3 एस. सी. सी. 685.

में विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधिसम्मत है । इसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने अपने तर्क से समर्थन में **भगवान दास** बनाम **दिल्ली राज्य**[1], **दिलीप प्रेम नारायन तिवारी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] और **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्णा मास्टर एवं अन्य**[3] में दी गई विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत किया है ।

23. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के संदर्भ में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है ।

24. अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल मृतक सुनील का पिता तथा वादी मुकदमा है । उक्त अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने अपने बयान में यह कहा है कि आज से करीब 10 महीने पहले की घटना है, रात के तीन बजे थे । वह अपने मकान पर था उसने आवाज सुनी उसे आवाज उसके लड़के सुनील की लगी । आवाज बचाओ-बचाओ की थी तभी वह बैटरी लेकर अपने भतीजे वेद प्रकाश को साथ लेकर और हरेन्द्र, संजीव को आवाज दी । वे भी उसके साथ हरिजन बस्ती की तरफ चल दिए । जब वे श्यौराज के मकान के पास पहुंचे जो काफी दिनों से खाली पड़ा था तो देखा कि उसके लड़के सुनील को राहुल व हरेन्द्र व मैथिलीशरण डंडे से मार रहे थे । बलकटी से मार रहे थे । मैथिलीशरण डंडे से मार रहा था । हरेन्द्र व राहुल के हाथ में बलकटी थी । जब उसने टार्च से देखा तो वे लोग उसके लड़के सुनील को बलकटी से मार रहे थे और बराबर में पड़ी लड़की गीता की लाश को भी मार रहे थे । उसने शोर मचाया तो वे दीवार कूदकर भाग गए जब उसने जाकर देखा तो लड़की गीता मरी पड़ी थी और लड़का भी मर गया था । यह भी कहा है कि उसके लड़के को मुलजिमानों ने इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि उसके लड़के सुनील व गीता के नाजायज संबंध हैं । यह भी कहा है कि उसने वेद प्रकाश से रिपोर्ट लिखवाई जो उसने बोला और वेद प्रकाश ने लिखा । वेद प्रकाश ने लिखी रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाई । इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क-1 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए उसे प्रदर्श क-1

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1863.

[2] (2010) 1 एस. सी. सी. 775.

[3] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071.

के रूप में साबित किया है ।

25. अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश ने भी अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 28.12.2007 समय करीब 3.00 बजे रात्रि के वह अपने घर पर था । हरिजन बस्ती की तरफ से बचाओ-बचाओ की आवाज आई । उसे लगा कि यह आवाज सुनील की है । उसके चाचा विजयपाल ने उसे आवाज दी और वह टार्च लेकर हरिजन बस्ती की तरफ दौड़े । वहां पर उसने देखा कि श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के मकान में जो खाली पड़ा था वहां पर मैथिलीशरण व उसके पुत्र राहुल व हरेन्द्र थे । मैथिलीशरण के हाथ में डंडा तथा राहुल के हाथ में बलकटी व हरेन्द्र के हाथ में भी बलकटी थी । वे तीनों सुनील को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर ताबड़-तोड़ वार कर रहे थे । उसे आता देखकर वे मकान के अन्दर आंगन की तरफ दौड़े तथा वहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी उस पर भी वार किया । लड़की का नाम गीता था जो मैथिलीशरण की पुत्री थी । मुलजिमान मकान की दक्षिणी-पश्चिमी दीवार फांद कर भाग गए । उसने दोनों सुनील व गीता को देखा तो वे मर चुके थे । इसके बाद वहां पर हरेन्द्र पुत्र धनपाल व संजीव पुत्र गजराज भी आ गए उन्होंने भी घटना देखी उसके बाद आस-पास के अन्य लोग भी आ गए थे फिर वह वापस घर गया और विचार-विमर्श किया । यह भी कहा है कि उसने विजयपाल के बोलने पर तहरीर लिखी थी जो उसने पढ़कर विजय को सुनाई थी । इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क-1 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताया है । यह भी कहा है कि पुलिस ने उसके सामने राहुल व मैथिलीशरण से डंडा व बलकटी बरामद की थी और हरेन्द्र से भी बलकटी बरामद की थी जिसकी फर्द पुलिस ने उसके सामने लिखी थी । तारीख 28 को राहुल व मैथिलीशरण से बरामदगी की थी तथा दो तारीख में हरेन्द्र से बरामदगी की थी । इस साक्षी ने फर्द बरामदगी प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है ।

26. अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 28.12.2007 की रात्रि के लगभग 3.00 बजे की घटना है । वह अपने घर पर मौजूद था । उसने हरिजन बस्ती की ओर से आता हुआ बचाओ-बचाओ का शोर सुना । शोर सुनकर वह हरिजन बस्ती की तरफ गया । उसे रास्ते में विजयपाल और वेद प्रकाश व संजीव मिले । जिनके पास टार्चें थीं । बचाओ-बचाओ की आवाज श्यौराज हरिजन के मकान से आ रही थी जो खाली पड़ा हुआ था । वह उपरोक्त लोगों के साथ श्यौराज के मकान के अन्दर गया तो उसने देखा कि मुलजिमान मैथिलीशरण, राहुल और हरेन्द्र, सुनील को मार रहे थे और गीता को भी अपने-अपने हथियारों से मार रहे थे । मुलजिम मैथिलीशरण

के पास डंडा, राहुल और हरेन्द्र के पास बलकटी थी । उक्त घटना को टार्चों की रोशनी में देखकर उन सबने शोर मचाया तो उपरोक्त मुलजिमान सुनील व गीता की हत्या करने के बाद दीवार कूद कर भाग गए ।

27. इस तरह उपरोक्त तीनों साक्षियों ने अपने-अपने बयान में घटना देखने के तथ्य की पुष्टि की है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र व अभियुक्त राहुल के द्वारा मृतकों की हत्या कारित करना बताया है ।

28. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल जो वादी मुकदमी है तथा अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश व अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार आपस में चाचा-भतीजे हैं । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार का सगा चाचा है जो एक ही परिवार व खानदान के व्यक्ति हैं तथा हितबद्ध साक्षी हैं । घटना के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है । ऐसी दशा में उपरोक्त साक्षियों का कथन संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं हैं ।

29. हमारे विचार से मात्र संबंधी होने के आधार पर किसी साक्षी की साक्ष्य को पूर्णतया गलत एवं अविश्वसनीय मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । यह बात अवश्य है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार, अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल (वादी मुकदमी) के भतीजे हैं तो उक्त आधार पर उनके साक्ष्य को प्रथमदृष्ट्या गलत मान लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । **पंजाब राज्य** बनाम **जुगराज सिंह और अन्य**[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी साक्षी की साक्ष्य को मात्र संबंधी होने के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है । ऐसे साक्षियों की साक्ष्य जिनकी उपस्थिति घटना के समय स्वाभाविक है तथा उनकी साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से सम्पुष्टि है को स्वीकार किया जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अमित** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] में यह अवधारित किया है कि ''कोई भी साक्षी केवल संबंधी होने मात्र से

---

[1] (2002) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 630.

[2] (2012) 1 जे. सी. आर. सी. 703.

हितबद्ध साक्षी नहीं हो जाता । जब तक साक्षी का झूठा फंसाने में हित सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक केवल संबंधी साक्षी को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता'' इसी प्रकार की एक अन्य विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुदर्शन रेड्डी व अन्य** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[1] में यह अवधारित किया है कि ''किसी साक्षी के संबंधी होने मात्र से उसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है । एक संबंधी वास्तविक अपराधी को न तो छिपाएगा और न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाएगा । यदि झूठा फंसाने का तर्क दिया गया है तो कोर्ट का दायित्व है कि साक्ष्य का मूल्यांकन सावधानी से करे और यदि साक्ष्य स्पष्ट व विश्वसनीय है तो केवल संबंधी होने मात्र से साक्षी के साक्ष्य को तिरस्कृत नहीं किया जा सकता ।''

30. **गंगाधर बेहरा एवं अन्य** बनाम **उड़ीसा राज्य**[2] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि संबंध के आधार पर किसी भी संबंधी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का कारण नहीं है । संबंध के आधार पर किसी वास्तविक अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को आरोपित नहीं करेगा । जहां झूठा फंसाए जाने का आधार लिया गया हो ऐसे मामलों में संबंधी साक्षियों की साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है । इसी आशय का मत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भार्गवन और अन्य** बनाम **केरल राज्य**[3] के मामले में भी व्यक्त किया गया है ।

31. उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल वादी मुकदमा है तथा मृतक सुनील का पिता है । उसने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि घटना के समय वह अपने मकान पर था उसने आवाज सुनी उसे आवाज उसके लड़के सुनील की लगी । आवाज बचाओ-बचाओ की थी तभी वह बैटरी लेकर अपने भतीजे वेद प्रकाश को साथ लेकर और हरेन्द्र व संजीव को आवाज दी । वे भी उसके साथ हरिजन बस्ती की तरफ चल दिए । जब वह श्यौराज के मकान के पास पहुंचा जो काफी दिनों से खाली पड़ा था तो देखा कि उसके लड़के सुनील को राहुल व हरेन्द्र व मैथिलीशरण मार रहे हैं । बलकटी से मार रहे थे । मैथिलीशरण डंडे से मार रहा था । हरेन्द्र व राहुल के हाथ में बलकटी थी । जब उसने टार्च से देखा तो वे लोग उसके लड़के सुनील को बलकटी से मार रहे थे और बराबर में पड़ी लड़की गीता की लाश को

---

[1] (2006) 2 सी. ए. आर. सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 742.

[2] (2003) 3 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 32.

[3] (2004) 12 एस. सी. सी. 414.

भी मार रहे थे । उसने शोर मचाया तो वे दीवार कूद कर भाग गए जब उसने जाकर देखा तो लड़की गीता मरी पड़ी थी और लड़का भी मर गया था ।

32. अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश ने भी अपने बयान में यह बताया है कि घटना दिनांक 28.12.2007 समय करीब 3.00 बजे रात्रि की है । वह अपने घर पर था । हरिजन बस्ती की तरफ से बचाओ-बचाओ की आवाज आई । उसे लगा कि यह आवाज सुनील की है । उसके चाचा विजयपाल ने उसे आवाज दी और वह टार्च लेकर हरिजन बस्ती की तरफ दौड़ा । वहां पर उसने देखा कि श्यौराज पुत्र रामे हरिजन के मकान में जो खाली पड़ा था वहां पर मैथिलीशरण व उसके पुत्र राहुल व हरेन्द्र थे । मैथिलीशरण के हाथ में डंडा तथा राहुल के हाथ में बलकटी व हरेन्द्र के हाथ में भी बलकटी थी । वे तीनों सुनील को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर ताबड़-तोड़ वार कर रहे थे । उसे आता देखकर वे मकान के अन्दर आंगन की तरफ दौड़े तथा वहां पर लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी उस पर भी वार किया । लड़की का नाम गीता था जो मैथिलीशरण की पुत्री थी ।

33. अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में यह बताया है कि दिनांक 28.12.2007 की रात्रि के लगभग 3.00 बजे की घटना है । वह अपने घर पर मौजूद था । उसने हरिजन बस्ती की ओर से आता हुआ बचाओ-बचाओ का शोर सुना । शोर सुनकर वह हरिजन बस्ती की तरफ गया । उसे रास्ते में विजयपाल और वेद प्रकाश व संजीव मिले । जिनके पास टार्चें थीं । बचाओ-बचाओ की आवाज श्यौराज हरिजन के मकान से आ रही थी जो खाली पड़ा हुआ था । वह उपरोक्त लोगों के साथ श्यौराज के मकान के अन्दर गया तो उसने देखा कि मुलजिमान मैथिलीशरण, राहुल और हरेन्द्र, सुनील को मार रहे थे और गीता को भी अपने-अपने हथियारों से मार रहे थे । मुलजिम मैथिलीशरण के पास डंडा, राहुल और हरेन्द्र के पास बलकटी थी ।

34. अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि घटना के समय वह जाग रहा था । उसने रात को 2.30 बजे भैंस का दूध निकाला था इसलिए वह जाग रहा था । इस साक्षी के साक्ष्य में यह भी आया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश का मकान उसके घर के पास में है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश ने अपनी प्रतिपृच्छा में बताया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल के मकान और उसके मकान के बीच लगभग एक डेढ़ मीटर ऊंची दीवार है । चूंकि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल कथित घटना के समय जाग रहा था तथा घटनास्थल वाला श्यौराज का मकान पास में ही था । ऐसी दशा में उसने जो मृतक सुनील की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनने

वाली बात कही है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश का मकान अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल के मकान के पास है । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल द्वारा वेद प्रकाश को अपने साथ बुलाकर ले जाना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में साक्षियों के मौके पर पहुंचना और उनकी उपस्थिति के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार ने शोर सुनकर मौके पर पहुंचने की बात कही है । इस साक्षी द्वारा अपने प्रतिपृच्छा में यह भी बताया गया है कि शोर के समय वह भैसों का दूध निकलवाकर अपने बरामदे में बैठा हुआ था । शोर सुनने के समय दूधिया दूध निकाल कर जा चुका था । इसलिए यह साक्षी भी कथित घटना के समय जाग रहा था । ऐसी दशा में इस साक्षी द्वारा शोर सुनकर मौके पर पहुंचना और घटना देखना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य पर भी अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । उपरोक्त तीनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सम्पूर्ण साक्ष्य पर सावधानी पूर्वक विचार करने के उपरान्त हम इस मत के हैं कि उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

35. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक सुनील के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया और न ही घटनास्थल पर उसके कपड़े व जूते पाए गए । घटना के समय सर्दी का मौसम था, दिसम्बर का महीना था सर्दी के मौसम में कोई व्यक्ति बिना कपड़े पहने घर से नहीं निकलेगा । इससे यह प्रकट होता है कि मृतकों की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अन्यत्र स्थान पर करने के पश्चात् उनके शव घटनास्थल पर डाल दिए गए । हमारे विचार से यदि कथित घटनास्थल पर मृतक सुनील के कपड़े व जूते नहीं पाए गए हैं तो मात्र उक्त आधार पर यह अवधारणा कायम करना कि मृतकों की हत्या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अन्यत्र स्थान पर करने के पश्चात् कथित घटनास्थल पर उनके शव डाल दिए गए हों न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । कथित घटनास्थल जहां पर मृतकों के शव पाए गए हैं उस स्थान से विवेचनाधिकारी द्वारा खून आलूदा व सादी मिट्टी एकत्र की गई है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में उक्त मिट्टी पर मानव रक्त पाया गया है । इससे भी कथित घटनास्थल पर घटना कारित होने के तथ्य की पुष्टि होती है ।

36. अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश व अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं उनके प्रतिपृच्छा में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि घटनास्थल के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके । उपरोक्त साक्षियों द्वारा घटना देखी गई है और उनके द्वारा अपने

बयान में अभियुक्त मैथिलीशरण द्वारा मृतक सुनील को डंडे से मारना तथा अभियुक्त राहुल व हरेन्द्र के हाथ में बलकटी होना तथा उनके द्वारा बलकटी से मारने का उल्लेख किया गया है ।

37. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 4 डा. यतीश कुमार चिकित्साधिकारी द्वारा मृतकों के शवों का शव विच्छेदन किया गया था । मृतका कुमारी गीता के शरीर पर कटे हुए घाव पाए गए तथा मृतक सुनील के शरीर पर चोट संख्या 1 लगायत 4 कटे हुए घाव के रूप में तथा शेष चोटें नीलगू निशान के रूप में पाए गए हैं तथा फटा हुआ घाव भी उसके शरीर पर पाया गया है । डाक्टर ने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि मृतका कुमारी गीता की चोट संख्या 1 व 2 बलकटी व उस जैसे किसी धारदार भारी हथियार से आना सम्भव है तथा मृतक सुनील की चोट संख्या 1 व 4 बलकटी या उस जैसे भारी धारदार हथियार से आना सम्भव है । शेष चोटें कुन्द आले से आना सम्भव है । ऐसी दशा में भी मृतका कुमारी गीता को बलकटी तथा मृतक सुनील को बलकटी व डंडे से मारकर चोटें पहुंचाए जाने के तथ्य की पुष्टि होती है और उपरोक्त परिस्थितियों में चिकित्सीय साक्ष्य से भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की पुष्टि होती है । ऐसी दशा में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर यतीश कुमार चिकित्साधिकारी द्वारा अपने बयान में यह भी बताया गया है कि मृतकों की मृत्यु दिनांक 28.12.2007 को 3.00 ए. एम. (सुबह) पर होना सम्भव है । ऐसी दशा में भी अभियोजन पक्ष के कथनानुसार समय पर मृतकों की मृत्यु होने के तथ्य की भी पुष्टि होती है । इस स्थिति में कथित घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

38. यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल को जिरह में यह सुझाव दिया गया था कि उसका लड़का आवारा हो इसी वजह से उसके ससुराल वाले उससे नाराज रहते हों और इसी कारण से उसके ससुराल वालों ने सुनील व गीता की अन्यत्र स्थान पर हत्या कर लाशों को घटनास्थल पर डाल दिया हो । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए उक्त सुझाव को गलत बताया गया है । यहां यह भी कहना उचित होगा कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल के प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि मृतक सुनील का उसकी पत्नी या उसके ससुराल वालों से कोई विवाद होने की बात स्वीकार की जा सके बल्कि उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह स्पष्ट किया है कि मृतक सुनील का

अपनी पत्नी व उसके परिवार वालों से कोई विवाद नहीं था । मृतक सुनील की शादी घटना से 10-15 साल पहले होने की बात कही गई है तथा इस साक्षी ने अपने प्रतिपृच्छा में यह भी बताया है कि घटना के समय मृतक सुनील की पत्नी उसके साथ घर पर रहती थी । इससे यही प्रकट होता है कि मृतक सुनील का अपनी पत्नी व ससुराल वालों से कोई विवाद नहीं था । इन परिस्थितियों में मृतक सुनील के ससुराल वालों के द्वारा उसकी एवं मृतका कुमारी गीता की हत्या कर लाशों को घटनास्थल पर फेंक देने की कोई सम्भावना नहीं पाई जाती है । पत्रावली पर जो भी साक्ष्य उपलब्ध है उससे एक मात्र यही निष्कर्ष निकलता है कि कथित तिथि, समय व स्थान पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण व अभियुक्त राहुल के द्वारा ही मृतकों की हत्या कारित की गई है । ऐसी स्थिति में कथित घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

39. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से है तथा समय-पूर्व की गई है । मृतक सुनील के पंचायतनामे में धारा 302 भा. दं. सं. के बाद धारा 34 का उल्लेख नहीं है । पंचायतनामे साथ संलग्न प्रपत्रों में भी अपराध संख्या व धारा का उल्लेख नहीं है । इससे यही प्रकट होता है कि मृतकों के पंचायतनामे के समय घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में नहीं थी । मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । घटना दिनांक 28.12.2007 के समय 3.00 बजे रात्रि की है और इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दिनांक 28.12.2007 को 6.30 ए. एम. पर वादी विजयपाल के द्वारा अंकित कराई गई है । थाने से घटनास्थल की दूरी 8 किमी. दर्शाई गई है । चूंकि यह घटना रात्रि की तथा एक गांव की है और वादी विजयपाल के समक्ष ही उसके लड़के सुनील व मृतका कुमारी गीता की निर्मम व क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी । घटना के समय सर्दी का मौसम था । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने अपने बयान में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश की मोटर साइकिल से जाने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह बताया है कि रात होने की वजह से और मोटर साइकिल की हालत सही न होने की वजह से उसने रात के तीन बजे थाने में घटना की सूचना नहीं दी थी । उसने ट्रेक्टर वालों से थाने चलने के लिए कहा था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था । उपरोक्त से यही स्पष्ट होता है कि मोटर साइकिल की हालत सही नहीं थी और रात्रि होने की वजह से वादी द्वारा सुबह थाने पर जाकर समय 6.30 ए. एम. पर इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । उपरोक्त परिस्थितियों में इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में जितना समय लगा है वह

स्वाभाविक है । घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं पाया जाता है ।

40. द्वितीय यह कि यदि विवेचनाधिकारी ने मृतक सुनील के पंचायतनामा में धारा 302 भा. दं. सं. के साथ धारा 34 का उल्लेख नहीं किया है या पंचायतनामा के साथ संलग्नक प्रपत्रों में अपराध संख्या व धारा का उल्लेख नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । मृतका कुमारी गीता तथा मृतक सुनील के पंचायतनामे में अपराध संख्या व धारा का उल्लेख है यदि मृतक सुनील के पंचायतनामा में धारा 302 भा. दं. सं. के साथ धारा 34 लिखने से छूट गया है तो मात्र इस आधार पर भी अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है ।

41. अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह यादव, उप-निरीक्षक द्वारा मृतकों के पंचायतनामा तैयार किए गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह बताया है कि पंचायतनामा प्रदर्श क-7 मृतक सुनील की पुश्त पर जो उसने अपराध संख्या व धारा लिखा है उसमें धारा 34 आई. पी. सी. नहीं लिखा है जो सहवन छूट गया है । ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह यादव द्वारा मृतक सुनील के पंचायतनामा में धारा 34 भा. दं. सं. को लिखने से सहवन छूट जाने का उल्लेख किया गया है । यह बात अवश्य है कि पंचायतनामा के साथ संलग्नक प्रपत्रों में मामले की अपराध संख्या व धारा का उल्लेख नहीं है लेकिन मृतक के पंचायतनामा में मामले की अपराध संख्या व धारा का उल्लेख किया गया है । इससे यही साबित होता है कि पंचायतनामा के समय घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अस्तित्व में थी तथा पंचायतनामा के पूर्व अभियोजन के कथनानुसार समय 6.30 ए. एम. पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर अंकित की जा चुकी थी । यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल वादी मुकदमा है इसके प्रतिरक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में कोई संदेह व्यक्त किया जा सके ।

42. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि घटनास्थल से पुलिस चौकी टटीरी 2 किमी. के फासले पर है । घटना के तुरन्त बाद वादी मुकदमा इस घटना की सूचना पुलिस चौकी टटीरी में भी दे सकता था लेकिन इस तरह की कोई सूचना वादी द्वारा पुलिस चौकी में नहीं दी गई । जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है । हमारे विचार से यदि वादी ने इस घटना की सूचना पुलिस चौकी टटीरी में नहीं दी है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में अथवा कथित घटना में

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता के बारे में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि यह घटना रात्रि के सर्दी के मौसम की है और मोटर साइकिल की हालत ठीक नहीं थी । ऐसी दशा में वादी ने सुबह थाना पहुंचकर इस घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जिस पर संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

43. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना या उसके द्वारा मृतक सुनील को डंडे से मारकर चोटें पहुंचाए जाने का उल्लेख नहीं है और साक्षियों ने बाद में विचार-विमर्श करने के बाद मैथिलीशरण के हाथ में डंडा व उसके द्वारा डंडे से मारने का उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में घटना की संदेह से परे पुष्टि नहीं होती है । हमारे विचार से यदि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना या उसके द्वारा डंडे से मारने का उल्लेख नहीं किया गया है तो मात्र उक्त आधार पर अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है ।

44. **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **अहमद शेख बाबा जान और अन्य**[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि कानून की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि एफ. आई. आर. में प्रत्येक सूक्ष्म विवरण भी दिया जाए । एफ. आई. आर. पृष्ठभूमि की घटनाओं का विश्वकोश नहीं माना जा सकता ।

45. चूंकि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार के साक्ष्य में यह आया है कि घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा था और उसके द्वारा डंडे से मृतक सुनील को मारने का उल्लेख किया गया है तथा शव विच्छेदन के समय मृतक सुनील के शरीर पर नीलगू निशान व फटा हुआ घाव पाया गया है जिसे अभियोजन साक्षी संख्या 4 डाक्टर यतीश कुमार ने कुंद आले से आना बताया है । इससे यही साबित होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण द्वारा मृतक सुनील के ऊपर डंडे से प्रहार करके चोटें पहुंचाई गई हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के हाथ में डंडा होना व उसके द्वारा डंडे से प्रहार करके चोटें पहुंचाए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है तो उससे अभियोजन कथानक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है ।

46. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया

---

[1] 2009 (64) ए. सी. सी. 1020.

है कि साक्षियों के द्वारा टार्चों की रोशनी में घटना देखने का उल्लेख किया गया है लेकिन टार्चों को पुलिस कब्जा में नहीं लिया गया । हमारे विचार से मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने टार्च की रोशनी में घटना देखने का उल्लेख किया है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी स्पष्ट किया है कि उसने अपनी टार्च दरोगाजी को दिखाई थी । हमारे विचार से यदि विवेचनाधिकारी ने इन साक्षियों की टार्च को कब्जा पुलिस में नहीं लिया है तो मात्र उक्त आधार पर घटना के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है ।

47. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के हेतुक का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार ने अपने बयान में मृतक सुनील तथा मृतका कुमारी गीता के बीच किसी भी प्रकार के कोई नाजायज संबंध होने की बात नहीं कही है । ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से जो घटना का हेतुक रखा गया है वह साक्ष्य से सिद्ध नहीं है तो उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल वादी मुकदमा है तथा इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है एवं मृतक सुनील का पिता है उसने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि मुलजिमानों ने उसके लड़के को इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि उसके लड़के मृतक सुनील व मृतका कुमारी गीता के बीच नाजायज संबंध हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कथित घटना के समय मृतक सुनील का शव नग्न अवस्था में पाया गया है तथा मृतका कुमारी गीता की सलवार भी उतरी थी । ऐसी दशा में अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने घटना के पीछे जो कारण बताया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है फिर यह घटना प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल, अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3 हरेन्द्र कुमार इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने अपने बयानों में घटना देखने के तथ्य की भली-भांति पुष्टि की है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र व अभियुक्त राहुल के द्वारा मृतकों की हत्या कारित करने का उल्लेख किया है तथा उनके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है । ऐसी दशा में अभियोजन के द्वारा जो घटना का हेतुक बताया गया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है ।

48. **थमन कुमार** बनाम **संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़**[1] के मामले में

[1] (2003) 6 एस. सी. सी. 380.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि "ऐसा कोई सिद्धांत या विधि का नियम नहीं है जहां अभियोजन पक्ष अपराध कारित करने हेतु को साबित नहीं कर सका है वहां आवश्यक रूप से अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाएगा । यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विश्वसनीय और भरोसेमंद पाए जाते हैं और उसके साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है तब अपराध कारित किए जाने के लिए हेतु को साबित न किए जाने के बावजूद भी सुरक्षित रूप से दोषसिद्धि को अभिलिखित किया जा सकता है ।"

49. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है । ऐसी दशा में घटना के हेतुक का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है । अभियोजन साक्षी संख्या 1 विजयपाल ने मृतकों की हत्या नाजायज संबंधों के कारण होना बताया है । अतः अभियोजन की ओर से जो घटना का हेतुक रखा गया है वह साक्ष्य से भी साबित है ।

50. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी की बरामदगी बताई जाती है जो पूर्णतः गलत एवं फर्जी है तथा बरामदगी के संबंध में विवेचनाधिकारी द्वारा कोई डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार नहीं किया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा व बलकटी बरामद होना सिद्ध नहीं है । हमारे विचार से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण तथा अभियुक्त राहुल को विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के ही दिन दिनांक 28.12.2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डंडा व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी उनके घर से बरामद की गई थी । दिनांक 2.1.2008 को अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी भी उसके घर से बरामद की गई थी । अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश उक्त बरामदगी के साक्षी भी हैं। उसने अपने बयान में यह बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण से डंडा व अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र व अभियुक्त राहुल से बलकटी बरामद की थी जिसकी फर्द उसके सामने पुलिस ने लिखी थी । तारीख 28 को राहुल व मैथिलीशरण से बरामदगी की गई थी तथा दो तारीख को हरेन्द्र से बरामदगी की गई थी । इस साक्षी ने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद आला कत्ल डंडा व बलकटी की फर्द प्रदर्श क-2 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर

बरामद आला कत्ल (बलकटी) की फर्द प्रदर्श क-3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है ।

51. अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह, उप-निरीक्षक ने अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडा को वस्तु प्रदर्श-3 तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में साबित किया है ।

52. अभियोजन साक्षी संख्या 7 सुनील कुमार सिंह प्रताप, उप-निरीक्षक ने अपने बयान में बताया है कि दिनांक 2.1.2008 को वह थाना बागपत में प्रवर निरीक्षक के पद पर कार्यरत था । उस दिन आरक्षी चन्द्र प्रकाश, आरक्षी पुनीत सिंह, आरक्षी संजीव कुमार के साथ सरकारी जीप व चालक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त हरेन्द्र ने यह बताया था कि आला कत्ल बरामद करा सकता है जिस पर उसे साथ लेकर वे लोग ग्राम बली में उसके बताए अनुसार गए । गवाहान वेद प्रकाश व अनिल को मकसद बताकर साथ में लिया । अभियुक्त हरेन्द्र ने खड़ंजे पर जीप रुकवाई और आगे-आगे चलकर अपने घर के पीछे वाले दरवाजे पर उन्हें लेकर आया और घर में घुसकर उत्तरमुखी कमरे में घुसकर पश्चिम में बाथरूम व कमरे के बीच की गैलरी के ऊपर बनी दुछत्ती पर से एक बलकटी जिसके फल में खून लगा था निकालकर दी और उससे घटना करना बताया । बलकटी को सील सर्वे मुहर करके नमूना मोहर तैयार किया । फर्द उसने मौके पर तैयार की थी और गवाहान व हमराहीयान व मुलजिम को पढ़कर सुनाई थी तथा हस्ताक्षर कराए थे तथा फर्द की कापी मुलजिम को दी थी । इस साक्षी ने फर्द प्रदर्श क-3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया है । यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण, हरेन्द्र तथा अभियुक्त राहुल की निशानदेही पर बरामद बलकटी तथा डंडा रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है । उक्त रिपोर्ट में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडा व हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद बलकटी तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी पर मानव रक्त पाया गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा व अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी (आला कत्ल) की बरामदगी संदेह से परे सिद्ध है ।

53. अपीलार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचनाधिकारी ने बरामदगी के पूर्व अपीलार्थीगण/

अभियुक्तगण का पृथक् से कोई डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार नहीं किया है । विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचनाधिकारी द्वारा मात्र पृथक् से डिस्कोलोजर स्टेटमेंट तैयार न करने के आधार पर कथित बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । उन्होंने यह भी तर्क रखा कि अभियुक्तगण की निशानदेही पर कथित बरामदगी संदेह से सिद्ध है । उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में **सुरेश चन्द्र बाहरी** बनाम **बिहार राज्य**[1] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विधि व्यवस्था भी उद्धृत किया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि :–

"The two essential requirements for the application of section 27 of the evidence Act are that (1) the person giving information must be an accused of any offence; and (2) he must also be in police custody. The provisions of Section 27 of the evidence Act are based on the view that if a fact is actually discovered in consequence of information given, some guarantee is afforded thereby that the information was true and consequently the said information can safely be allowed to be given in evidence because such an information is further fortified and confirmed by the discovery of articles or the instrument of crime and leads to the belief that the information about the confession made as to the articles of crime cannot be false."

54. चूंकि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी दिनांक 28.12.2007 को बरामद होना बताया गया है जिसकी फर्द प्रदर्श क-2 विवेचनाधिकारी द्वारा मौके पर तैयार की गई है । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी की बरामदगी दिनांक 2.1.2008 को होना बताया गया है । जिसकी फर्द प्रदर्श क-3 है ।

55. अभयिोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश इस बरामदगी का साक्षी है । इस साक्षी ने फर्द प्रदर्श क-2 तथा प्रदर्श क-3 पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए साबित किया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर डंडा व बलकटी बरामद होना बताया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर बलकटी बरामद होने के तथ्य की पुष्टि की है ।

---

[1] (1995) 4 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 60.

56. अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह, उप-निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडें को वस्तु प्रदर्श-3 तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में साबित किया है ।

57. अभियोजन साक्षी संख्या 7 सुनील कुमार सिंह प्रताप, उप-निरीक्षक ने दिनांक 2.1.2008 को अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बलकटी बरामद होना बताया है तथा इस साक्षी द्वारा मौके पर उक्त घटना में प्रयुक्त बलकटी की फर्द प्रदर्श क-3 को अपने लेख एवं हस्ताक्षर में होना बताया गया है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के निशानदेही पर बरामद बलकटी को वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया है । उक्त बरामद डंडा व बलकटी पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मानव रक्त पाया गया है । उक्त मानव रक्त डंडा व बलकटी पर कहां से आया है इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से नहीं दिया गया है । ऐसी दशा में यदि अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण का कोई डिस्कोलोजर स्टेटमेंट पृथक् से अंकित नहीं किया गया तो मात्र उक्त आधार पर कथित बरामदगी के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आला कत्ल (बलकटी व डंडा) की बरामदगी कराई गई है तथा उन पर मानव रक्त भी पाया गया है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल (बलकटी व डंडा) की बरामदगी साबित है ।

58. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल की बरामदगी से संबंधित फर्द प्रदर्श क-2 पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर नहीं हैं । ऐसी दशा में कथित बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है । इस संबंध में विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने **गोलकंडा वेंक्टश्वार्य राव** बनाम **आन्ध्र प्रदेश राज्य**[1] के दृष्टांत का हवाला देते हुए यह तर्क रखा कि उक्त मामले में प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर के अभाव में बरामदगी को असत्य नहीं पाया गया । उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद डंडा व बलकटी का साक्षी वेद प्रकाश है जिसने उपरोक्त अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद डंडा व बलकटी की पुष्टि की है और उपरोक्त डंडा व बलकटी (आला कत्ल) को अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह, उप-निरीक्षक ने वस्तु प्रदर्श-3 व वस्तु प्रदर्श-5 के रूप में साबित किया है ।

---

[1] (2003) 6 एस. सी. सी. 277.

उपरोक्त अभियोजन साक्षी संख्या 5 आर. के. सिंह, उप-निरीक्षक के प्रतिपृच्छा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे कथित बरामदगी के संबंध में कोई संदेह प्रकट किया जा सके । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के निशानदेही पर बरामद डंडा तथा अभियुक्त राहुल के निशानदेही पर बरामद बलकटी पर मानव रक्त पाया गया है । फर्द प्रदर्श क-2 पर अभियोजन साक्षी संख्या 2 वेद प्रकाश व अन्य साक्षी के भी हस्ताक्षर हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में यदि फर्द पर अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व अभियुक्त राहुल के हस्ताक्षर विवेचनाधिकारी द्वारा नहीं कराया गया है तो मात्र इस आधार पर बरामदगी के संबंध में संदेह का कोई आधार नहीं पाया जाता है ।

59. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अन्यत्र होने के अभिवाक् की पिली लेते हुए यह तर्क रखा गया है कि कथित घटना के रात्रि में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र मौके पर मौजूद नहीं थे वे अपने दूसरे मकान स्थित लोनी पर मौजूद थे जब अपीलार्थी/ अभियुक्त मैथिलीशरण घटना की सूचना पर घटनास्थल ग्राम बली आया तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया ।

60. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन तथा बचाव साक्षी संख्या 2 शमसूदीन को परीक्षित कराया गया है ।

61. बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन ने अपने बयान में यह बताया है कि वह मुलजिमान मैथिलीशरण व हरेन्द्र को जानता है । मुलजिमान पिछले 10-12 सालों से लक्ष्मी गार्डन लोनी में रहते हैं । वह इनके मकान में किराएदार के रूप में पिछले दस साल से रहता है । आज से करीब साढ़े चार साल पहले वह मैथिलीशरण तथा हरेन्द्र मकान में सोए हुए थे । मैथिलीशरण ने उसे बताया कि गांव से उसकी लड़की गुम हो गई है । यह बात करीब पांच बजे सुबह की है । उसके बाद वह तथा मैथिलीशरण, शमसूदीन गाड़ी लेकर ग्राम बली गए थे । वहां पता लगा कि लड़की मार दी गई है । जिस रात की यह घटना है उस रात मैथिलीशरण व हरेन्द्र उसके पास लोनी में ही सोए हुए थे । मैथिलीशरण थाने में रिपोर्ट कराने गया था तो पुलिस ने बैठा लिया था ।

62. बचाव साक्षी संख्या 2 शमसूदीन ने अपने बयान में यह बताया है कि वह मुलजिमान हरेन्द्र व मैथिलीशरण को जानता है । मुलजिमान पिछले 10-12 सालों से लक्ष्मी गार्डन लोनी में अपना मकान बनाकर रहते हैं जो उसके पड़ोसी हैं । आज से करीब साढ़े चार साल पहले उसे सुबह करीब पांच बजे आवाज देकर उठाया गया था कि गांव में उसकी लड़की

गुम हो गई है वहां चलना है । गाड़ी का इन्तजाम करने के लिए उसने कृष्ण नाम के आदमी की गाड़ी किराए पर ली थी । वह मैथिलीशरण, अली हसन ग्राम बली गए थे । वहां मैथिलीशरण की लड़की की मौत का पता चला । वहां पुलिस मौजूद थी । मैथिलीशरण रिपोर्ट लिखाने बागपत गया था । पुलिस में मैथिलीशरण को पूछताछ के लिए बैठा लिया और चालान कर दिया । उपरोक्त साक्षीगण के सम्पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत हमारे विचार से उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है । घटनास्थल से लोनी की दूरी 30-35 कि. मी. दर्शाई गई है और यह घटना रात के करीब 3.00 बजे की बताई गई है । उपरोक्त बचाव साक्षियों के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता है कि अपीलार्थी/अभियुक्त घटना की रात्रि में कहीं न गए हों फिर बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन ने स्वयं को मुलजिमान का किराएदार बताया है । यह बात स्वाभाविक नहीं लगती है कि मुलजिमान अपने किराएदार के साथ कमरे में सोए तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन के पास घटना की रात्रि में सोना भी स्वाभाविक नहीं लगता है । उपरोक्त बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन ने अपने बयान में इस तरह का कोई कथन नहीं किया है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण किन परिस्थितियों में उसके पास सोए थे । चूंकि यह घटना ग्राम बली की है और ग्राम बली से लोनी की दूरी लगभग 30-35 कि. मी. है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण कथित घटना कारित करने के बाद लोनी भी पहुंच सकते हैं । उपरोक्त परिस्थितियों में बचाव साक्षी संख्या 1 अली हसन बचाव साक्षी संख्या 2 शमसूदीन के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित घटना में संलिप्तता के संबंध में संदेह करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है । फिर इस घटना के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की पुत्री की भी हत्या हुई है । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. के प्रश्न संख्या एक के उत्तर में यह बताया है कि उसे नहीं पता कि मृतका गीता की हत्या कैसे हुई और उसने पता नहीं किया कि हत्या कैसे हुई । यह भी बताया है कि वह जेल से आने के बाद सीधा लोनी चला गया था और उसने बाद में पता भी नहीं किया था कि उसकी बेटी गीता की हत्या कैसे हुई । हमारे विचार से यदि अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण व उसके लड़कों ने मृतका गीता की हत्या न की होती तो निश्चित रूप से अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण अपनी पुत्री की हत्या के संबंध में जानकारी अवश्य

करता और यदि उसे अपनी पुत्री की हत्या के बारे में गलत फंसाया गया था तो वह इस संबंध में पुलिस के उच्चाधिकारियों को अवगत करा सकता था तथा कार्यवाही भी कर सकता था । जेल से छूटने के पश्चात् चुपचाप अपने दूसरे घर स्थित लोनी न चला जाता लेकिन जेल से छूटने के बाद भी इस अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । इससे भी अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता साबित होती है ।

63. अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. के प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में यह बताया है कि इस घटना के बारे में किसी ने उसके पिताजी को टेलीफोन से सूचना दी थी फिर उसके पिताजी के साथ गांव नहीं गया था । उसे डर था कि कभी कोई कुछ कहने लगे । हमारे विचार से अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र का आचरण भी स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि जब उसकी बहन की हत्या हो गई थी और उसकी बहन की हत्या में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का कोई हाथ न होता तो कोई भी भाई अपनी बहन की हत्या की सूचना सुनकर मौके पर अवश्य जाता और अपनी बहन की हत्या के संबंध में जानकारी अवश्य प्राप्त करता लेकिन घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र का मौके पर न जाना स्वयं इस अपीलार्थी/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता को प्रकट करता है । पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य से यह भली-भांति सिद्ध है कि मृतका कुमारी गीता तथा मृतक सुनील की हत्या अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई थी तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र की संलिप्तता तथा इस घटना में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र की संलिप्तता पूर्णतः साबित है । प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र को झूंठा फंसाए जाने की कोई संभावना नहीं पाई जाती है । ऐसी दशा में उपरोक्त संबंध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से दिए गए तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है ।

64. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य से अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र के विरुद्ध लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. संदेह के परे सिद्ध है । ऐसी दशा में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पारित

दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

65. जहां तक दंड का प्रश्न है तो प्रस्तुत मामले में विद्वान् प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण मैथिलीशरण व हरेन्द्र को धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अंतर्गत मृत्यु दंड तथा चालीस-चालीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि मुबलिग चालीस हजार वादी को भी दिलाए जाने का आदेश पारित किया गया है ।

66. विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामला ऑनर किलिंग का है । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने परिवार के सम्मान के खातिर मृतकों की निर्ममता व क्रूरतापूर्वक हत्या कारित की है । मृतका गीता स्वयं अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की पुत्री थी । अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने कानून को अपने हाथ में लेकर अपने परिवार के सम्मान के खातिर मृतकों की हत्या कारित की है । ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रकरण विरल से विरलतम श्रेणी में आता है । यह भी तर्क रखा कि यदि माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है तो अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र जो वर्तमान में जीवित है तथा जेल में निरुद्ध है उसे शेष सम्पूर्ण जीवन तक जेल में रखा जाए ।

67. विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्न दृष्टांत **भगवान दास** बनाम **दिल्ली राज्य**[1], **दिलीप प्रेम नारायन तिवारी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] तथा **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्णा मास्टर एवं अन्य**[3] वाले मामले में दी निर्णयज विधि को भी प्रस्तुत किया है ।

68. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में मृतकों की हत्या नाजायज संबंधों के कारण होनी बताई गई है । वादी विजयपाल (अभियोजन साक्षी संख्या 1) मृतक सुनील का पिता है । उसने अपने बयान में यह बताया है कि उसके लड़के को मुलजिमानों ने इसलिए मारा कि उन्हें शक था कि उसके लड़के मृतक सुनील व मृतका गीता के नाजायज संबंध हैं । साक्ष्य में यह भी आया है कि मृतक सुनील विवाहित था । अपीलार्थी/अभियुक्त

---

[1] ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1863.
[2] (2010) 1 एस. सी. सी. 775.
[3] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071.

तथा मैथिलीशरण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में मृतक सुनील के बच्चे होने का भी कथन किया है । मृतका गीता को घटना के समय अविवाहित होना बताया गया है । इस प्रकरण की घटना रात्रि के 3.00 बजे की बताई गई है तथा श्यौराज नामक व्यक्ति के खाली पड़े मकान में मृतकों की हत्या होना बताया गया है । अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं. प्र. सं. में मृतकों के बीच कोई मुलाकात होने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है । प्रस्तुत प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं कि मृतका गीता सुनील के साथ भाग गई हो और उसने सुनील के साथ भागकर अपने परिवार की मर्जी के विरुद्ध शादी कर ली हो तथा एक साथ रहने लगे हों । जिससे अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण अपमानित महसूस करने लगे हों तथा गांव व समाज में उनकी बदनामी होने लगी हो । घटना के समय मृतक सुनील विवाहित था तथा उसके बच्चे भी थे । मृतका गीता अपना घर छोड़कर मृतक सुनील के साथ नहीं रह रही थी । कथित घटना के समय मृतक सुनील के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पाया गया और वह नग्न अवस्था में था । मृतका गीता की सलवार भी उतरी थी । इससे यही प्रकट होता है कि मृतकों को आपत्ति जनक स्थिति में देखकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण ने मृतका गीता तथा मृतक सुनील की हत्या कर दी ।

69. **भगवान दास** बनाम **दिल्ली राज्य** (उपरोक्त) वाले मामले में मृतका ने अपने पति को छोड़ दिया था और अपने चाचा के साथ नाजायज संबंध स्थापित कर उसके साथ रहने लगी थी लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में इस तरह के तथ्य नहीं हैं । प्रस्तुत मामले में मृतका गीता मृतक सुनील के साथ नहीं रह रही थी बल्कि वह अपने परिवार के साथ रह रही थी । चूंकि घटना के समय मृतक सुनील का शव नग्न अवस्था में पाया गया है और मृतका गीता की सलवार भी उतरी पड़ी थी । इससे यही जाहिर होता है कि मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उनकी हत्या कारित कर दी गई । **पंजाब राज्य** बनाम **जगतार सिंह एवं अन्य**[1] वाले मामले में अभियुक्त ने अपनी बहन परमजीत कौर तथा गुरूनाम सिंह की अपने घर में हत्या कर दी थी । विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में परमजीत कौर के प्राइवेट पार्ट पर

[1] (2011) 14 एस. सी. सी. 678.

शक्राणु भी पाए गए थे । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । इस ऑनर किलिंग के मामले में उच्च न्यायालय ने यह पाते हुए कि यह गम्भीर और अचानक प्रकोपन का मामला है अभियुक्तगण ने अपनी बहन व गुरूनाम सिंह को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर उनकी हत्या कर दी । इस प्रकार इस प्रकरण में गम्भीर और अचानक प्रकोपन का मामला पाते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के अपराध को धारा 304 भाग 1 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के स्थान पर पांच-पांच वर्ष के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जिसके विरुद्ध राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील योजित की गई । जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत होते हुए राज्य की अपील निरस्त कर दी । **दिलीप प्रेम नारायन तिवारी** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में अपीलार्थी दिलीप प्रेम नारायन तिवारी की बहन सुषमा ने एक अन्य जाति के व्यक्ति प्रभू से अन्तर्जातीय विवाह कर लिया था जिसका विरोध उसके परिवार के लोगों ने किया था । काफी समझाने के बाद भी सुषमा नहीं मानी और अपने पति प्रभू के साथ रहने लगी थी । जिसके कारण अपीलार्थी दिलीप व अन्य सह-अभियुक्त ने प्रभू तथा उसके पिता कृष्ण नोचिल तथा उसके भतीजे विजिट की हत्या कर दी थी तथा प्रभू की बहन दीपा व मां इन्द्रा को भी चोटें पहुंचाई थीं । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हुए अभियुक्तगण की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया गया कि अभियुक्तगण दिलीप व मनोज अपनी 25 साल की वास्तविक सजा काटने के पूर्व रिहा नहीं किए जाएंगे तथा अभियुक्त सुनील की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उसे 20 साल की वास्तविक सजा भुगतने का आदेश पारित किया ।

70. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्णा मास्टर एवं अन्य**[2] के मामले में मुलजिम कृष्णा मास्टर की पुत्री सोनतारा वादी झब्बू लाल के पुत्र अमर

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 775.

[2] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071.

सिंह के साथ भाग गई थी । इस घटना के कारण मुलजिमान वादी झब्बू लाल तथा उसके पड़ोसी गुलजारी लाल से नाराज थे और कथित घटना की रात्रि में अभियुक्तगण ने गुलजारी लाल के घर में घुसकर गुलजारी तथा उसकी पत्नी एवं तीन पुत्रों की हत्या कर दी थी तथा वादी के भाई बाबू राम को भी मार दिया था । इस घटना में कुल छह लोगों की हत्या हुई थी । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड तथा अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था । जिसकी अपील अभियुक्तगण द्वारा उच्च न्यायालय में योजित की गई थी । उच्च न्यायालय से अभियुक्तगण को दिनांक 12.4.2002 को दोषमुक्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध राज्य ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील संस्थित की । उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह पाते हुए कि अभियुक्तगण को उच्च न्यायालय से वर्ष 2002 में दोषमुक्त कर दिया गया था तब से अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं हुई । तद्नुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा भी भुगतने का आदेश दिया ।

71. चूंकि प स्तुत मामले में न तो मृतका गीता मृतक सुनील के साथ भागी थी और न ही उसने मृतक सुनील के साथ भागकर कोई शादी की थी तथा कथित घटना के समय मृतका गीता व मृतक सुनील एक साथ रह भी नहीं रहे थे बल्कि मृतका गीता अपने परिवार के साथ निवास कर रही थी । मृतक सुनील भी विवाहित था तथा उसके बच्चे भी थे एवं वह भी पृथक् रूप से अपने परिवार के साथ रह रहा था । पत्रावली पर इस तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि मृतकों के नाजायज संबंधों के कारण अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की गांव व समाज में बदनामी हो रही हो । चूंकि कथित घटना के समय मृतक सुनील का शव नग्न अवस्था में पाया गया है और मृतका गीता की सलवार भी उतरी थी । इससे यही जाहिर होता है कि मृतकों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण ने उनकी हत्या कर दी । अतएव प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विचार से यह मामला

विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है । ऐसी दशा में हमारे विचार से प्रस्तुत मामले में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा ।

72. चूंकि प्रस्तुत मामले के दौरान अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की मृत्यु हो चुकी है । ऐसी दशा में उसके विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश प्रभावहीन हो गया है । ऐसी दशा में अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण के विरुद्ध पारित दण्डादेश में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

73. जहां तक अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र का प्रश्न है तो वह वर्तमान में जेल में निरुद्ध है । अतएव अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र के विरुद्ध पारित मृत्यु दण्ड का आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र को धारा 302 सपठित धारा 34 भा. दं. सं. के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड के स्थान पर आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है । तद्नुसार अपीलार्थी/अभियुक्त हरेन्द्र की अपील आंशिक रूप से मृत्यु दण्ड के बिन्दु पर स्वीकार की जाती है ।

74. अपीलार्थी/अभियुक्त मैथिलीशरण की ओर से दाखिल की गई अपील निरस्त की जाती है ।

75. संदर्भ संख्या 06 वर्ष 2012 निरस्त किया जाता है ।

76. निर्णय की प्रति एवं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाए ।

दिनांक 23.7.2013

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

———

आनन्द पासी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

तारीख 13 सितम्बर, 2013

न्यायमूर्ति अनिल कुमार शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 293 और 313 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 45] – डीएनए रिपोर्ट की ग्राह्यता – डीएनए रिपोर्ट धारा 293 के अधीन तब तक ग्राह्य नहीं होगी जब तक यह साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप साबित नहीं की जाती ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण का सामना कर रहा है और मामले में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दलीलें समाप्त किए जाने के पश्चात् तारीख 13 मार्च, 2013 अभियोजन द्वारा उत्तर दिए जाने के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई थी । शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथित करते हुए तारीख 13 मार्च, 2013 को दलीलें देने के बजाय एक आवेदन फाइल किया गया कि हैदराबाद से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसको अभिलेख पर प्रस्तुत कर दिया गया है जो बिना औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य है, अतः उसको साक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन का आवेदन मंजूर किया और डीएनए रिपोर्ट धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए पुनरीक्षणकर्ता के अतिरिक्त कथन में सम्मिलित किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी । पुनरीक्षणकर्ता ने डीएनए रिपोर्ट को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके अतिरिक्त कथन में सम्मिलित किए जाने वाले विद्वान् सेशन न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर यह दांडिक पुनरीक्षण फाइल किया है । पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विधान-मण्डल ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए किसी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को सम्मिलित करते हुए धारा 293 की परिधि को विस्तारित किया, किंतु उसने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी करते हुए इस बाबत एक अनुवृद्धि कर दी । यह उल्लेख

किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा कि विजय कुमार वाले मामले में डीएनए रिपोर्ट को विशेषज्ञ कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक, अभि. सा. 29 द्वारा साबित किया गया था । जिसने डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया था और अपीलार्थी के डीएनए नमूनों का मिलान उस रक्त से किया था, जो आहत के कपड़ों पर पाया गया था । अतः विजय कुमार और गीता वाले मामले प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में अभियोजन की सहायता नहीं करते । इन परिस्थितियों में कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता किंतु यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि हैदराबाद स्थित सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स की डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन साक्ष्य में नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि वह साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साबित नहीं हो जाती । वर्तमान मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय के डीएनए रिपोर्ट की स्वीकार्यता के बारे में केंद्रीय प्रश्न पर विचार किए बिना और उसको विधि अनुसार साबित हुए बिना ही विधिविरुद्ध तरीके से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परिवादी का अतिरिक्त कथन अभिलिखत किए जाने के लिए अग्रसर हुआ । अतः, विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया । प्रश्नगत डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता का अतिरिक्त कथन अभिलिखित किए जाते समय उसके समक्ष केवल तभी रखी जा सकती थी यदि उसकी शुद्धता प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा स्वीकार की जाती या उसको विधि के उपबंधों के अनुसार सम्बद्ध विशेषज्ञ का परीक्षण किए जाने के द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया जाता । विचारण न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन विशेषज्ञ तलब किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, यदि अभियोजन द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है । (पैरा 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2005]	2005 क्रिमिनल ला जर्नल 2780 : **गीता** बनाम **केरल राज्य** ;	9
[2004]	(2004) 8 एस. सी. सी. 660 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5056 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मस्तराम** ।	8, 9

दांडिक (पुनरीक्षण) अधिकारिता : 2013 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 955.

2009 के सेशन विचारण संख्या 73 में इलाहाबाद के अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 9 द्वारा पारित तारीख 13 मार्च, 2012 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से श्री राजीव लोचन शुक्ला

प्रत्यर्थियों की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता

न्यायमूर्ति अनिल कुमार शर्मा – पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री राजीव लोचन शुक्ला और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् सहायक शासकीय अधिवक्ता और साथ ही इलाहाबाद के जिला शासकीय काउंसेल (दांडिक), जिनको इस न्यायालय द्वारा तारीख 23 मई, 2012 के आदेश द्वारा तलब किया गया है, को सुना गया ।

2. इस पुनरीक्षण द्वारा इलाहाबाद जिला के सिविल लाइन्स थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन 2009 के सेशन विचारण संख्या 73 में इलाहाबाद के अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 9 द्वारा पारित तारीख 13 मार्च, 2013 के आदेश, जिसके द्वारा प्रतिरक्षा पक्ष की दलीलें समाप्त होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष का आवेदन मंजूर किया गया और पुनरीक्षणकर्ता को डीएनए रिपोर्ट, जो कागज संख्या 32-ए/2 से 32-ए/10 है, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके अतिरिक्त कथन में सम्मिलित किए जाने को चुनौती दी गई है ।

3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित आदेश पर अभ्याक्रमण करते हुए दृढ़तापूर्वक दलील दी कि डीएनए रिपोर्ट बिना औपचारिक सबूत के, जैसा कि विधि के अधीन अपेक्षित है, साक्ष्य में तब तक स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं कर दिया जाता कि उस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 और 294 को दृष्टि में रखते हुए विचार नहीं किया जा सकता, इसलिए अभियुक्त से उसका स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।

4. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा फाइल किए गए शपथपत्र के परिशीलन से यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन विचारण का सामना कर रहा है और

मामले में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा दलीलें समाप्त किए जाने के पश्चात् तारीख 13 मार्च, 2013 अभियोजन द्वारा उत्तर दिए जाने के प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई थी । शिकायतकर्ता द्वारा तारीख 13 मार्च, 2013 को दलीलें देने के बजाय एक आवेदन फाइल किया गया जिसको सम्बद्ध अपर जिला शासकीय काउंसेल (दांडिक) द्वारा सम्यक् रूप से यह अभिकथित करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि हैदराबाद से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उसको अभिलेख पर प्रस्तुत कर दिया गया है, जो बिना औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य है, अतः उसको साक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए । इस आवेदन को उसी दिन विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए निस्तारित कर दिया गया था :–

"मामले में पुकार कराई गई । अभियुक्त जेल से उपस्थित हैं ।

आज अभियोजन की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा उत्तर फाइल किए जाने की तारीख निर्धारित है ।

अभियोजन के विद्वान् काउंसेल ने उत्तर फाइल किए जाने के स्थान पर एक आवेदन फाइल किया कि डीएनए रिपोर्ट को साक्ष्य में पढ़ा जाए ।

अभियुक्त और अभियोजन के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि आवेदन मात्र विलम्ब कारित किए जाने के प्रयोजनार्थ फाइल किया गया है और अभियुक्त पांच माह से अधिक समय से जेल में बन्द है ।

अभियोजन के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि डीएनए रिपोर्ट पहले से फाइल पर उपलब्ध है किंतु अभियुक्त से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कोई भी प्रश्न डीएनए के बाबत नहीं पूछा गया ।

फाइल के परिशीलन से दर्शित होता है कि डीएनए रिपोर्ट जो कागज संख्या 32-ए/2 से 32-ए/10 है, पहले से, अतिरिक्त केस डायरी संख्या 32-ए/1 और तारीख 12 जनवरी, 2011 के आदेश, जिसके द्वारा पत्रावली पर रखे जाने हेतु आदेशित किया गया, फाइल पर मौजूद है ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन के परिशीलन से दर्शित होता है कि गलती या चूक के कारण डीएनए

रिपोर्ट के बाबत कोई प्रश्न नहीं पूछा गया ।

अतः न्याय हित में यह आवश्यक है कि अभियुक्त से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्येक साक्ष्य के बाबत प्रश्न पूछे जाएं जिससे कि अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा के समर्थ बनाया जा सके ।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अतिरिक्त कथन अभिलिखित किए जाने के प्रयोजनार्थ मामला तारीख 14 मार्च, 2013 को प्रस्तुत किया जाए । अभियोजन का आवेदन तद्नुसार निस्तारित किया जाता है ।"

तारीख 21 मई, 2013 को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना दर्शित करने में असमर्थ रहे हैं जिसके आधार पर सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 393 के अधीन साक्ष्य में ग्रहण की जा सकती है ।

इलाहाबाद के जिला शासकीय अधिवक्ता (डी. जी. सी.) समुचित अधिसूचना से न्यायालय को अवगत कराने के लिए अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों ।

मामला तारीख 4 जुलाई, 2013 को प्रस्तुत हो ।

इस दौरान अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया अतिरिक्त कथन इलाहाबाद के अपर सेशन न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 9 द्वारा 2009 द्वारा सेशन विचारण संख्या 73 में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि डीएनए रिपोर्ट विधि अनुसार साबित नहीं कर दी जाती या केन्द्रीय सरकार को किसी अधिसूचना के आधार पर निचले न्यायालय के समाधान के प्रयोजनार्थ यह दर्शित नहीं कर दिया जाता कि डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के अधीन बिना किसी औपचारिक सबूत के ग्राह्य है ।

इस आदेश की एक प्रति विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता को तीन दिनों के भीतर दी जाए ।"

5. तारीख 11 जुलाई, 2013 को न्यायालय द्वारा तारीख 23 मई, 2013 को पारित आदेश के अनुपालन में इलाहाबाद के जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आर. पी. सिंह उपस्थित हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा के मुख्यालय द्वारा जारी तारीख 11 फरवरी, 2010 के पत्र संख्या टी. एस. 2002(1)/298 जो अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है और समस्त पुलिस महानिदेशकों रेलवे, पी. ए. सी., सी. बी. सी. आई. डी., पुलिस के समस्त महानिदेशकों, राज्य के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षकों और लखनऊ, आगरा और वाराणसी स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं के भारसाधक निदेशकों और संयुक्त निदेशकों को संबोधित है, की फोटोकापी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की । इस पत्र का प्रसंग नीचे प्रत्युत्पादित किया गया है :–

(वर्णकुलर विषयवस्तु को विलुप्त किया गया ।)

6. विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुनरीक्षणकर्ता के काउंसेल की दलीलों का खण्डन करते हुए दलील दी कि हैदराबाद स्थित सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स की डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(i) के अधीन ग्राह्य है । इस प्रतिपादना के समर्थन में दिल्ली उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा तारीख 3 जुलाई, 2012 को निर्णीत 2007 की दांडिक अपील संख्या 620, विनय कुमार बनाम राज्य और 2007 की दांडिक अपील संख्या 826 मुनीश कुमार बनाम राज्य वाले मामलों का अवलंब लिया गया जिनमें यह मताभिव्यक्ति की गई :–

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन किसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण या विश्लेषण के लिए सम्यक् रूप से प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कतिपय परिस्थितियों के अधीन उस विशेषज्ञ का परीक्षण किए बिना साक्ष्य में प्रयोग की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** मस्तराम (2004) 8 एस. सी. सी. 660 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5056 वाले मामले में अभिनिर्धारित किया है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की रिपोर्ट इस आधार पर अस्वीकृत नहीं की जा सकती कि सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जिसने उसको जारी किया है, का उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा की उपधारा (4) के अधीन नहीं किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने फिर भी यही अभिनिर्धारित किया कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की रिपोर्ट, जिसको किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा जारी किया

गया है, धारा 293 की उपधारा (1) के अधीन एक ऐसी रिपोर्ट के रूप में साक्ष्य में स्वीकार की जानी चाहिए । इसलिए, सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/ए, जिसको श्री एस. पी. आर. प्रसाद, अभि. सा. 29 के कथन में साबित भी किया गया, पर विचार किया जा सकता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन ग्राह्य है और इसका अनदेखा नहीं किया जा सकता ।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 17 मार्च, 2005 को निर्णीत 2002 की अपील संख्या 8850, गीता **बनाम** केरल राज्य 2005 क्रिमिनल ला जर्नल 2780 वाले मामले में दिए गए विनिश्चय का भी अवलंब यह दलील दिए जाने के प्रयोजनार्थ लिया गया कि सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स द्वारा जारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन विशेषज्ञ के परीक्षण के बिना साक्ष्य में स्वीकृत की जा सकती है ।"

7. इलाहाबाद के जिला शासकीय काउंसेल (दांडिक) और विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता हैदराबाद स्थित सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स के वैज्ञानिक विशेषज्ञ की डीएनए रिपोर्ट स्वीकार किए जाने का उपबंध करने वाली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(4)(छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । संहिता की धारा 293 उपबंधित करती है कि सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की रिपोर्टें संहिता के अंतर्गत किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं । यह धारा इस प्रकार है :–

"**293. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट** – (1) कोई दस्तावेज़, जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की, जिसे यह धारा लागू होती है, इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए सम्यक् रूप से उसे भेजी गई किसी सामग्री या चीज़ के बारे में स्वहस्ताक्षरित रिपोर्ट होनी तात्पर्यित है, इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर उपयोग में लाई जा सकेगी ।

(2) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी रिपोर्टों की विषयवस्तु के बारे में

उसकी परीक्षा कर सकेगा ।

(3) जहां ऐसे किसी विशेषज्ञ को न्यायालय द्वारा समन किया जाता है और वह स्वयं हाजिर होने में असमर्थ है वहां, उस दशा के सिवाय जिससे न्यायालय ने उसे स्वयं हाजिर होने के लिए स्पष्ट रूप से निदेश दिया है, वह अपने साथ काम करने वाले किसी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्ति कर सकता है यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत है तथा न्यायालय में उसकी ओर से समाधानप्रद रूप में अभिसाक्ष्य दे सकता है ।

(4) यह धारा निम्नलिखित सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है, अर्थात् –

(क) सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक,

(ख) मुख्य विस्फोटक निरीक्षक,

(ग) अंगुली-छाप ब्यूरो निदेशक,

(घ) हाफकीन संस्थान मुम्बई निदेशक,

(R) किसी केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला का निदेशक [उप-निदेशक या सहायक निदेशक,]

(च) सरकारी सीरम विज्ञानी,

(छ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ ।'

8. राज्य की ओर से काउंसेलों द्वारा उद्धृत दोनों मामलों में **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **मस्तराम**[1] वाले मामले का अवलंब लिया गया है । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चंडीगढ़ के केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला के प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट पर विचार कर रहा था । विवाद्यक पर विचार करते हुए रिपोर्ट के पैरा 6 में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की गई जो इस प्रकार है :–

[1] (2004) 8 एस. सी. सी. 660 = ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 5056.

"द्वितीयतः वे आधार जिन पर उच्च न्यायालय ने, अभियोजन के वृत्तांत को नकार दिया, प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट है । प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) एक कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी । उच्च न्यायालय के अनुसार, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्राक्षेपिकी) को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) के अधीन उल्लिखित नहीं किया गया है और इसलिए उसके परीक्षण की अनुपस्थिति में वह रिपोर्ट साक्ष्य में पढ़ी नहीं जा सकती । हमारे विचार में उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया उक्त कारण भी भ्रामक है । प्रथमतः न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (प्रदर्श पी. एक्स.) चंडीगढ़ की केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला के कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्राक्षेपिकी) द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत की गई है । इस बाबत कोई विवाद नहीं है कि रिपोर्ट सरकारी वैज्ञानिक अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रस्तुत की गई है । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(1) आदेशित करती है कि कोई दस्तावेज़ जो तात्पर्यित रूप से इस धारा के अधीन किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट है और जिसको किसी मामले या बात के बाबत परीक्षण या विश्लेषण के लिए सम्यक् रूप से उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जा सकती है । उच्च न्यायालय ने धारा 293(1) की उपधारा (1) के उपबंध का पूरी तरह से अनदेखा किया और इस भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी धारा 293 की उपधारा (4) के अधीन उल्लिखित अधिकारी नहीं होता । धारा 293 की उपधारा 4 परिकल्पित करती है कि न्यायालय को उसमें उल्लिखित छः अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ों को दस्तावेज़ों के रचयिता का परीक्षण किए बिना विधिमान्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए ।"

9. **गीता** और **मस्तराम** (उपरोक्त) वाले मामलों में दिए गए निर्णय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) में उप-खण्ड (छ) के संयोजन के पूर्व दिए गए थे । ये निर्णय क्रमशः तारीख 17 मार्च, 2005 और 10 सितंबर, 2003 को उद्घोषित किए गए थे, जबकि उप-खण्ड (छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) में 2005 के अधिनियम संख्या 25 की धारा 26(ख) द्वारा तारीख 23 जून, 2006 से

जोड़ी गई थी । अतः न्यायालयों को कोई आवश्यकता नहीं कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 की उपधारा (4) में उप-खण्ड (छ) के समावेशन के उद्देश्य, परिधि और प्रभाव पर विचार करते । इस तथ्य का उल्लेख **विजय कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं किया गया । यद्यपि संहिता की संपूर्ण धारा 293 उस निर्णय के पैरा 59 में प्रत्युत्पादित कर दी गई थी, किंतु उप-खण्ड (छ) अविद्यमान थी । विधान-मण्डल ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए किसी अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को सम्मिलित करते हुए धारा 293 की परिधि को विस्तारित कर दिया, किंतु उसने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी विनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी करते हुए इस बाबत एक अनुवृद्धि कर दी । यह उल्लेख किया जाना भी महत्वपूर्ण होगा कि **विजय कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में डीएनए रिपोर्ट विशेषज्ञ कनिष्ठ तकनीकी परीक्षक, अभि. सा. 29 द्वारा साबित की गई थी जिसने डीएनए नमूनों का विश्लेषण किया था और अपीलार्थी के डीएनए नमूनों का मिलान उस रक्त से किया, जो आहत के कपड़ों पर पाया गया था । अतः **विजय कुमार** (उपरोक्त) और **गीता** (उपरोक्त) वाले मामले, प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में अभियोजन की सहायता नहीं करते । इन परिस्थितियों में कोई अन्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता किंतु यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि हैदराबाद स्थित सेंटर फार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स की डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 के अधीन साक्ष्य में नहीं पढ़ी जा सकती जब तक कि वह साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार साबित नहीं हो जाती ।

10. वर्तमान मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय के डीएनए रिपोर्ट की स्वीकार्यता के बारे में केंद्रीय प्रश्न पर विचार किए बिना और उसको विधि अनुसार साबित हुए बिना ही विधिविरुद्ध तरीके से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परिवादी का अतिरिक्त कथन अभिलिखित किए जाने के लिए अग्रसर हुआ । अतः, विद्वान् विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करके अपनी अधिकारिता का उल्लंघन किया । प्रश्नगत डीएनए रिपोर्ट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन पुनरीक्षणकर्ता का अतिरिक्त कथन अभिलिखित किए जाते समय उसके समक्ष केवल तभी रखी जा सकती थी यदि उसकी शुद्धता को प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया था या उसको विधि के उपबंधों के अनुसार सम्बद्ध विशेषज्ञ का परीक्षण किए जाने के द्वारा सम्यक् रूप से साबित किया गया

था । विचारण न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन विशेषज्ञ को तलब किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, यदि अभियोजन द्वारा इस प्रकार का कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

11. पूर्वोक्त चर्चा का उचित परिणाम यह है कि आक्षेपित आदेश मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं है । पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और तारीख 13 मार्च, 2012 का आदेश अपास्त किया जाता है ।

पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जाती है ।

शु.

(2014) 1 दा. नि. प. 806 **उत्तराखंड**

देवराज गोयल

बनाम

उत्तराखंड राज्य

तारीख 21 मई, 2013

न्यायमूर्ति आलोक सिंह

स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42 – तलाशी और अभिग्रहण – यदि अपराध के संबंध में प्राप्त की गई सूचना को लिखा नहीं जाता और अधिनियम की धारा 42 का अननुपालन किया गया है तो अपीलार्थी-अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं होगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 164 – संस्वीकृति कथन – जहां मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी-अभियुक्त को कथन करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता तब अपीलार्थी-अभियुक्त का संस्वीकृति कथन विश्वसनीय नहीं होगा ।

मामले के तथ्य अन्य बातों के साथ संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यू. आर. आर्या के साथ उप-निरीक्षक प्रकाश राम विश्वकर्मा, उप-निरीक्षक,

खुशाल सिंह , हेड कांस्टेबल प्रमोद सिंह, कांस्टेबल दीपक कापरी सरकारी यान में पुलिस थाना से चले थे जिसे गाड़ियों की जांच हेतु ड्राइवर इन्दर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था । जब पुलिस दल ललुवापानी तिराहे पर यान की जांच कर रहा था उसी बीच कांस्टेबल अनीष अहमद, कांस्टेबल महेन्द्र गिरी, कांस्टेबल दीपक खनका, कांस्टेबल दलीप कुमार, जो एस ओ जी दल के थे, ललुवापानी तिराहे पर लगभग 2.00 बजे अपराह्न पहुंचे और पुलिस दल का मुखिया अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या ने यह कहा कि उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि कार खेती खान की ओर से आ रही है तथा यह गुप्त सूचना प्राप्त की गई कि उसमें चरस लाई जा रही है; एस ओ जी दल से ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात् यू. आर. आर्या ने सार्वजनिक लोगों के सदस्यों से स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए अनुरोध किया, तथापि, उनमें से कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए सहमत नहीं हुआ, परिणामस्वरूप, अभि. सा. 1 पुलिस दल के अन्य सदस्यों के साथ तथा एस ओ जी दल के सदस्यों के साथ पूनावे तिराहे पर पहुंचे जहां से एक सड़क सिक्ती की ओर जाती है । सरकारी वाहन सिक्ती की ओर जाने वाली सड़क पर खड़ी कर दी गई तथा पुलिस कार्मिक संदेहास्पद कार का इंतजार करने लगे; कुछ समय पश्चात् कार ग्राम नरियाल की ओर से आती हुई दिखी; कार को रोकने का संकेत दिया गया और कार पूनावे तिराहे के नजदीक रुक गई; पुलिस कार्मिकों ने कार को चारों ओर से घेर लिया तथा यह देखा कि एक व्यक्ति कार चला रहा है जबकि दूसरा कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है; कार के अधिभोगियों से पुलिस द्वारा यह कहा गया था कि उनके पास विश्वसनीय गुप्त सूचना है कि वे चरस ले जा रहे हैं अतः यदि उनकी इच्छा है तो उनकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है; इस पर कार के अधिभोगियों ने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी लिए जाने की इच्छा प्रकट की । श्री अनुराग आर्या, तहसीलदार, चम्पावत को मोबाइल फोन सं. 9411423317 से यह सूचना दी गई तथा उनसे घटनास्थल पर आने का अनुरोध किया गया; कुछ समय के पश्चात् अनुराग आर्या अपनी सरकारी गाड़ी में घटनास्थल पर पहुंचे; और उन्हें सम्पूर्ण घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाया गया । इसके पश्चात्, कार के दोनों अधिभोगियों से अपनी पहचान को प्रकट करने के लिए कहा गया । एक व्यक्ति जो कार चला रहा था उसने अपना नाम वजीर सिंह मलिक पुत्र सरदार सिंह बताया तथा ललित खैरा, पुलिस थाना जिंद सदर जिला जिंद हरियाणा का निवासी

बताया; उसकी तलाशी करने पर ड्राइवर के बगल की सीट के सामने एक प्लास्टिक थैला रखा हुआ पाया गया था; थैले को बाहर निकाला गया और उसमें चरस पाई गई थी तथा उसकी निजी तलाशी लेने पर 1,650/- रुपए नकद पाए गए थे जो वजीर सिंह मलिक से बरामद हुए थे; कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम देवराज गोयल पुत्र चतुर गोयल, ग्राम गढ़वाल पुलिस थाना बड़ौदा जिला सोनीपत का निवासी बताया; देवराज गोयल के पैरों के बीच एक थैला पाया गया था और उस थैले से भी चरस बरामद की गई थी । उसकी निजी तलाशी लेने पर एक नोकिया मोबाइल और 3,630/- रुपए बरामद किए गए थे । अगली सीट से बरामद किए गए थैले से 10 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी जबकि पिछली सीट से बरामद किए गए थैले से 11.800 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी; इस तरह बरामद की गई चरस को भिन्न-भिन्न मोहरबंद लिफाफों में सील लगाकर रखा गया था और उन पर अभि. सा. 1 के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे; इसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी और विनिषिद्ध माल जिसे बरामद किया गया था पुलिस थाना ले जाया गया और चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 1 अगस्त, 2011 को 6.50 बजे अपराह्न रजिस्ट्रीकृत की गई थी । मामले का अन्वेषण उप-निरीक्षक श्वेता तिवारी को सौंपा गया था । उप-निरीक्षक श्वेता तिवारी, अन्वेषक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए तारीख 2 अगस्त, 2011 को विशेष सेशन न्यायाधीश चम्पावत के समक्ष आवेदन पेश किया गया था । विद्वान् विशेष न्यायाधीश चम्पावत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दिया था । तारीख 3 अगस्त, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए गए थे । अन्वेषक अधिकारी श्वेता तिवारी ने मामले में अन्वेषण किया और दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् रूप से आरोप पत्र फाइल किए जिस पर अपीलार्थी वजीर सिंह मलिक के विरुद्ध 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 13 जबकि अपीलार्थी देवराज गोयल के विरुद्ध 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 14 रजिस्ट्रीकृत किया गया था । दोनों विचारणों को समेकित किया गया था और विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से यू. आर. आर्या, प्रकाश राम विश्वकर्मा, कांस्टेबल मनोज कुमार, अन्वेषक अधिकारी श्वेता तिवारी,

कांस्टेबल मनोज कुमार तथा प्रकाश सिंह सून की परीक्षा की गई थी । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के कथन अभिलिखित किए गए थे । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश चम्पावत ने वर्तमान अपीलों में निर्णय और आदेश पारित किया था । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यद्यपि कोई कठोर नियम समय के बारे में विरचित नहीं किया जा सका है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने के पूर्व अभियुक्त व्यक्ति को मंजूर किया जाना चाहिए । तथापि, अभियुक्त के लिए संस्वीकृति कथन किए जाने से पूर्व सोच-विचार करने के लिए न्यूनतम 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए । न्यायिक संस्वीकृति स्वैच्छिक रूप से नहीं दी गई हो तो अविश्वसनीय है तथा संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्वीकृति कथन पुलिस के बिना दबाव के या उत्पीड़न के स्वैच्छिक होना चाहिए । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस के बंदीगृह से अपीलार्थियों को निकालने के पश्चात् कारागार भेजा जाना चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि संस्वीकृति कथन उसे अभिलिखित किए जाने से पूर्व उनके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किए जाने के तरीके पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । न्यायालय की विचारित राय यह है कि अपीलार्थियों का संस्वीकृति कथन जो इस तरह अभिलिखित किया गया है, अभियोजन पक्ष की कोई सहायता नहीं करता । अपीलार्थी वजीर सिंह मलिक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह कहा है कि वह कार चला रहा था और दलीप सिंह नाम का व्यक्ति भी कार में था और उसने कार में उन थैलों को रखा था तथापि, पुलिस ने उसे जाने दिया और दोनों अपीलार्थियों को मिथ्या रूप से फंसाया । इस न्यायालय का विचारित मत यह है कि धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन करने पर और सरवन सिंह तथा रवीन्द्र कुमार वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत का अननुपालन किया गया, इसलिए, धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन अपने महत्व को खो देता है । अतः, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा । पूर्वगामी

कारणों पर विचार करते हुए न्यायालय की विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है, अतः, सभी अपीलें मंजूर की जाती हैं और विशेष सेशन न्यायाधीश, चम्पावत द्वारा 2011 के विशेष सेशन विचारण सं. 13 तथा 2011 के विशेष सेशन सं. 14 में तारीख 8 नवंबर, 2012 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी कारागार में हैं यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो तत्काल निर्मुक्त किए जाएं । (पैरा 19, 20, 21 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 2 एस. सी. सी. 502 =
ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 357 :
किशन चन्द बनाम **हरियाणा राज्य** ; 10, 11, 12

[2011] (2011) 2 एस. सी. सी. 490 =
ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1436 :
रवीन्द्र कुमार पाल बनाम **भारतीय गणराज्य** ; 18, 21

[1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637 :
सरवन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** । 17, 21

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 372.

विशेष सेशन न्यायाधीश चम्पावत द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एम. एस. पाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, विपुल शर्मा और राजेश कुमार शर्मा, न्यायमित्र

राज्य की ओर से सर्वश्री के. एस. रौतेला, सहायक सरकारी अभिवक्ता और पी. एस. दामू, ब्रीफ होल्डर

न्यायमूर्ति आलोक सिंह – ये सभी तीनों अपीलें 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 13 और 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 14 में

विशेष सेशन न्यायाधीश चम्पावत द्वारा तारीख 8 नवंबर, 2012 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा दोनों अपीलार्थी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाए गए थे और दोनों को 10 वर्ष के कठोर कारावास भोगने तथा अलग-अलग 2,00,000/- रुपए (2 लाख रुपए) के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. अपीलार्थी वजीर सिंह मलिक ने श्री विपुल शर्मा, अधिवक्ता के माध्यम से एक अपील फाइल की और दूसरी कारागार प्राधिकारियों की ओर से । चूंकि सभी अपीलें अंतः संबंधित तथा एक ही बात के संबंध में हैं इसलिए, इन सभी अपीलों का सामान्य निर्णय के अंतर्गत एक साथ विचार किया जा रहा है और दोनों पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की सहमति से सामान्य निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है ।

3. वर्तमान मामले के तथ्य अन्य बातों के साथ संक्षेप में इस प्रकार हैं कि यू. आर. आर्या (अभि. सा. 1) के साथ उप-निरीक्षक प्रकाश राम विश्वकर्मा (अभि. सा. 2), उप-निरीक्षक, खुशाल सिंह, हेड कांस्टेबल प्रमोद सिंह, कांस्टेबल दीपक कापरी सरकारी यान जिसकी सं. यूए 03-4747 है, में पुलिस थाना से चले थे जिसे गाड़ियों की जांच हेतु ड्राइवर इन्दर सिंह द्वारा चलाया जा रहा था, देखिए रिपोर्ट सं. 21 लगभग 12.20 बजे अपराह्न । जब पुलिस दल ललुवापानी तिराहे पर यान की जांच कर रहा था उसी बीच कांस्टेबल अनीष अहमद, कांस्टेबल महेन्द्र गिरी, कांस्टेबल दीपक खनका, कांस्टेबल दलीप कुमार, जो एस ओ जी दल के थे, ललुवापानी तिराहे पर लगभग 2.00 बजे अपराह्न पहुंचे और पुलिस दल का मुखिया अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या ने यह कहा कि उन्हें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि कार सं. एचआर 56-6013 खेती खान की ओर से आ रही है तथा यह गुप्त सूचना प्राप्त की गई कि उसमें चरस लाई जा रही है; एस ओ जी दल से ऐसी सूचना प्राप्त करने के पश्चात् अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या ने सार्वजनिक लोगों के सदस्यों से स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए अनुरोध किया, तथापि, उनमें से कोई भी स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए सहमत नहीं हुआ, परिणामस्वरूप, अभि. सा. 1 पुलिस दल के अन्य सदस्यों के साथ तथा एस ओ जी दल के सदस्यों के साथ पूनावे तिराहे पर पहुंचे जहां से एक सड़क सिक्ती की ओर जाती है । सरकारी वाहन सिक्ती की ओर जाने वाली सड़क पर खड़ी कर दी गई तथा पुलिस कार्मिक संदेहास्पद

कार का इंतजार करने लगे; कुछ समय पश्चात् कार सं. एचआर 56-6013 ग्राम नरियाल की ओर से आती हुई दिखी; कार को रोकने का संकेत दिया गया और कार पूनावे तिराहे के नजदीक रुक गई; पुलिस कार्मिकों ने कार को चारों ओर से घेर लिया तथा यह देखा कि एक व्यक्ति कार चला रहा है जबकि दूसरा कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है; कार के अधिभोगियों से पुलिस द्वारा यह कहा गया था कि उनके पास विश्वसनीय गुप्त सूचना है कि वे चरस ले जा रहे हैं अतः यदि उनकी इच्छा है तो उनकी तलाशी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है; इस पर कार के अधिभोगियों ने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी लिए जाने की इच्छा प्रकट की । श्री अनुराग आर्या, तहसीलदार, चम्पावत को मोबाइल फोन सं. 9411423317 से यह सूचना दी गई तथा उनसे घटनास्थल पर आने का अनुरोध किया गया; कुछ समय के पश्चात् अनुराग आर्या अपनी सरकारी गाड़ी में घटनास्थल पर पहुंचे; और उन्हें सम्पूर्ण घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाया गया । इसके पश्चात्, कार के दोनों अधिभोगियों से अपनी पहचान को प्रकट करने के लिए कहा गया । एक व्यक्ति जो कार चला रहा था उसने अपना नाम वजीर सिंह मलिक पुत्र सरदार सिंह बताया तथा ललित खैरा, पुलिस थाना जिंद सदर जिला जिंद हरियाणा का निवासी बताया; उसकी तलाशी करने पर ड्राइवर के बगल की सीट के सामने एक प्लास्टिक थैला रखा हुआ पाया गया था; थैले को बाहर निकाला गया और उसमें चरस पाई गई थी तथा उसकी निजी तलाशी लेने पर 1,650/- रुपए नकद पाए गए थे जो वजीर सिंह मलिक से बरामद हुए थे; कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम देवराज गोयल पुत्र चतुर गोयल, ग्राम गढ़वाल पुलिस थाना बड़ौदा जिला सोनीपत का निवासी बताया; देवराज गोयल के पैरों के बीच एक थैला पाया गया था और उस थैले से भी चरस बरामद की गई थी । उसकी निजी तलाशी लेने पर एक नोकिया मोबाइल और 3,630/- रुपए बरामद किए गए थे । अगली सीट से बरामद किए गए थैले से 10 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी जबकि पिछली सीट से बरामद किए गए थैले से 11.800 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी; इस तरह बरामद की गई चरस को भिन्न-भिन्न मोहरबंद लिफाफों में सील लगाकर रखा गया था और उन पर अभि. सा. 1 के हस्ताक्षर भी करवाए गए थे; इसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी और विनिषिद्ध माल जिसे बरामद किया गया था पुलिस थाना ले जाया गया और चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 1

अगस्त, 2011 को 6.50 बजे अपराह्न रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

4. मामले का अन्वेषण उप-निरीक्षक श्वेता तिवारी (अभि. सा. 4) को सौंपा गया था । उप-निरीक्षक श्वेता तिवारी, अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 4) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए तारीख 2 अगस्त, 2011 को विशेष सेशन न्यायाधीश चम्पावत के समक्ष आवेदन पेश किया गया था । विद्वान् विशेष न्यायाधीश चम्पावत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दिया था । तारीख 3 अगस्त, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के संस्वीकृति कथन अभिलिखित किए गए थे ।

5. अन्वेषक अधिकारी श्वेता तिवारी (अभि. सा. 4) ने मामले में अन्वेषण किया और दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् रूप से आरोप पत्र फाइल किए जिस पर अपीलार्थी वजीर सिंह मलिक के विरुद्ध 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 13 जबकि अपीलार्थी देवराज गोयल के विरुद्ध 2011 का विशेष सेशन विचारण सं. 14 रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

6. दोनों विचारणों को समेकित किया गया था और विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से यू. आर. आर्या (अभि. सा. 1), प्रकाश राम विश्वकर्मा (अभि. सा. 2), कांस्टेबल मनोज कुमार (अभि. सा. 3), अन्वेषक अधिकारी श्वेता तिवारी (अभि. सा. 4), कांस्टेबल मनोज कुमार (अभि. सा. 5) तथा प्रकाश सिंह सून (अभि. सा. 6) की परीक्षा की गई थी । इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दोनों अपीलार्थियों के कथन अभिलिखित किए गए थे ।

7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन करने पर विद्वान् विशेष न्यायाधीश चम्पावत ने वर्तमान अपीलों में निर्णय और आदेश पारित किया था ।

8. मैंने अपीलार्थियों की ओर से श्री एम. एस. पाल, ज्येष्ठ अधिवक्ता और राज्य की ओर से श्री के. एस. रौतेला अपर सराकारी अधिवक्ता जिनकी सहायता श्री पी. एस. दानू, ब्रीफ होल्डर द्वारा की गई, सुना तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया ।

9. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता श्री के. एस. रौतेला ने पूछे जाने पर

ऋजुपूर्वक यह दलील दी कि एस ओ जी से सूचना प्राप्त करने का यह प्रभाव हुआ कि यान सं. एचआर 56-6013 में चरस का परिवहन किया जा रहा था, अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या ने लिखित में सूचना नहीं लिखी थी । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि समय के अभाव को देखते हुए सूचना को लिखित में नहीं लिखा जा सका परंतु तहसीलदार को इस घटना के बारे में सूचना दी गई थी और उनसे घटनास्थल पर पहुंचने का अनुरोध किया गया था । तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचा और उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई थी अतः स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया था ।

10. **किशन चन्द** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार किया गया । पैरा 19 में यह मत व्यक्त किया गया जो इस प्रकार है :–

> "19. अधिनियम की धारा 42 या 50 की भांति उपबंध ऐसे उपबंध हैं जिसमें निश्चित अनुपालन अपेक्षित हैं जहां पर सारभूत अनुपालन के सिद्धांतों का विरोध किया गया है । करनैल सिंह [(2009) 8 एस. सी. सी. 539 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5465] वाले मामले में संविधान पीठ ने यह अपवाद प्रकट किया है जो सारभूत अनुपालन पर आधारित नहीं है परंतु यह विलंब अनुपालन पर आधारित है जिसका निश्चित और विश्वसनीय आधारों द्वारा सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है ।"

11. **किशन चन्द** (उपरोक्त) वाले मामले में पुलिस दल ने गुप्त सूचना प्राप्त की थी जब पुलिस दल गश्त ड्यूटी पर था । इन परिस्थितियों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि गुप्त सूचना प्राप्त करने के पश्चात् इसे लिखित में लिखा जाना चाहिए था और इसके पश्चात् समय बर्बाद किए बिना उच्चतर पदाधिकारियों को संसूचित किया जाना चाहिए था ।

12. वर्तमान मामले में, ललुवापानी तिराहे पर पुलिस दल का मुखिया अभि. सा. 1 द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त की गई थी और इसके पश्चात् उन्होंने स्वतंत्र साक्षियों की खोज करना प्रारंभ किया परंतु सूचना को लिखित में नहीं लिखा, केवल इतना ही नहीं अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या के कथन के अनुसार तहसीलदार को दूरभाष से घटना के बारे में सूचित किया गया था

---

[1] (2013) 2 एस. सी. सी. 502 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 357.

और उनसे घटनास्थल पर आने का अनुरोध किया गया था, वह कुछ समय के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचे, उसी बीच में, अभि. सा. 1 ने लिखित में गुप्त सूचना को लिखा और अपने-अपने उच्चतर पदाधिकारियों को घटना की सूचना दी परंतु स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन नहीं किया गया था, इसलिए **किशन चन्द** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में दोषसिद्धि को न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है ।

13. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तु और अभि. सा. 1 यू. आर. आर्या के कथन के अनुसार अपीलार्थियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने की वांछा की थी; श्री अनुराग आर्या, तहसीलदार चम्पावत को दूरभाष संदेश देकर घटनास्थल पर पहुंचने का अनुरोध किया गया था; कुछ समय पश्चात् श्री अनुराग आर्या, तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे; श्री अनुराग आर्या तहसीलदार की मौजूदगी में तलाशी ली गई थी । तथापि, यह बात आश्चर्य में डालने वाली है कि श्री अनुराग आर्या तहसीलदार की परीक्षा नहीं की गई । तलाशी और अभिग्रहण का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है । यह कथन कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने के लिए सहमत नहीं हो सका इससे अभियोजन पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती है । मेरा विचारित मत यह है कि तलाशी और अभिग्रहण को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया गया है ।

14. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री के. एस. रौतेला ने यह दलील दी कि चूंकि दोनों अपीलार्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन तारीख 3 अगस्त, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत द्वारा अभिलिखित क्रमशः संस्वीकृति कथन में अपनी दोषिता की संस्वीकृति की है अतः स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 का अनुपालन नहीं होने से यह अपने महत्व को खोती है ।

15. निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करने से यह प्रकट हुआ है कि दोनों अपीलार्थी तारीख 2 अगस्त, 2011 को विशेष सेशन न्यायाधीश, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के समक्ष पेश किए गए थे तथा दोनों अपीलार्थियों को तारीख 12 अगस्त, 2011 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निदेश दिया गया था, तथापि, यह बात आश्चर्यचकित करने वाली है कि यह निदेश किया गया था कि दोनों अपीलार्थी लोहाघाट पर पुलिस बंदीगृह में रखे जाएंगे ।

16. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एम. एस. पाल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अपीलार्थियों को पुलिस बंदीगृह में रखे जाने के लिए निदेश जारी करने की बजाय कारागार पर भेजा जाना चाहिए था । उन्होंने यह भी दलील दी कि दोनों अपीलार्थियों को पुलिस बंदीगृह से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था । अतः, मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थियों को पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर उनके संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किया गया, इससे अभियोजन पक्षकथन को कोई सहायता नहीं मिलती है । ऐसा कोई संदेह नहीं है कि अन्वेषक अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपीलार्थियों के संस्वीकृति कथन को अभिलिखित करने के लिए तारीख 2 अगस्त, 2011 को विशेष सेशन न्यायाधीश स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 3 अगस्त, 2011 को अपीलार्थियों के कथनों को अभिलिखित करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दिया था तथा दोनों अपीलार्थियों को पुलिस बंदीगृह से तारीख 3 अगस्त, 2011 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था ।

17. **सरवन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "समय के बारे में यह स्वाभाविक रूप से कठिन होगा कि कोई कठोर या पक्का नियम इस बारे में अधिकथित किया जाए जो धारा 164 के अधीन अपनी संस्वीकृति अभिलिखित करने के पूर्व किसी वर्णित मामले में अभियुक्त व्यक्ति के लिए मंजूर की जाए । तथापि, सामान्यतः यह बोला जाता है यह युक्तियुक्त होगा कि अभियुक्त व्यक्ति को कम से कम यह विनिश्चय करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए कि क्या वह संस्वीकृति करेगा या नहीं । जहां संदेह होने का कोई कारण हो सकता है तब अभियुक्त को ऐसी संस्वीकृति करने के लिए राजी किया जाता है या प्रपीड़क उपाय अपनाए जाते हैं अधिक समय हो जाने पर भी उसे अपने कथन को अभिलिखित किए जाने के लिए समय दिया जा सकता है ।"

18. **रवीन्द्र कुमार पाल** बनाम **भारतीय गणराज्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार

---

[1] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 637.

[2] (2011) 2 एस. सी. सी. 490 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1436.

है :–

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के बारे में निम्नलिखित सिद्धांत प्रकट होते हैं –

(i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के उपबंध का न केवल प्रारूप के रूप में अनुपालन किया जाना चाहिए बल्कि उसका सार रूप में अनुपालन होना चाहिए ।

(ii) संस्वीकृति कथन को अभिलिखित करने की कार्यवाही से पूर्व अभियुक्त से उस अभिरक्षा के बारे में जहां से उसे पेश किया गया है पूछताछ की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी अभिरक्षा में क्या उपचार उसने प्राप्त किया था किसी बाहरी प्रभाव को कम करने की गुंजाइश न हो जो अभियोजन के हितबद्ध स्त्रोतों में कार्यवाही को प्रकट करता हो ।

(iii) मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त से इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि वह कथन क्यों करना चाहता है जो निश्चित रूप से विचारण में उसके हित के विरुद्ध जाएगा ।

(iv) कथन करने वाले को सोच-विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए ।

(v) उसे यह आश्वस्त कराया जाना चाहिए कि उसे किसी भी दशा में पुलिस से प्रताड़ना या किसी दबाव की आशंका से संरक्षण दिया जाता है वह संस्वीकृति कथन करने के लिए इनकार भी कर सकता है ।

(vi) न्यायिक संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक नहीं दी गई है तो वह अविश्वसनीय है इससे भी अधिक जब ऐसी संस्वीकृति से मुकरा जाता है, दोषसिद्धि ऐसे मुकरे गए न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर नहीं की जा सकती ।

(vii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का अननुपालन संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की तह तक जाता है और ऐसी संस्वीकृति विश्वासयोग्य नहीं रह जाती है ।

(viii) सोच-विचार करने के समय के दौरान अभियुक्त पुलिस प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए । न्यायिक अधिकारी जिसे संस्वीकृति अभिलिखित करने का कार्य सौंपा गया है उसे यह

सुनिश्चित करने और अपने मन का समाधान करने अपने न्यायिक विवेक को लागू करना चाहिए कि अभियुक्त का कथन किसी बाहरी प्रभाव में न आता हो ।

(ix) अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करते समय कोई पुलिस या पुलिस पदधारी खुले न्यायालय में मौजूद नहीं होगा ।

(x) सह-अभियुक्त की संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है ।

(xi) सामान्यतया न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे कथन पर दोषसिद्ध करने से पूर्व संस्वीकृति कथन की सम्पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है ।"

19. उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यद्यपि कोई कठोर नियम समय के बारे में विरचित नहीं किया जा सका है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने के पूर्व अभियुक्त व्यक्ति को मंजूर किया जाना चाहिए । तथापि, अभियुक्त के लिए संस्वीकृति कथन किए जाने से पूर्व सोच-विचार करने के लिए न्यूनतम 24 घंटे का समय दिया जाना चाहिए । न्यायिक संस्वीकृति स्वैच्छिक रूप से नहीं दी गई हो तो अविश्वसनीय है तथा संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संस्वीकृति कथन पुलिस के बिना दबाव के या उत्पीड़न के स्वैच्छिक होना चाहिए । विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस के बंदीगृह से अपीलार्थियों को निकालने के पश्चात् कारागार भेजा जाना चाहिए और उन्हें यह समझाना चाहिए कि संस्वीकृति कथन उसे अभिलिखित किए जाने से पूर्व उनके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किए जाने के तरीके पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । मेरी विचारित राय यह है कि अपीलार्थियों का संस्वीकृति कथन जो इस तरह अभिलिखित किया गया है, अभियोजन पक्ष की कोई सहायता नहीं करता ।

20. अपीलार्थी वजीर सिंह मलिक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में यह कहा है कि वह कार चला रहा था और दलीप सिंह नाम का व्यक्ति भी कार में था और उसने कार में उन थैलों को रखा था तथापि, पुलिस ने उसे जाने दिया और दोनों अपीलार्थियों को मिथ्या रूप से फंसाया ।

21. इस न्यायालय का विचारित मत यह है कि धारा 42 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन करने पर और **सरवन सिंह** तथा **रवीन्द्र कुमार** (उपरोक्त) वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत का अननुपालन किया गया, इसलिए, धारा 164 के अधीन अभिलिखित कथन अपने महत्व को खो देता है । अतः, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा ।

22. पूर्वगामी कारणों पर विचार करते हुए मेरी विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है, अतः, सभी अपीलें मंजूर की जाती हैं और विशेष सेशन न्यायाधीश, चम्पावत द्वारा 2011 के विशेष सेशन विचारण सं. 13 तथा 2011 के विशेष सेशन सं. 14 में तारीख 8 नवंबर, 2012 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध उन पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी कारागार में हैं यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो तत्काल निर्मुक्त किए जाएं ।

23. इस निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित फाइल में रखी जाती है ।

24. इस निर्णय की प्रति को निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ अनुपालन करने के लिए निचले न्यायालय को अग्रेषित किया जाता है ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 819 **केरल**

राजू

बनाम

केरल राज्य

तारीख 8 फरवरी, 2013

न्यायमूर्ति टी. आर. रामचन्द्रन नायर और न्यायमूर्ति ए. वी. रामकृष्ण पिल्लई

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित साक्ष्य

अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3] – बलात्संग – अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य का साक्ष्यिक मूल्य – जहां अप्राप्तवय पीड़िता के परिसाक्ष्य की संपुष्टि उसकी माता और चिकित्सक के साक्ष्य से होती है कि अभियोक्त्री के पिता और उसके भतीजे द्वारा मृत्यु की धमकी देकर पिछले पांच महीने से बलात्संग किए जाने के फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई, वहां अभियुक्त बलात्संग के दोषी ठहराए जाने के दायी हैं ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-प्रथम अभियुक्त राजू आहत राधा का पिता है, और उसका विवाह चेंपाकाकुट्टी, अभि. सा. 2 के साथ सम्पन्न हुआ था । विवाह के पश्चात् तीनों एक ही घर में रह रहे थे । राजू ने चेंपकाकुट्टी की अनुपस्थिति का लाभ लेकर राधा के साथ घनिष्ठता और अनैतिक संबंध विकसित कर लिए जिसके परिणामस्वरूप आहत-अभियोक्त्री का जन्म हुआ । तत्पश्चात् राधा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही । अतः आहत का पालन पोषण चेंपकाकुट्टी द्वारा किया गया । उन लोगों के अतिरिक्त कुंजी नामक एक वृद्ध महिला, चेंपकाकुट्टी की बड़ी बहन है, भी उसी घर में रह रही थी । 2003 में मई के माह में आहत को उसके स्कूल के मित्रों द्वारा घर लाया गया । उसमें कुछ बेचैनी के लक्षण दर्शित हो रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उसको अप्रायिक रूप से उल्टी हो रही थी । यद्यपि आहत ने यौवनागम की आयु प्राप्त कर ली थी किंतु उसको पिछले चार माह से रजःस्त्राव नहीं हुआ था । चेंपकाकुट्टी ने इसको गंभीरतार्पूक नहीं लिया यद्यपि आहत पीली पड़ गई थी और अरक्तता की शिकार थी । चूंकि आहत को बेचैनी हो रही थी और उसको उल्टी हो रही थी, उसको केशवपुरम स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसका परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया गया, जिसने मत व्यक्त किया कि वह गर्भवती थी । उसने आहत को गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन कराने के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित एस. ए. टी. अस्पताल जाने की सलाह दी । अतः उसको तारीख 16 मई, 2003 को एस. ए. टी. अस्पताल में भर्ती किया गया । पूछे जाने पर आहत ने चेंपकाकुट्टी के समक्ष प्रकटीकरण किया कि उसके पिता ने पांच माह पूर्व उसके साथ चार-पांच बार जान से मार देने की धमकी देकर उस समय, जब घर में कोई नहीं था, उसके साथ बलात्संग किया था । उसने यह प्रकटीकरण भी किया कि द्वितीय अभियुक्त जो चेंपकाकुट्टी की एक अन्य बहन सावित्री का पुत्र है, ने भी उसके साथ चार या पांच बार यही कार्य किया था । उसने यह कार्य इस धमकी के अन्तर्गत किया था कि उसको

इस बात की जानकारी है कि उसका पिता भी उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है । दोनों अभियुक्तों ने उसको धमकी और चेतावनी दी थी कि यदि उसने मामले का प्रकटीकरण किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया तो वे उसको जान से मार देंगे । एस. ए. टी. अस्पताल के चिकित्सक ने आहत का चिकित्सीय परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला कि गर्भधारण का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, किंतु योनिक भेदन और योनिच्छद विदीर्ण होने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं । किलीमनूर पुलिस थाना के उप-निरीक्षक, ने तारीख 23 मई, 2003 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और राजू को गिरफ्तार किया और उसका मैथुन समर्थता परीक्षण कराया और प्रमाणपत्र प्राप्त किया । उसने ग्राम अधिकारी से स्थल मानचित्र तैयार कराया और आहत की आयु साबित करने के लिए यू. पी. ए. अध्याभोग की प्रधानाचार्या से प्रमाणपत्र प्राप्त किया । अन्वेषण के दौरान द्वितीय अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण कर दिया । उसका भी शक्ति परीक्षण कराया गया और प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य के अधिमूल्यन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों अभियुक्तों ने आहत, जो सुसंगत समय पर अवयस्क थी का बलात्संग किया और दोषसिद्ध किया और आजीवन कारावास भोगने और 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया । सेशन न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त द्वारा यह अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोक्त्री का विनिर्दिष्ट रूप से यह पक्षकथन था कि विभिन्न अवसरों पर जब घर में कोई उपस्थित नहीं था, तो प्रथम अभियुक्त द्वारा उसको मृत्यु की धमकी देकर लैंगिक संभोग के अध्यधीन रखा गया था । उसका यह पक्षकथन है कि उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था चूंकि उसको दोनों अभियुक्तों द्वारा धमकाया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में उसके परिसाक्ष्य के सुसंगत भागों को प्रत्युत्पादित है । यह प्रत्याशा किया जाना निरर्थक होगा कि कोई अवयस्क बालिका जो किसी दूरस्थ ग्राम की स्थितियों में रह रही है, ऐसे अनुभव का प्रकटीकरण बिना किसी झिझक के अन्य लोगों के समक्ष करेगी । हम इस तथ्य का भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अभि. सा. 1 प्रथम अभियुक्त के संरक्षण के अधीन रह रही थी । द्वितीय अभियुक्त भी अभि. सा. 1 की इच्छा को शासित करने की स्थिति में था । इस संबंध में

अभि. सा. 1 का आचरण अत्यधिक नैसर्गिक प्रतीत होता है । उसके द्वारा अन्य नातेदारों या मित्रों को इस बारे में न बताए जाने से उसकी विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती चूंकि उसका आचरण किसी स्त्री के नैसर्गिक मानवीय आचरण के अनुसार है । हम अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास या संदेह का कोई तत्व पाए जाने का कारण नहीं पाते । उसका परिसाक्ष्य अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य, जो प्रथम अभियुक्त की पत्नी है, से संयुक्त है । अभि. सा. 6 जो एस. ए. टी. अस्पताल में सहायक प्रवक्ता था, को अभि. सा. 1 का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ । उन्होंने प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 3 प्रदान किया । उसके द्वारा परीक्षण किए जाने पर योनिच्छद विदीर्ण होने के तथ्य का प्रकटीकरण हुआ था यद्यपि अंतः या बाह्य गर्भाशय का साक्ष्य मौजूद नहीं था । मात्र गर्भाशय गुहिका में रक्त एकत्रित था । अभि. सा. 6 के परिसाक्ष्य से आगे प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 ने उसको बताया था कि उसके दोनों अभियुक्तों के साथ लैंगिक संबंध थे । इस न्यायालय और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का निरंतर यह दृष्टिकोण रहा है कि अभियोक्त्री की परिसाक्ष्यिक विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय न्यायालयों को विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है, यह सुस्थापित विधि है कि बलात्संग के किसी मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकरण अनिवार्यता नहीं होती । यदि इस मामले में पुनः पुष्टिकरण पर जोर दिया जाता है, तो इससे मात्र क्षति के साथ-साथ अपमान वाली स्थिति ही उत्पन्न होगी । हम स्वयं को स्त्री मनोविज्ञान और व्यवहार अधिसंभाव्यता का स्मरण कराते हैं जो हमको इस प्रकार की वीभत्स घटनाओं को छिपाने की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है । हम ऐसे मामलों में आहत के साक्ष्य का स्वतंत्र पुष्टिकरण प्राप्त करने के लिए असंभव स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं । हमारा विचार है कि चिकित्सीय साक्ष्य पर भी जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय साक्ष्य तुरंत उपलब्ध हो जाना प्रत्याशित हो । विद्वान् काउंसेल के अनुसार आहत की आयु साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर प्रस्तुत कराया जा सकता था । किंतु अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उसने विद्यालय प्रवेश रजिस्टर में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 6 जारी किया था । उसने आगे अभिकथित किया कि प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जिसको अभि. सा. 1 के पिता-माता ने प्रवेश के समय प्रस्तुत किया था, के माध्यम से आगे ले

जाया गया था । सुव्यक्ततः और स्वीकृततः भी अभि. सा. 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या है । निचले प्राथमिक विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् अभि. सा. 1 को उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती किया गया था । उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियां अंतरण प्रमाणपत्र, जिसको निचले प्राथमिक विद्यालय द्वारा कानूनी प्रपत्र में जारी किया गया था, में समाविष्ट प्रविष्टियों के आधार पर की गई थी । उक्त प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर ही अभि. सा. 9 को प्रमाणपत्र जारी किया गया था । हम अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य या उनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 6 पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते । अभि. सा. 9 प्रदर्श पी. 6 जारी करने के द्वारा शासकीय कार्य का निर्वहन कर रहा था । शासकीय कार्यों के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उनको उचित प्रकार से ही किया गया है जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए । न्यायालय यह उल्लेख करता है कि अभि. सा. 9 की प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी. 6 की शुद्धता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गई है । द्वितीय अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए श्रमसाध्यता पूर्वक दलील दी गई कि आहत के परिवार के सदस्यों के मध्य किसी घटना के कारण, जो लगभग 10 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, विद्वेशपूर्ण संबंध थे । द्वितीय अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी बताया गया कि द्वितीय अभियुक्त अभि. सा. 1 के घर जाता रहता था, जब वह अकेली होती थी । किंतु अभिकथित अपराध में द्वितीय अभियुक्त की संलिप्तता को साबित करने के प्रयोजनार्थ हमारे पास अभि. सा. 1 का अर्थपूर्ण परिसाक्ष्य है । परिस्थितियों पर संपूर्ण रूप से विचार करते हुए न्यायालय का निश्चित रूप से यह विचार है कि निचले न्यायालय ने स्वीकार किए जाने योग्य और विश्वसनीय विधिक साक्ष्य पर आधारित सही निष्कर्ष निकाला । न्यायालय इन निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में व्यवधान डालने का कोई कारण नहीं पाता । (पैरा 16, 17, 18, 19, 23, 24 और 26)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2005] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1452 :
श्री नारायण साहा और एक अन्य
बनाम **त्रिपुरा राज्य ;** 11

[2004] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497 :
अमन कुमार बनाम **हरियाणा राज्य** ; 11

[1996] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 992 :
श्री बोधिसत्व गौतम बनाम **सुरभि सुभ्रा चक्रबर्ती** ; 11

[1988] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 2154 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **कृष्ण गोपाल और एक अन्य** ; 25

[1972] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2661 :
गुरूचरण सिंह बनाम **हरियाणा राज्य** । 11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील संख्या 2629. (साथ में 2008 की दांडिक अपील संख्या 266)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री टी. ए. उन्नीकृष्णन और के. सतीश कुमार

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री राजीव के. के. (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. वी. रामकृष्ण पिल्लई ने दिया ।

न्या. पिल्लई – अभियुक्त जिनका विचारण तिरुवनंतपुरम के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-1) द्वारा किलीमनूर के पुलिस थाना में पंजीकृत 2003 के अपराध संख्या 166 में क्षेत्रीय पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए फाइल किए गए आरोप पत्र के अंतर्गत किया गया, को दोषी पाया गया, दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने और 25,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया, द्वारा प्रस्तुत अपील फाइल की गई है । उसके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसने अभियोक्त्री, जो अवयस्क थी, का बलात्संग वर्ष 2003 के प्रथम आधे वर्ष के दौरान विभिन्न अवसरों पर किया था ।

2. अपीलार्थी जो और कोई नहीं बल्कि आहत का पिता है, 2008 की दांडिक अपील संख्या 266 में प्रथम अभियुक्त है । उसने यह अपील तिरुवनंतपुरम के केंद्रीय कारागार, जहां वह कारावास भुगत रहा है, से फाइल की है । 2008 की दांडिक अपील संख्या 2629 द्वितीय अभियुक्त, जो आहत का प्रथम चचेरा भाई है, द्वारा फाइल की गई है । सुविधा की दृष्टि से उनको निर्दिष्ट किया जा सकता है चूंकि उनको आक्षेपित निर्णय में पक्ष बनाया गया है ।

3. प्रथम अभियुक्त की प्रतिरक्षा राज्य के खर्च पर नियुक्त किए गए काउंसेल द्वारा की गई और द्वितीय अभियुक्त की प्रतिरक्षा उसके द्वारा नियुक्त काउंसेल द्वारा की गई ।

4. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि प्रकटीकरण अभि. सा. 1 से अभि. सा. 11 के मौखिक परिसाक्ष्य द्वारा किया गया जो अभिलेख पर प्रदर्श पी. 1 से पी. 9 हैं, इस प्रकार है :–

> "प्रथम अभियुक्त जो अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) का पिता है, का विवाह चेंपाकाकुट्टी, अभि. सा. 2 जो अशिक्षित महिला है, के साथ हुआ था । जब उसका विवाह अभि. सा. 2 के साथ सम्पन्न हुआ, उसकी छोटी बहन राधा अविवाहित थी । विवाह के पश्चात् तीनों एक ही घर में रह रहे थे । प्रथम अभियुक्त ने अभि. सा. 2 की अनुपस्थिति का लाभ लेकर राधा के साथ घनिष्ठता और अनैतिक संबंध विकसित कर लिए जिसके परिणामस्वरूप अभि. सा. 1 का जन्म हुआ । तत्पश्चात् राधा अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही । अतः अभि. सा. 1 का पालन-पोषण अभि. सा. 2 द्वारा किया गया । उन लोगों के अतिरिक्त कुंजी नामक एक वृद्ध महिला, जो अभि. सा. 2 की बड़ी बहन है, भी उसी घर में रह रही थी । 2003 में मई के माह में अभि. सा. 1 को उसके मित्रों द्वारा स्कूल से घर लाया गया चूंकि उसमें कुछ बेचैनी के लक्षण दर्शित हो रहे थे जिनके परिणामस्वरूप उसको अप्रायिक रूप से उल्टी हो रही थी । यद्यपि अभि. सा. 1 ने यौवनागम की आयु प्राप्त कर ली थी, किंतु उसको पिछले चार माह से रजःस्त्राव नहीं हुआ था । किंतु अभि. सा. 2 ने इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया था यद्यपि अभि. सा. 1 पीली पड़ गई थी और अरक्तता की शिकार थी । चूंकि अभि. सा. 1 को बेचैनी हो रही थी और उसको उल्टी हो रही थी, उसको केशवपुरम स्थित

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां उसका परीक्षण चिकित्सक द्वारा किया गया, जिसने मत व्यक्त किया कि वह गर्भवती है उसने उसको गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन कराने के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित एस. ए. टी. अस्पताल जाने की सलाह दी । अतः उसको तारीख 16 मई, 2003 को एस. ए. टी. अस्पताल में भर्ती किया गया ।

पूछे जाने पर अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 2 के समक्ष प्रकटीकरण किया कि उसके पिता (प्रथम अभियुक्त) ने पांच माह पूर्व उसके साथ चार-पांच बार जान से मार देने की धमकी देकर, उस समय जब घर में कोई नहीं था, उसके साथ बालात्संग किया था । उसने यह प्रकटीकरण भी किया कि द्वितीय अभियुक्त, जो अभि. सा. 2 की एक अन्य बहन सावित्री का पुत्र है और जो संलग्न मकान में रहता है, ने भी उसके साथ चार या पांच बार यही कार्य किया था । यह कार्य इस धमकी के अधीन किया गया था कि उसको इस बात की जानकारी है कि प्रथम अभियुक्त भी अभि. सा. 1 को अपनी हवस का शिकार बना रहा है । दोनों अभियुक्तों ने उसको धमकी और चेतावनी दी थी कि यदि मामले का प्रकटीकरण किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष किया गया तो वे उसको जान से मार देंगे । अभि. सा. 1 ने खतरे की आशंका के कारण अपने इस अप्रायिक अनुभव का प्रकटीकरण किसी के समक्ष नहीं किया ।

यद्यपि अभि. सा. 6, जो एस. ए. टी. अस्पताल के साथ संलग्न चिकित्सक है और जिसने अभि. सा. 1 का चिकित्सीय परीक्षण किया, ने यह निष्कर्ष निकाला कि सगर्भता का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है, फिर भी वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योनिक-भेदन और योनिच्छद विदीर्ण होने के साक्ष्य मौजूद हैं । अभि. सा. 6 ने गर्भाशय गुहिका में रक्त संग्रहण का भी उल्लेख किया ।

किलीमनूर के उप-निरीक्षक अभि. सा. 10 सूचना प्राप्त होने पर एस. ए. टी. अस्पताल पहुंचे और तारीख 23 मई, 2003 को अभि. सा. 1 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 1 अभिलिखित की । उसने अभि. सा. 1 का शरीर टिप्पण प्रदर्श पी-1(क) तैयार किया । तत्पश्चात् उसने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 366 और 376 के अधीन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पी. 7

रजिस्ट्रीकृत की । उसी ने अन्वेषण के अधिकांश भाग का संचालन किया । प्रदर्श पी. 2, जोकि स्थल मानचित्र है, अभि. सा. 4 और 5 की उपस्थिति में तैयार किया गया था । उसने अभि. सा. 6 , जिसने एस. ए. टी. अस्पताल में अभि. सा. 1 का परीक्षण किया, से प्रमाणपत्र, जो प्रदर्श पी. 3 है, अभिप्राप्त किया । उसने प्रथम अभियुक्त को गिरफ्तार किया । उसने प्रथम अभियुक्त का मैथुन समर्थता परीक्षण कराया जो तिरुवनंतपुरम के चिकित्सीय महाविद्यालय अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी अभि. सा. 7 द्वारा संचालित किया गया और प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 4 अभिप्राप्त किया । उसने अभि. सा. 8, जो उस समय ग्राम अधिकारी था, से स्थल मानचित्र प्रदर्श पी. 8 तैयार कराया । आहत की आयु साबित करने के लिए अभि. सा. 9, जो यू. पी. एस. अध्यामोन, जहां अभि. सा. 1 सुसंगत समय पर अध्ययन कर रही थी, की प्रधानाचार्या थी, से प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 6 अभिप्राप्त किया । अन्वेषण के दौरान द्वितीय अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण कर दिया । अभि. सा. 10 ने द्वितीय अभियुक्त की शक्ति परीक्षा जो अभि. सा. 11 द्वारा संचालित की गई, कराई और प्रदर्श पी. 9 प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया । उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 निकाल दिए जाने के लिए रिपोर्ट प्रदर्श पी. 8 फाइल की गई । अभि. सा. 10 ने भी साक्षियों से पूछताछ की और उनके कथन अभिलिखित किए । पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अभि. सा. 10 द्वारा संचालित अन्वेषण का सत्यापन किया और न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किया ।'

5. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, जिनके समक्ष यह मामला सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत हुआ, ने सम्पूर्ण औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के पश्चात् विचारण आरंभ किया । विचारण के समय ऊपर निर्दिष्ट साक्षियों के अतिरिक्त आहत के एक पड़ोसी का भी परीक्षण अभियोजन के पक्ष में अभियोजन साक्षी 3 के रूप में यह साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ किया गया कि द्वितीय अभियुक्त अभि. सा. 1 के घर निरंतर आता-जाता रहता था । किंतु वह अभियोजन के लिए वफादार नहीं था ।

6. प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों का परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2, जो पड़ोसी हैं, का परीक्षण यह साबित किए जाने की दृष्टि से कि द्वितीय अभियुक्त के परिवार के सदस्यों और प्रथम अभियुक्त के परिवार के सदस्यों के मध्य वर्षों से झगड़ा था, कराया गया ।

7. विचारण न्यायालय साक्ष्य के अधिमूल्यन के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों अभियुक्तों ने अभि. सा. 1, जो सुसंगत समय पर अवयस्क थी, का बलात्संग किया है और दंडादिष्ट किया, जैसा कि आरंभिक पैरा में अभिकथित किया गया है ।

8. हमने 2008 की दांडिक अपील संख्या 2629 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल श्री टी. ए. उन्नीकृष्णन, 2008 की दांडिक अपील संख्या 2661 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित राज्य की विवरण धारक श्रीमती एस. ए. शेरले और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजीव के. के. को विस्तारपूर्वक सुना । आक्षेपित निर्णय और निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया ।

9. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय पर विभिन्न आधारों पर आक्रमण किया और विद्वान् लोक अभियोजक ने दोषसिद्धि और दंडादेश का समर्थन किया और अपीलें खारिज किए जाने पर जोर दिया । अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का सार निम्नलिखित हैं :–

> "(i) विचारण न्यायालय द्वारा अभियोक्त्री, जिसका परीक्षण अभि. सा. 1 के रूप में किया गया, के परिसाक्ष्य का अभियुक्त के विरुद्ध निष्कर्ष निकाले जाने के प्रयोजनार्थ अत्यधिक अवलंब लिया जाना उचित नहीं था चूंकि अभिकथित घटनाओं का प्रकटीकरण अभियोक्त्री द्वारा लंबे अंतराल के पश्चात् किया गया था;
>
> (ii) वह अवधि जिसके दौरान अभिकथित घटनाएं घटित हुईं, के संबंध में प्रदर्श पी. 1 कथन और अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के मध्य भिन्नता है;
>
> (iii) विचारण न्यायालय द्वारा विद्यालय, जहां अभियोक्त्री ने शिक्षा ग्रहण की थी, की प्रधानाचार्या द्वारा जारी प्रमाणपत्र पी. 6 का अवलंब इस निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ नहीं लिया जाना चाहिए था कि वह सुसंगत समय पर 16 वर्ष की आयु से कम की थी;
>
> (iv) विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंण्डादेश की मात्रा अधिक है ।"

10. इन दलीलों पर विचार किए जाने के पूर्व यह लाभदायक होगा कि बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य के साक्ष्यिक मूल्य के

संबंध में निर्णयज विधियों को ध्यान में रखा जाए ।

11. **अमन कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मताभिव्यक्ति की गई कि बलात्संग के मामले में अभियोक्त्री सह अपराधी नहीं होती और वह क्षतिग्रस्त साक्षी से उच्चतर पायदान पर होती है । **श्री नारायण साहा और एक अन्य** बनाम **त्रिपुरा राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने मताभिव्यक्ति की कि यदि किसी मामले में अभिलेख पर उपस्थित परिस्थितियों के आधार पर आरोपित व्यक्तियों को असत्य रूप से अंतर्वलित किए जाने के लिए मजबूत आशय का मामला नहीं बनता तो न्यायालय को साक्ष्य स्वीकार करने में निश्चित रूप से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । न्यायिक विचार की प्रवृत्ति यह है कि बलात्संग के मामले में संपुष्टिकरण विधि का मामला नहीं होता, किंतु आहत के परिसाक्ष्य के रूप में विवेक के मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण होता है जब तक कि संपुष्टिकरण के लिए विवशकारी कारण न हों (देखें **गुरुचरण सिंह** बनाम **हरियाण राज्य**[3] और **श्री बोधिसत्व गौतम** बनाम **सुरभि सुभ्रा चक्रबर्ती**[4] ।

12. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस मामले के साक्ष्य पर विचार करेंगे ।

13. दोनों अभियुक्तों की दोषिता को साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभि. सा. 1, जो आहत है, के परिसाक्ष्य का मुख्य रूप से अवलंब लिया गया । यह सत्य है कि अभि. सा. 1 ने अभि. सा. 2 के समक्ष घटनाओं का प्रकटीकरण मई, 2003 में ही किया था अर्थात् जब उसने अभि. सा. 2 को केशवपुरम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां उसको कुछ बेचैनी के परिणामस्वरूप भर्ती किया गया था, के चिकित्सक द्वारा किए गए संदेहास्पद गर्भधारण के आधार पर बताया था । अभि. सा. 1 ने घटनाओं का वृत्तांत अभि. सा. 6, जिसने उसका परीक्षण एस. ए. टी. अस्पताल में किया था, को भी सुनाया था । अभि. सा. 6 द्वारा किए गए रोग विषयक परीक्षण के आधार पर यह प्रकटीकरण हुआ था कि अभि. सा. 1 को लैंगिक संभोग के अधीन रखा गया था । एस. ए. टी. अस्पताल में ही अभि. सा. 1 ने अभि.

---

[1] ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1497.
[2] ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1452.
[3] ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2661.
[4] ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 992.

सा. 10, जो अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर वहां पर पहुंच गया था, के समक्ष कथन किया था जो प्रदर्श पी. 1 है । उसने घटनाओं का वृत्तांत अभि. सा. 10 को अपने तरीके से सुनाया था और उसी के आधार पर विधिक प्रक्रिया आरंभ हुई ।

14. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा बताया गया कि वह अवधि, जिसके दौरान अभिकथित रूप से घटनाएं घटित हुईं, के संबंध में प्रदर्श पी. 1 में अभिलिखित उसका वृत्तांत विचारण न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किए गए उसके वृत्तांत से मेल नहीं खाता । उसने प्रदर्श पी. 1 में अभिलिखित किया है कि प्रथम अभियुक्त, जो उसका पिता है, ने उस तारीख को, जिसको कथन एफ 1 अभिलिखित किया गया था, से लगभग चार या पांच मास पूर्व उसके साथ बलात्संग कारित किया था । उसके अनुसार उस समय उसकी आयु 15 वर्ष थी और वह छठी कक्षा में पढ़ती थी । विचारण न्यायालय के समक्ष उसने अभिकथित किया कि अभिकथित घटनाएं उस समय घटित हुईं जब वह कक्षा 6 में अध्ययनरत थी । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा इसको गंभीर असंगतता के रूप में बताया गया ।

15. हम इस तथ्य को न्यायिक रूप से अवेक्षित करते हैं कि केरल में राज्य पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले विद्यालय सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मध्य ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद हो जाते हैं । प्रदर्श-3 कथन 2003 के मई माह में अभिलिखित किया गया था अर्थात् जब विद्यालयों के पुनः खुलने में कुछ ही दिन शेष थे । यह उल्लेख किया जाना भी सुसंगत होगा कि सभी छात्रों का 10वीं स्तर की उच्चतर कक्षाओं तक प्रोन्नत किया जाना इस राज्य में अनिवार्य होता है । अतः अभि. सा. 1 द्वारा यह अभिकथित किया जाना नितांत नैसर्गिक था कि वह प्रदर्श पी. 1 अभिलिखित किए जाते समय कक्षा 6 में अध्ययनरत थी । हम अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य के आधार पर यह उल्लेख भी करते हैं कि वह चालाकी के साथ वृत्तांत करने के प्रयोजनार्थ अत्यधिक बुद्धिमान नहीं थी ।

16. उसका विनिर्दिष्ट रूप से यह पक्षकथन था कि विभिन्न अवसरों पर जब घर में कोई उपस्थित नहीं था, तो प्रथम अभियुक्त द्वारा उसको मृत्यु की धमकी देकर लैंगिक संभोग के अध्यधीन रखा गया था । उसका यह पक्षकथन है कि उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था चूंकि उसको दोनों अभियुक्तों द्वारा धमकाया गया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय में उसके परिसाक्ष्य के सुसंगत भागों को प्रत्युत्पादित किया है ।

17. यह प्रत्याशा किया जाना निरर्थक होगा कि कोई अवयस्क बालिका जो किसी दूरस्थ ग्राम की स्थितियों में रह रही है, ऐसे अनुभव का प्रकटीकरण बिना किसी झिझक के अन्य लोगों के समक्ष करेगी । हम इस तथ्य का भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अभि. सा. 1 प्रथम अभियुक्त के संरक्षण के अधीन रह रही थी । द्वितीय अभियुक्त भी अभि. सा. 1 की इच्छा को शासित करने की स्थिति में था । इस संबंध में अभि. सा. 1 का आचरण अत्यधिक नैसर्गिक प्रतीत होता है । उसके द्वारा अन्य नातेदारों या मित्रों को इस बारे में न बताए जाने से उसकी विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती चूंकि उसका आचरण किसी स्त्री के नैसर्गिक मानवीय आचरण के अनुसार है । हम अभि. सा. 1 के परिसाक्ष्य पर अविश्वास या संदेह का कोई तत्व पाए जाने का कारण नहीं पाते । उसका परिसाक्ष्य अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य, जो प्रथम अभियुक्त की पत्नी है, से संयुक्त है ।

18. अभि. सा. 6 जो एस. ए. टी. अस्पताल में सहायक प्रवक्ता था, को अभि. सा. 1 का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ । उन्होंने प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी. 3 प्रदान किया था । उसके परीक्षण किए जाने पर योनिच्छद विदीर्ण होने के तथ्य का प्रकटीकरण हुआ था यद्यपि अंतः या बाह्य गर्भाशय का साक्ष्य मौजूद नहीं था । मात्र गर्भाशय गुहिका में रक्त एकत्रित था । अभि. सा. 6 के परिसाक्ष्य से आगे प्रकट होता है कि अभि. सा. 1 ने उसको बताया था कि उसके दोनों अभियुक्तों के साथ लैंगिक संबंध थे ।

19. इस न्यायालय और साथ ही उच्चतम न्यायालय का निरंतर यह दृष्टिकोण रहा है कि अभियोक्त्री की परिसाक्ष्यिक विश्वसनीयता का निर्धारण करते समय न्यायालयों को विभिन्न परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाला अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । जैसा कि पहले अभिकथित किया गया है, यह सुस्थापित विधि है कि बलात्संग के किसी मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकरण अनिवार्यता नहीं होती । यदि इस मामले में पुनः पुष्टिकरण पर जोर दिया जाता है, तो इससे मात्र क्षति के साथ-साथ अपमान वाली स्थिति ही उत्पन्न होगी ।

20. हम स्वयं को स्त्री मनोविज्ञान और व्यवहार अधिसंभाव्यता का स्मरण कराते हैं कि जो हमको इस प्रकार की वीभत्स घटनाओं को छिपाने की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है । हम ऐसे मामलों में आहत के साक्ष्य का स्वतंत्र पुष्टिकरण प्राप्त करने के लिए असंभव स्थिति को भी ध्यान में रखते हैं । हमारा विचार है कि चिकित्सीय साक्ष्य पर भी जोर नहीं दिया जाना

चाहिए जब तक कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय साक्ष्य तुरंत उपलब्ध हो जाना प्रत्याशित न हो ।

21. इस मामले में हमारे समक्ष अभि. सा. 1 का अकाट्य परिसाक्ष्य है जो अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य द्वारा संपुष्ट है और जिससे इस बात का प्रकटीकरण हो जाएगा कि जब अभि. सा. 1 कक्षा 5 में अध्ययनरत थी तो दोनों अभियुक्तों द्वारा उसको विभिन्न अवसरों पर बलात्संग के अध्यधीन रखा गया था ।

22. इस बाबत दलीलें दी गईं कि अभिलेख पर यह दर्शित किए जाने के लिए कोई युक्तियुक्त साक्ष्य नहीं है कि अभि. सा. 1 सुसंगत अवधि के दौरान अवयस्क थी । प्रदर्श पी. 3 प्रमाणपत्र में चिकित्सक ने प्रमाणित किया है कि वह उस समय मात्र 15 वर्ष की थी । आहत की आयु को साबित करने के लिए एक अन्य साक्ष्य प्रदर्श पी. 6 है जो अभि. सा. 9, जो उस विद्यालय की प्रधानाचार्या थी जहां अभि. सा. 1 सुसंगत समय पर अध्ययनरत थी, द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र है । यह दलील दी गई कि प्रदर्श पी. 6 का अवलंब नहीं लिया जा सकता चूंकि अभियोक्त्री की आयु के बारे में ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है ।

23. विद्वान् काउंसेल के अनुसार आहत की आयु साबित किए जाने के प्रयोजनार्थ विद्यालय का प्रवेश रजिस्टर प्रस्तुत कराया जा सकता था । किंतु अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि उसने विद्यालय प्रवेश रजिस्टर में उपलब्ध प्रविष्टियों के आधार पर प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 6 जारी किया था । उसने आगे अभिकथित किया कि प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जिसको अभि. सा. 1 के पिता-माता ने प्रवेश के समय प्रस्तुत किया था, के माध्यम से आगे ले जाया गया था । सुव्यक्ततः और स्वीकृततः भी अभि. सा. 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या है । निचले प्राथमिक विद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् अभि. सा. 1 को उच्च प्राथमिक विद्यालय में भर्ती किया गया था । उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियां अंतरण प्रमाणपत्र, जिसको निचले प्राथमिक विद्यालय द्वारा कानूनी प्रपत्र में जारी किया गया था, में समाविष्ट प्रविष्टियों के आधार पर की गई थीं । उक्त प्रवेश रजिस्टर में की गईं प्रविष्टियों के आधार पर ही अभि. सा. 9 को प्रमाणपत्र जारी किया गया था । हम अभि. सा. 9 के परिसाक्ष्य या उनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्श पी. 6 पर अविश्वास करने

का कोई कारण नहीं पाते । अभि. सा. 9 प्रदर्श पी. 6 जारी करने के द्वारा शासकीय कार्य का निर्वहन कर रहा था । शासकीय कार्यों के बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उनको उचित प्रकार से ही किया गया है जब तक कि अन्यथा साबित न कर दिया जाए । हम यह उल्लेख करते हैं कि अभि. सा. 9 की प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श पी. 6 की शुद्धता के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी गई है ।

24. द्वितीय अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के परिसाक्ष्य का अवलंब लेते हुए श्रमसाध्यता पूर्वक दलील दी गई कि आहत के परिवार के सदस्यों के मध्य किसी घटना के कारण, जो लगभग 10 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, विद्वेषपूर्ण संबंध थे । द्वितीय अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी बताया गया कि द्वितीय अभियुक्त अभि. सा. 1 के घर जाता रहता था, जब वह अकेली होती थी । किंतु अभिकथित अपराध में द्वितीय अभियुक्त की संलिप्तता को साबित करने के प्रयोजनार्थ हमारे पास अभि. सा. 1 का अर्थपूर्ण परिसाक्ष्य है ।

25. यहां पर हम **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्ण गोपाल और एक अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित मताभिव्यक्ति का स्मरण करते हैं :–

> "8. जहां तक साक्ष्य से उत्पन्न होने वाली अभियुक्त की दोषिता का संबंध है या उसकी कमी का संबंध है जो अस्पष्ट आशंकाओं के पूर्णतः विरुद्ध है तो संदेह वास्तविक और सारवान् होने चाहिएं । कोई युक्तियुक्त संदेह काल्पनिक, हलका या मात्र संभव, संदेह नहीं होता, किंतु वह कारण और सहज बुद्धि पर आधारित न्याय संभव संदेह होता है ।
>
> अधिसंभाव्यता की धारणाओं और उसकी प्रमाणपत्रों को निश्चित रूप से उन इकाइयों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता जिनको गणना गणितीय रूप से की जा सके कि उनमें से कितनी इकाइयां युक्तिसंगत संदेह के परे सबूतों का सृजन करती हैं । अधिसंभाव्यता की मात्राओं के मूल्यांकन में सुस्पष्ट असंदिग्ध तत्व और सबूत की प्रमाण होती है । न्यायालयिक अधिसंभाव्यता के अंतिम

[1] ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 2154.

विश्लेषण के दौरान संतुलित सहजबुद्धि और अंततः न्यायाधीशों के प्रशिक्षित संस्थाओं पर आधारित होना चाहिए । यद्यपि अभियुक्तों को दांडिक प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण अपरदित नहीं होना चाहिए, किंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ओछेपन के असूचित वैधीकरण दांडिक न्याय के प्रशासन का उपहास न बना सकें ।"

26. परिस्थितियों पर संपूर्ण रूप से विचार करते हुए हमारा निश्चित रूप से यह विचार है कि निचले न्यायालय ने स्वीकार किए जाने योग्य और विश्वसनीय विधिक साक्ष्य पर आधारित सही निष्कर्ष निकाला । हम इन निष्कर्षों के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में व्यवधान डालने का कोई कारण नहीं पाते ।

27. दोनों अभियुक्तों की ओर से प्रदान किए गए दण्डादेश पर विचार करते समय यह दलील दी गई कि आजीवन कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए प्रदान की गई उच्चतर सीमा है और दोनों अभियुक्तों की आयु को ध्यान में रखते हुए उनको प्रदान किए गए दंडादेश के संबंध में कुछ शिथिलता दर्शित की जानी चाहिए ।

28. हमारे विचार में ऐसे अपराध के लिए प्रदान किए गए दण्ड का दोहरा उदेश्य होता है । प्रथमतः दण्ड दोषी व्यक्ति और उसी के जैसे अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करेगा कि अपराधी का जीवन जीने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता । द्वितीयतः ऐसे दण्ड प्रदान किए जाने से व्यवस्थित और सभ्य समाज का उद्देश्य प्रोत्साहित होगा । इसलिए किसी दंडादेश का न तो अत्यधिक उदार होना चाहिए और न ही अननुपातिक रूप से कठोर । यदि दण्डादेश उदार होगा तो वह अपना निवारक प्रभाव को खो देगा इसलिए, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दण्डादेश पारित करते समय इन दोनों प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाए और दोनों के मध्य उचित संतुलन बनाए रखे ।

29. इस मामले में साक्ष्य के आधार पर एक दहलाने वाली विकट घटना को उन व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया जिनसे प्रत्याशित था कि वे उस अवयस्क बालिका के संरक्षक हैं । अतः इस न्यायालय की न्यायिक संवेदना दोनों अभियुक्तों, जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध कारित किया, पर अधिरोपित दण्डादेश में कमी किए जाने की आज्ञा नहीं देती ।

30. परिणामस्वरूप दोनों अपीलें विफल होती हैं । तद्नुसार हम अपीलें खारिज करते हैं और अपीलार्थियों पर विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित पारिणामिक दोषसिद्धि और दण्डादेश की पुष्टि करते हैं । हम विचारण न्यायालय के उस निदेश को मान्य ठहराते हैं जिसके द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अलग-अलग दण्डादेशों के विरुद्ध अन्वेषण/विचारण के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा भुगते गए कारावास की अवधि को माफ किया गया है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

(2014) 1 दा. नि. प. 835 **गुवाहाटी**

लक्ष्मण राय

बनाम

असम राज्य

तारीख 24 मई, 2013

न्यायमूर्ति बी. पी. कताकी और न्यायमूर्ति एम. आर. पाठक

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 – हत्या – मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों, मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट और एकमात्र साक्षी के इस साक्ष्य से यह साबित होता है कि घोर और अचानक प्रकोपन का कोई साक्ष्य नहीं है और अपराध अचानक लड़ाई या अचानक झगड़ा जनित कार्य नहीं है तथा अभियुक्त ने मृतक पर कटार से प्रहार कर उसकी हत्या कारित की थी, अतः, अपराध धारा 300 के किसी अपवाद के अधीन न आने के कारण अभियुक्त धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने का पात्र है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – प्रत्यक्षदर्शी का एकमात्र परिसाक्ष्य – यदि एकल साक्षी का परिसाक्ष्य विश्वसनीय और विश्वासोत्पादक हो तो एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य पर अभियुक्त

को दोषसिद्ध किया जा सकता है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त और उसकी पत्नी ने इत्तिलाकर्ता के पति की तारीख 3 जून, 2004 को अपराह्न लगभग 5.00 बजे छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी । घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 2004 के अपराध संख्या 158 के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उन व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जिनको मामले के तथ्यों की जानकारी थी और अपीलार्थी को, जो आरंभिकतः, फरार था, गिरफ्तार कर लिया । शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेज दिया गया । अन्वेषण की समाप्ति पर अपीलार्थी और उसकी पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन तारीख 30 सितंबर, 2005 को आरोप पत्र फाइल कर दिया गया । चूंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, अतः तारीख 14 फरवरी, 2007 को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया जिसने केवल अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित कर दिए । जब अपीलार्थी को आरोप पढ़ कर सुनाए गए तो उसने इनकार किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध पाया और तारीख 25 सितंबर, 2008 के निर्णय द्वारा कठोर आजीवन कारावास भोगने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर छः माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियुक्त की माता और मृतक की पत्नी श्रीमती कुसुम देवी ने स्पष्ट शब्दों में अभिकथित किया है कि जब वह अपने पति की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने घटना को घटित होते हुए देखा था । उसने आगे अभिकथित किया है कि उसने अभियुक्त को उसके पति की छाती और उदर पर 2-3 प्रहार करते हुए देखा था । इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह भी अभिकथित किया है कि अभियुक्त ने प्रहार किए थे । चूंकि उसके पति ने उसकी पुत्रवधू (अभियुक्त की पत्नी) से कहा था कि वह उसकी बेटी को गालियां न दे । यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की है, इस साक्षी के परिसाक्ष्य पर अविश्वास किए जाने के लिए कोई खंडन अभिलेख पर प्रस्तुत

नहीं किया गया । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान इस सुझाव से भी इनकार किया है कि बबीता (अभियुक्त की पत्नी) ने क्षतियां कारित की थीं और न कि उसके पुत्र (अभियुक्त) ने । इसका कोई कारण नहीं है कि कोई माता उसके पुत्र को असत्य रूप से क्यों फंसाएगी । कोई पूर्ववर्ती शत्रुता या तनावपूर्ण संबंध, सिवाय इसके कि अभियुक्त पृथक् होना चाहता था (अभि. स. 1 का कथन) प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा या कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा साबित किया जा सकता था । अभि. सा. 3 का साक्ष्य विश्वसनीय होने के कारण दोषसिद्धि अभि. सा. 3 के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, वह भी तब जबकि घटना के समय किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का सुझाव दिए जाने के प्रयोजनार्थ भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो । (पैरा 11)

विद्वान् न्यायमित्र की दलील कि अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था, को भी इस साधारण कारणवश स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्धि केवल तब अभिलिखित की जा सकती है जब आपराधिक मानव वध हत्या न हो । आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार अपवादों में से किसी के अन्तर्गत आता है । भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को घोर और अकस्मात् प्रकोपन की स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसके कारण वह अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा था । इसी प्रकार से चौथे अपवाद के अंतर्गत आने के लिए यह साबित किया जाना अपेक्षित है कि अपराध अकस्मात् झगड़े के कारण और क्रोध की उत्तेजना में अकस्मात् झगड़े में बिना किसी पूर्व-चिंतन के और अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ लिए बिना या किसी क्रूर या अप्रायिक तरीके से कार्य किए बिना कारित किया गया है । (पैरा 12)

हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अभि. सा. 1 श्री जितेन्द्र राय के साक्ष्य कि परिवार से पृथक्करण चाहता था और अभि. सा. 3 श्रीमती कुसुम देवी का साक्ष्य कि अभियुक्त ने कटार प्रहार इस कारणवश कारित किए थे चूंकि मृतक ने अभियुक्त की पत्नी से कहा था कि वह उसकी पुत्री को गालियां न दे, के अतिरिक्त घोर और अचानक प्रकोपन या अचानक झगड़ा

या अचानक संबद्ध की तो बात दूर, प्रकोपन का सुझाव देने के प्रयोजनार्थ भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा अभियुक्त के पक्षकथन को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-1 या 4 के अंतर्गत लाया जा सके । इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपवाद-2 और 3 को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता । (पैरा 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील (जे) सं. 145.

2007 के सेशन मामला संख्या 49(के) में गुवाहाटी के कामरूप के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 25 सितंबर, 2008 के दोषसिद्धि के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आई. ए. हजारिका (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री बी. भूपन, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति बी. पी. कताकी ने दिया ।

न्या. कताकी – दोषसिद्ध जो अभिरक्षा में है, द्वारा फाइल की गई यह अपील 2007 के सेशन मामला संख्या 49(के) में गुवाहाटी के कामरूप के विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 25 सितंबर, 2008 के दोषसिद्धि के निर्णय, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और कठोर आजीवन कारावास भोगने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में चूक होने पर छ: माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया, के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अभियोजन पक्षकथन, जैसा कि तारीख 4 जून, 2004 को अपराह्न 4.00 बजे दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से प्रकट होता है, यह है कि तारीख 3 जून, 2004 को अपराह्न लगभग 5.00 बजे श्री लक्ष्मण राय (अपीलार्थी) और उसकी पत्नी बबीता देवी ने इत्तिलाकर्ता श्रीमती कुसुम देवी (अभि. सा. 3) के पति श्री कैलाश राय को छुरा घोंप दिया था जिस कारणवश अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर नूनमती पुलिस थाना में 2004 का मामला संख्या 158 भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उन व्यक्तियों के कथन अभिलिखित किए जिनको मामले के तथ्यों की जानकारी थी और अपीलार्थी को गिरफ्तार कर

लिया जो आरंभिकतः फरार था । शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेज दिया गया था । अन्वेषण की समाप्ति पर अपीलार्थी और उसकी पत्नी के विरुद्ध धारा 302/34 के अधीन तारीख 30 सितंबर, 2005 को आरोप पत्र फाइल कर दिया गया । चूंकि मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य था, गुवाहाटी के विद्वान् उप-खण्ड मजिस्ट्रेट (एस) संख्या 1 ने तारीख 14 फरवरी, 2007 को मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया और तद्नुसार सेशन मामला संख्या 49(के)/2007 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

3. तारीख 17 मार्च, 2007 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन केवल वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए, यद्यपि आरोप केवल धारा 302 के अधीन विरचित किए गए थे । जब अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोप पढ़ कर सुनाए और समझाए गए तो उसने उनसे इनकार किया और विचारण का सामना करने का दावा किया । अतः विचारण आरंभ हुआ ।

4. अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के प्रयोजनार्थ आठ साक्षियों अर्थात् श्री जितेन्द्र राय (अभि. सा. 1), अभियुक्त के भाई डा. पुतुल महंता (अभि. सा. 2) जिसने मृतक की शव-परीक्षा संचालित की थी और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-1) प्रस्तुत की थी, श्रीमती कुसुम देवी (अभि. सा. 3) जो अभियुक्त की मां और मृतक की पत्नी है, श्री भोबश कताकी (अभि. सा. 4) एक स्थानीय निवासी जिसने अभियुक्त को भागते हुए देखा था जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे, श्री आबिद अली (अभि. सा. 5) एक अन्य स्थानीय निवासी श्री वशिष्ठ राय (अभि. सा. 6) जो मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-2) का साक्षी है, श्री दिलीप दत्ता (अभि. सा. 7) जो सतगांव पुलिस चौकी का भारसाधक अधिकारी है और जिसने आरोप पत्र प्रस्तुत किया और श्री धीरेन्द्र नारायण देव (अभि. सा. 8) जो अन्वेषण अधिकारी है जिसने अन्वेषण संचालित किया और जिसके आधार पर अभि. सा. 7 ने आरोप पत्र फाइल किया है । यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने उन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जिनका परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया था, फिर भी किसी प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण नहीं किया गया, का परीक्षण कराया । अभियुक्त-अपीलार्थी का धारा 313 के अधीन कथन भी अभिलिखित किया गया है ।

5. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए पूर्वोक्त दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया । अतः प्रस्तुत अपील फाइल की

गई ।

6. क्योंकि अपील अभिरक्षा से फाइल की गई और अभियुक्त अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व किसी विद्वान् काउंसेल द्वारा नहीं किया गया, हमने विद्वान् न्यायमित्र श्री आई. ए. हजारिका जिनको अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से अपील में बहस करने के लिए नियुक्त किया गया है, को सुना । हमने असम राज्य के विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री बी. भूपन को भी सुना ।

7. विद्वान् न्यायमित्र सुश्री हजारिका ने अभि. सा. 3 के शपथपूर्वक कथन को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया कि उसने एकमात्र साक्षी होते हुए दावा किया कि उसने घटना को देखा है, फिर भी यह उचित नहीं होगा कि किसी संपुष्टिकारक साक्ष्य और किसी स्वतंत्र साक्षी के परीक्षण के बिना ही अभि. सा. 1 के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि कर दी जाए । विद्वान् काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि यह धारणा करते हुए भी कि दोषसिद्धि अभि. सा. 3 के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, मृतक द्वारा घोर और अकस्मात् प्रकोपन की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी जिसके कारण अभियुक्त आत्मनियंत्रण की शक्ति खो बैठा और अपराध बिना किसी पूर्व-चिंतन के घटित हो गया, अतः किसी भी स्थिति में अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

8. इसके विपरीत विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री भूपन ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय का समर्थन करते हुए और अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए निवेदन किया कि घोर और अकस्मात् प्रकोपन, जिसके कारण अभियुक्त आत्मनियंत्रण की शक्ति खो बैठा, मृतक द्वारा प्रकोपन का भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाए । यह निवेदन भी किया गया कि दोषसिद्धि किसी एकल प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है परंतु यह मत जबकि साक्षी और साक्ष्य विश्वसनीय हो । हमारे समक्ष उपस्थित मामले में विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटनास्थल पर अभियुक्त की माता और मृतक की पत्नी अभि. सा. 3, जिसने घटना को घटित होते हुए देखा था, के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के उपस्थित न होने के कारण दोषसिद्धि उसके एकल परिसाक्ष्य के आधार पर की जा सकती है चूंकि उसका परिसाक्ष्य विश्वसनीय है । अतः विद्वान् अपर लोक

अभियोजक ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

9. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार किया और अभिलेख का परिशीलन किया ।

10. अभि. सा. 2 डा. पुतुल महंता, जिन्होंने शव-परीक्षा की और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-1) प्रस्तुत की, ने शपथपूर्वक किए गए अपने कथन में उन क्षतियों का वर्णन किया है जो मृतक के शरीर पर पाई गईं । उन्होंने प्रदर्श-1 के आधार पर शपथपूर्वक कथन किया कि उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "1. बाएं चूचुक से 14 से. मी. नीचे मध्य रेखा से 10 से. मी. की दूरी पर उदर के बाईं ओर 4 से. मी. x 2.5 से. मी. माप का वेधित घाव है जो उदरीय गुहा तक गहरा है । अमाशय और शरीर का अग्र भाग छिद्रयुक्त है ।
>
> 2. दाएं चूचुक से 7 से. मी. की दूरी पर मध्य रेखा से 3 से. मी. दाईं ओर उदर के सामने की ओर 4 से. मी. x 2.5 से. मी. माप का वेधित घाव है जो उदरीय गुहा तक गहरा है, यकृत विदीर्ण है ।
>
> 3. दाएं चूचुक के नीचे 2 से. मी. की दूरी पर मध्य रेखा की दाईं ओर 5 से. मी. की दूरी पर 3 से. मी. x 2 से. मी. माप का वेधित घाव है जो वक्षीय गुहा तक गहरा है । दाएं फेफड़े का ऊपरी पिंड विदीर्ण है । फुप्फुस गुहा द्रव्य से भरी हुई है और उसमें थक्केदार रक्त मौजूद है । इस घाव के किनारे रक्तमय हैं जो पानी से धोने पर साफ नहीं हुए हैं । क्षति की दिशा दाएं से बाईं ओर ऊपर से नीचे की ओर है ।"

इस साक्षी ने यह मत भी व्यक्त किया है कि मृत्यु बरदाश्त की गई क्षतियों जो मृत्यु पूर्व प्रकृति की हैं और तेज धार वाले नुकीले हथियार द्वारा कारित की गई हैं और मानवघाती प्रकृति की हैं, के परिणामस्वरूप सदमा और रक्तस्राव के कारण हुई थी । अभि. सा. 2 ने यह मत भी व्यक्त किया है कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां मानवघाती प्रकृति की हैं । अभि. सा. 2 ने यह मत भी व्यक्त किया है कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में वर्णित क्षतियां सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हैं । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा बिल्कुल नहीं की । अतः प्रतिरक्षा पक्ष ने मृतक के शरीर पर पाई गई क्षतियों और साथ ही मृत्यु के कारण

को विवादित नहीं किया है ।

11. प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अब इस बात की संवीक्षा किया जाना अपेक्षित है कि क्या अभियुक्त-अपीलार्थी अपराध का कर्ता है या क्या उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । अभियुक्त की माता और मृतक की पत्नी श्रीमती कुसुम देवी ने स्पष्ट शब्दों में अभिकथित किया है कि जब वह अपने पति की चिल्लाने की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आई तो उसने घटना को घटित होते हुए देखा था । उसने आगे अभिकथित किया है कि उसने अभियुक्त को उसके पति की छाती और उदर पर 2-3 प्रहार करते हुए देखा था । इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह भी अभिकथित किया है कि अभियुक्त ने प्रहार किए थे । चूंकि उसके पति ने उसकी पुत्रवधू (अभियुक्त की पत्नी) से कहा था कि वह उसकी बेटी को गालियां न दे । यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा की है, इस साक्षी के परिसाक्ष्य पर अविश्वास किए जाने के लिए कोई खंडन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान इस सुझाव से भी इनकार किया है कि बबीता (अभियुक्त की पत्नी) ने क्षतियां कारित की थीं और न कि उसके पुत्र (अभियुक्त) ने । इसका कोई कारण नहीं है कि कोई माता उसके पुत्र को असत्य रूप से क्यों फंसाएगी । कोई पूर्ववर्ती शत्रुता या तनावपूर्ण संबंध, सिवाए इसके कि अभियुक्त पृथक् होना चाहता था (अभि. सा. 1 का कथन) प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा या कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के द्वारा साबित किया जा सकता था । अभि. सा. 3 का साक्ष्य विश्वसनीय होने के कारण दोषसिद्धि अभि. सा. 3 के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर की जा सकती है, वह भी तब जबकि घटना के समय किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का सुझाव दिए जाने के प्रयोजनार्थ भी अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो ।

12. विद्वान् न्यायमित्र की दलील कि अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के बजाय धारा 304 के अधीन दोषसिद्ध किया जाना चाहिए था, को भी इस साधारण कारणवश स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्धि केवल तब अभिलिखित की जा सकती है जब आपराधिक मानव वध हत्या न हो । आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के चार अपवादों में से किसी के अन्तर्गत आता है । भारतीय दंड संहिता की धारा

300 के प्रथम अपवाद के अंतर्गत आने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त को घोर और अकस्मात प्रकोपन की स्थिति का सामना करना पड़ा था जिसके कारण वह अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा था । इसी प्रकार से चौथे अपवाद के अंतर्गत आने के लिए यह साबित किया जाना अपेक्षित है कि अपराध अकस्मात झगड़े के कारण और क्रोध की उत्तेजना में अकस्मात झगड़े में बिना किसी पूर्व-चिंतन के और अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ लिए बिना या किसी क्रूर या अप्रायिक तरीके से कार्य किए बिना कारित किया गया है ।

13. हमारे समक्ष उपस्थित मामले में अभि. सा. 1 श्री जितेन्द्र राय के साक्ष्य कि परिवार से पृथक्करण चाहता था और अभि. सा. 3 श्रीमती कुसुम देवी का साक्ष्य कि अभियुक्त ने कटार प्रहार इस कारणवश कारित किए थे चूंकि मृतक ने अभियुक्त की पत्नी से कहा था कि वह उसकी पुत्री को गालियां न दे, के अतिरिक्त घोर और अचानक प्रकोपन या अचानक झगड़ा या अचानक संबद्ध की तो बात दूर, प्रकोपन का सुझाव देने के प्रयोजनार्थ भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा अभियुक्त के पक्षकथन को भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद-1 या 4 के अंतर्गत लाया जा सके । इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपवाद-2 और 3 को बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सकता ।

14. हम पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से 304 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त किए जाने या दोषसिद्धि में परिवर्तन किए जाने हेतु इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते । अतः अपील खारिज की जाती है ।

15. हम मामले को समाप्त करने के पूर्व विद्वान् न्यायमित्र श्री आई. ए. हजारिका द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए प्रशंसा अभिलिखित करते हैं जो असम सरकार द्वारा संदेय 5,000/- रुपए का शुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

16. रजिस्ट्री के अभिलेख अभिलेखागार में भेजने के लिए निदेशित किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

उत्तम कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 7 मार्च, 2013

न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति रंगनाथ चन्द्राकर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 और 376 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3 और 27] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त और मृतका जिसकी आयु 65 वर्ष थी, को अंतिम बार एक साथ देखा गया किन्तु अभियुक्त के साथ मृतका को अंतिम बार देखने और शव मिलने के बीच दो दिन का अन्तर था तथा बलात्संग साबित करने की कोई सामग्री नहीं है और न ही किसी साक्ष्य या सामग्री से यह साबित होता है कि मृतका की मृत्यु कारित की गई, अतः निश्चायक प्रकृति के पारिस्थितिक साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है ।

मृतका मंगलदाई अर्थात् मंगदाई 65 वर्ष की एक वृद्ध स्त्री थी । वह तारीख 21 मार्च, 2011 को अपराह्न 1.30 बजे से लापता थी । उसका शव तारीख 23 मार्च, 2011 को प्रातःकाल ग्राम के बाहरी इलाके में स्थित बांध में पाया गया था । कुमारी ललिता और कुमारी रोहिणी नामक बालिकाओं ने तारीख 22 मार्च, 2011 को ग्रामीणों को बताया था कि उन्होंने मृतका को तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम अपीलार्थी के साथ देखा था और दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर बांध की ओर जा रहे थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 23 मार्च, 2011 को दोपहर लगभग 12.00 बजे अभिलिखित की गई और अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना दी और मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा तैयार की । मरणोत्तर परीक्षा डा. प्रीति सिंह द्वारा की गई । शव-परीक्षा करने वाले सर्जन का मत था कि मृत्यु डूब कर दम घुटने के कारण हुई है किंतु मृत्यु के तरीके के बारे में कुछ पता नहीं चल सका । मुख्य परिस्थिति अंतिम बार एक साथ देखे जाने वाली परिस्थिति है । अभियोजन के अनुसार मृतका को अपीलार्थी के साथ तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम को देखा गया था । अभियोजन ने अंतिम बार देखे जाने वाली परिस्थिति को साबित करने के

लिए दो साक्षियों का परीक्षण कराया । दोनों साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया कि तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम जब वे घर लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा की अपीलार्थी और मृतका एक साथ जा रहे थे । वे बांध की ओर जा रहे थे । तारीख 23 मार्च, 2011 को मृतका का शव बांध में पाया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने 2011 के सेशन विचारण संख्या 84 में पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2012 के निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – मुख्य परिस्थिति अंतिम बार एक साथ देखे जाने वाली परिस्थिति है । अभियोजन के अनुसार मृतका को अपीलार्थी के साथ तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम को देखा गया था । अभियोजन ने अंतिम बार देखे जाने वाली परिस्थिति को साबित करने के लिए दो साक्षियों का परीक्षण कराया, वे हैं कुमारी ललिता (अभि. सा. 5) और कुमारी रोहिणी (अभि. सा. 7) । दोनों साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया है कि तारीख 21 मार्च, 2011 को, जब वे शाम को अपने घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि अपीलार्थी और मृतका एक साथ जा रहे थे और उन लोगों ने अपने-अपने हाथों को एक-दूसरे के कंधे पर डाल रखा था । वे बांध की तरफ जा रहे थे । इन साक्षियों ने इन तथ्यों का प्रकटीकरण तारीख 22 मार्च, 2011 को मृतका के परिवार के सदस्यों के समक्ष किया था । किंतु उनकी सूचना के आधार पर मृतका को खोजे जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । तथापि, तारीख 23 मार्च, 2011 को मृतका का शव बांध में पाया गया । घटना की तारीख अर्थात् तारीख 21 मार्च, 2011 को होली का त्यौहार था । अभियोजन पक्ष ने यह पक्षकथन किया कि अपीलार्थी और मृतका ने प्रथमतः सुक्कूराम के घर मद्य का सेवन किया और तत्पश्चात् वे बांध की तरफ चले गए जहां अपीलार्थी ने मृतका के साथ लैंगिक संभोग किया । यदि हम यह धारणा भी कर ले कि मृतका को तारीख 21 मार्च, 2011 को अपीलार्थी के साथ देखा गया था तो पूर्वोक्त परिस्थिति अपीलार्थी को शायद ही इस घटना में अंतर्वलित कर सके, चूंकि अपीलार्थी के साथ मृतका को देखे जाने और मृतका का शव पाए जाने के मध्य दो दिनों से अधिक का अंतराल हो चुका था और इस दौरान किसी तृतीय व्यक्ति के घटना में सम्मिलित हो जाने की संभाव्यता को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता । (पैरा 6)

सेशन न्यायाधीश ने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रथमतः,

अपीलार्थी द्वारा मृतका को लैंगिक संभोग करने के लिए बलपूर्वक विवश किया गया और जब उसने अपीलार्थी को धमकी दी कि वह ग्राम में इस घटना का प्रकटीकरण कर देगी, तो अपीलार्थी ने बांध के पानी में डुबोने के द्वारा उसकी हत्या कर दी । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि मृतका को लैंगिक संभोग करने के लिए विवश किया गया था । अभिलेख पर यह साबित करने के लिए भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि मृत्यु के पूर्व अपीलार्थी और मृतका के मध्य किसी प्रकार का झगड़ा हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि सेशन न्यायाधीश ने ज्ञापन, जिसको साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था, के आरंभिक भाग में अपीलार्थी के पक्षकथन के आधार पर उपरोक्त निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया है । सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया सही नहीं है । (पैरा 7)

विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया ज्ञापन का मात्र प्रकटन भाग साक्ष्य में ग्राह्य होता है और उसका आरंभिक भाग उसके कथनकर्ता के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसलिए हम अभिनिर्धारित करते हैं कि विधिक साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि या तो अपीलार्थी द्वारा मृतका को लैंगिक संभोग के लिए विवश किया गया था या मृतका ने इस बाबत अपीलार्थी को धमकी दी थी, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा उसको पानी में डुबो दिया गया था और इस बाबत निकाला गया निष्कर्ष तर्क विरुद्ध है । (पैरा 8)

जहां तक उन परिस्थितियों का संबंध है जिनके अधीन अपीलार्थी की तौलिया और चड्डी बरामद हुई और उनका अभिग्रहण किया गया, अपीलार्थी को घटना में अंतर्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है चूंकि न तो रक्त के निशान और न ही वीर्य या मानव शुक्राणु इत्यादि इन वस्तुओं पर पाए गए थे । (पैरा 9)

इसके अलावा, हम आगे उल्लेख करते हैं कि अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि मृतका की मृत्यु मानव वध के कारण हुई । मृतका का शव बांध में डूबी हुई स्थिति में पाया गया था । वह अत्यधिक सड़ गया था । डा. (श्रीमती) प्रीति सिंह (अभि. सा. 1) ने शव पर कोई बाह्य या आंतिरक क्षति नहीं पाई । उन्होंने केवल यह पाया था कि योनि और गुदा के भाग बाहर आ गए थे, जो शव के उच्च मात्रा में सड़ जाने के कारणवश हुआ होगा । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मत व्यक्त किया कि मृत्यु का

तरीका अभिभावी परिस्थितियों पर निर्भर होता है । अभियोजन किसी भी अभिभावी परिस्थिति, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि यह मामला किसी तृतीय पक्ष के मध्यक्षेप द्वारा डुबोए जाने का है, को अभिलेख पर प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है । (पैरा 10)

घटना के दिन होली का उत्सव था । प्रायः, दिन में होली (रंग) खेलने के पश्चात् ग्रामीण बांध या जल-स्त्रोतों पर नहाने के लिए जाते हैं । हमारा विचार है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी तृतीय पक्ष के मध्यक्षेप के बिना डूब कर मृत्यु की संभाव्यता या यह संभाव्यता कि मृतका, जिसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी, दुर्घटनावश स्वयं ही बांध में नहाते समय डूब गई होगी, से इनकार नहीं किया जा सकता । (पैरा 11)

अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी और मृतका ने सुक्कूराम के घर पर मद्य का सेवन किया और तत्पश्चात् उन्होंने नशे की स्थिति में उसका घर छोड़ा था । हम उल्लेख करते हैं कि सुक्कूराम का परीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराया गया है और उसका परीक्षण न कराया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक है । (पैरा 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 40.

2011 के सेशन विचारण सं. 84 में कंकर, उत्तरी बस्तर के सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2011 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एफ. एस. खरे

राज्य की ओर से श्री अनन्त बाजपेयी पैनल अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – यह अपील कंकर, उत्तरी बस्तर के सेशन न्यायाधीश द्वारा 2011 के सेशन विचारण संख्या 84 में पारित तारीख 31 अक्तूबर, 2012 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई । आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास दस वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक आधार पर जुर्माने का दंडादेश भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया, साथ ही इस बाबत भी निदेशित किया गया कि सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :–

"2.1 मृतका मंगलदाई अर्थात् मंगदाई एक वृद्ध स्त्री थी जिसकी आयु 65 वर्ष थी । वह तारीख 21 मार्च, 2011 को अपराह्न 1.30 बजे से लापता थी । उसका शव तारीख 23 मार्च, 2011 को प्रातःकाल ग्राम के बाहरी इलाके में स्थित बांध में पाया गया था । कुमारी ललिता (अभि. सा. 5) और कुमारी रोहिणी (अभि. सा. 7) ने तारीख 22 मार्च, 2011 को ग्रामीणों को बताया था कि उन्होंने मृतका को तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम को अपीलार्थी के साथ देखा था और दोनों एक दूसरे के कंधे में हाथ डालकर बांध की ओर जा रहे थे । मर्ज सूचना (प्रदर्श पी-9) तारीख 23 मार्च, 2011 को दोपहर लगभग 12.00 बजे अभिलिखित की गई थी । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को सूचना (प्रदर्श पी-5) दी और मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी-6) तैयार की । मरणोत्तर परीक्षा डा. (श्रीमती) प्रीति सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा की गई । शव अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में था । उन्होंने (डा. प्रीति सिंह ने) मृतका के शव पर कोई बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पाई । तथापि, गर्भाशय और गुदा के भागों की स्थिति का पता शव के सड़ जाने के कारण भी चल गया । मृतका के योनिक स्वाब की दो स्लाइडें बनाई गईं और सम्बद्ध पुलिस अधिकारी को सौंप दी गईं । शव-परीक्षा करने वाले सर्जन ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु डूब कर दम घुट जाने के कारण हुई है । फिर भी मृत्यु के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका । मरणोत्तर यह परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 है । अन्वेषण के अनुक्रम में अभिरक्षा में कथन किया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उसका कथन अभिलिखित किया गया और उससे संबंधित एक तौलिया और एक चड्डी उसके बताए गए स्थान से अभिग्रहण मेमो, जो प्रदर्श पी-4 है, द्वारा अभिगृहीत की गई । अभिगृहीत वस्तुओं को रायपुर स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला रासायनिक परीक्षण के प्रयोजनार्थ भेज दिया गया जहां से एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-23) प्राप्त हुई । अपराध विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार स्लाइडों और अपीलार्थी की चड्डी, जिसको परीक्षण के लिए भेजा गया था, में वीर्य मानव शुक्राणु नहीं पाए गए थे ।

2.2 स्वीकृततः, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित था ।

निम्नलिखित वे मुख्य परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की है –

(i) मृतका को अंतिम बार अपीलार्थी की कंपनी में देखा गया था ;

(ii) मृतका का शव बांध में पाया गया था ;

(iii) अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटन कथन के आधार पर तौलिया और चड्डी बरामद किए गए थे ;

(iv) वह स्थान जहां अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से मृतका के साथ लैंगिक संभोग कारित किया और बांध (जहां मृतका का शव पाया गया), 200 मीटर की दूरी पर स्थित है ; और

(v) मृतका द्वारा यह कहा गया था कि वह ग्राम में बलपूर्वक लैंगिक मैथुन की बात का प्रकटीकरण कर देगी, इसलिए, अपीलार्थी के पास मृतका की हत्या कारित करने का आशय था ।"

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री एफ. एस. खरे ने दलील दी कि उपरोक्त परिस्थितियां (सेशन न्यायालय के समक्ष) पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई थीं; वे निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थी; परिस्थितियां स्पष्ट किए जाने योग्य थीं; और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला भी पूर्ण नहीं थीं ।

4. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री अनंत बाजपेई ने इन दलीलों का विरोध किया और सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया ।

5. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेल को सुना ।

6. मुख्य परिस्थिति अंतिम बार एक साथ देखे जाने वाली परिस्थिति है । अभियोजन के अनुसार मृतका को अपीलार्थी के साथ तारीख 21 मार्च, 2011 की शाम को देखा गया था । अभियोजन ने अंतिम बार देखे जाने वाली परिस्थिति को साबित करने के लिए दो साक्षियों का परीक्षण कराया, वे हैं कुमारी ललिता (अभि. सा. 5) और कुमारी रोहिणी (अभि. सा. 7) । दोनों साक्षियों ने शपथपूर्वक कथन किया है कि तारीख 21 मार्च, 2011 की जब

वे शाम को अपने घर को लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि अपीलार्थी और मृतका एक साथ जा रहे थे और उन लोगों ने अपने-अपने हाथों को एक-दूसरे के कंधे पर डाल रखा था । वे बांध की तरफ जा रहे थे । इन साक्षियों ने इन तथ्यों का प्रकटीकरण तारीख 22 मार्च, 2011 को मृतका के परिवार के सदस्यों के समक्ष किया था । किंतु उनकी सूचना के आधार पर मृतका को खोजे जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । तथापि, तारीख 23 मार्च, 2011 को मृतका का शव बांध में पाया गया । घटना की तारीख अर्थात् तारीख 21 मार्च, 2011 को होली का त्यौहार था । अभियोजन पक्ष ने यह पक्षकथन किया कि अपीलार्थी और मृतका ने प्रथमतः सुक्कूराम के घर में मद्य का सेवन किया और तत्पश्चात् वे बांध की तरफ चले गए जहां अपीलार्थी ने मृतका के साथ लैंगिक संभोग किया । यदि हम यह धारणा भी कर लें कि मृतका को तारीख 21 मार्च, 2011 को अपीलार्थी के साथ देखा गया था तो पूर्वोक्त परिस्थिति अपीलार्थी को शायद ही इस घटना में अंतर्वलित कर सके, चूंकि अपीलार्थी के साथ मृतका को देखे जाने और मृतका का शव पाए जाने के मध्य दो दिनों से अधिक का अंतराल हो चुका था और इस दौरान किसी तृतीय व्यक्ति के घटना में सम्मिलित हो जाने की संभाव्यता को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता ।

7. सेशन न्यायाधीश ने एक निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रथमतः, अपीलार्थी द्वारा मृतका को लैंगिक संभोग करने के लिए बलपूर्वक विवश किया और जब उसने अपीलार्थी को धमकी दी कि वह ग्राम में इस घटना का प्रकटीकरण कर देगी, तो अपीलार्थी ने बांध के पानी में डुबोने के द्वारा उसकी हत्या कर दी । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अभिनिर्धारित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि मृतका को लैंगिक संभोग करने के लिए विवश किया गया था । अभिलेख पर यह साबित करने के लिए भी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि मृत्यु के पूर्व अपीलार्थी और मृतका के मध्य किसी का झगड़ा हुआ था । ऐसा प्रतीत होता है कि सेशन न्यायाधीश ने ज्ञापन, जिसको साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था, के आरंभिक भाग में अपीलार्थी के पक्षकथन के आधार पर उपरोक्त निष्कर्ष अभिलिखित कर दिया है । सेशन न्यायाधीश द्वारा अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया सही नहीं है ।

8. विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया ज्ञापन का मात्र प्रकटन भाग साक्ष्य में ग्राह्य होता है और

उसका आरंभिक भाग उसके कथनकर्ता के विरुद्ध कभी भी प्रयोग नहीं किया जा सकता । इसलिए हम अभिनिर्धारित करते हैं कि विधिक साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया था कि या तो अपीलार्थी द्वारा मृतका को लैंगिक संभोग के लिए विवश किया गया था या मृतका ने इस बाबत अपीलार्थी को धमकी दी थी, इसलिए, अपीलार्थी द्वारा उसको पानी में डुबो दिया गया था और इस बाबत निकाला गया निष्कर्ष तर्क विरुद्ध है ।

9. जहां तक उन परिस्थितियों का संबंध है जिनके अधीन अपीलार्थी की तौलिया और चड्डी की बरामदगी हुई और उनका अभिग्रहण किया गया, वह भी अपीलार्थी को घटना में अंतर्वलित करने के लिए पर्याप्त नहीं है चूंकि न तो रक्त के निशान और न ही वीर्य या मानव शुक्राणु इत्यादि इन वस्तुओं पर पाए गए थे ।

10. इसके अलावा, हम आगे उल्लेख करते हैं कि अभियोजन द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि मृतका की मृत्यु मानव वध के कारण हुई । मृतका का शव बांध में डूबी हुई स्थिति में पाया गया था । वह अत्यधिक सड़ गया था । डा. (श्रीमती) प्रीति सिंह (अभि. सा. 1) ने शव पर कोई बाह्य या आंतिरक क्षति नहीं पाई थी । उन्होंने केवल यह पाया था कि योनि और गुदा के भाग बाहर आ गए थे, जो शव के उच्च मात्रा में सड़ जाने के कारणवश हुआ होगा । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मत व्यक्त किया कि मृत्यु का तरीका अभिभावी परिस्थितियों पर निर्भर होता है । अभियोजन किसी भी अभिभावी परिस्थिति, जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि यह मामला किसी तृतीय पक्ष के मध्यक्षेप द्वारा डुबोए जाने का है, को अभिलेख पर प्रस्तुत कर पाने में विफल रहा है ।

11. घटना के दिन होली का उत्सव था । प्रायः, दिन में होली (रंग) खेलने के पश्चात् ग्रामीण बांध या जल-स्त्रोतों पर नहाने के लिए जाते हैं । हमारा विचार है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी तृतीय पक्ष के मध्यक्षेप के बिना डूब कर मृत्यु की संभाव्यता या यह संभाव्यता कि मृतका, जिसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी, दुर्घटनावश स्वयं ही बांध में नहाते समय डूब गई होगी, से इनकार नहीं किया जा सकता ।

12. अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी और मृतका ने सुक्कूराम के घर पर मद्य का सेवन किया था और तत्पश्चात् उन्होंने नशे की स्थिति में उसका घर छोड़ा था । हम उल्लेख करते हैं कि सुक्कूराम

का परीक्षण अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराया गया है और उसका परीक्षण न कराया जाना अभियोजन के मामले के लिए घातक है ।

13. उपरोक्त कारणोंवश हम पारिस्थितिक साक्ष्य के उपरोक्त समुच्चय के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को मान्य ठहराने में असमर्थ हैं । अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियों को पूरी तरह से साबित नहीं किया गया है । परिस्थितियां निश्चायक, प्रकृति और प्रवृत्ति की भी नहीं हैं और सभी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला भी पूर्ण नहीं होती ।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 376 के अधीन अपीलार्थी पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह अभिकथित किया जाता है कि अपीलार्थी तारीख 28 मार्च, 2011 से अभिरक्षा में है । यदि वह किसी अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है तो उसको तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

(2014) 1 दा. नि. प. 852 **राजस्थान**

संजय उर्फ गफूदिया

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 16 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा

कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) – धारा 59 – पैरोल – यदि दंडादेश भुगत रहे कैदी (याची) का आचरण संतोषजनक है और याची ने दस वर्ष और एक मास का कारावास भोग लिया है तो याची को न्याय हितों में अपने विवाह के प्रयोजन के लिए पैरोल की अवधि तीस दिन तक

बढ़ाई जा सकती है ।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची 2005 के सेशन मामला संख्या 17 में बांसवाड़ा के अपर फास्ट ट्रैक न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 21 मार्च, 2006 को पारित निर्णय और आदेश के अधीन जिला जालौर के स्थित केसवाना मुक्त एयर कैंप में दंडादेश भोग रहा है और वर्तमान में 40 दिन के नियमित पैरोल पर है जो तारीख 9 मार्च, 2013 से 17 अप्रैल, 2013 तक प्रभावी है । याची ने निवेदन किया है कि उसके पैरोल के दौरान उसके परिजनों ने उसका विवाह तय कर दिया जो तारीख 29 अप्रैल, 2013 को बांसवाड़ा में सम्पन्न होना है, अतः उसको विवाह के प्रयोजनार्थ 30 दिन का आपातकालीन पैरोल प्रदान किया जाए । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों के समुच्चय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि जब दंडादेश भोग रहे याची का आचरण अन्यथा रूप से संतोषप्रद पाया जाता है, और वह वर्तमान में भी पैरोल पर है और उसका विवाह तारीख 29 अप्रैल, 2013 को होना निर्धारित है तो न्याय हित की पूर्ति होगी यदि उसको तारीख 9 मार्च, 2013 के पैरोल निर्मुक्ति आदेश के जारी रहने के समान नियमों और शर्तों के आधार पर जैसा कि तारीख 9 मार्च, 2013 के आदेश में समाविष्ट है, इस अनुबंध शर्त के आधार पर कि याची द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्र और प्रतिभू को उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा जैसे कि उनको तारीख 10 मई, 2013 या उसके पूर्व आत्मसमर्पण की अपेक्षा के बाबत पढ़ा गया था । न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि न्यायालय ने यह आदेश मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों और न्यायहित को ध्यान में रखते हुए पारित किया है । तथापि, याची द्वारा पैरोल के विस्तारण की अवधि तारीख 17 अप्रैल, 2013 के पश्चात् से अभिरक्षा के प्रयोजनार्थ उसके आत्मसमर्पण तक अर्थात् तारीख 10 मई, 2013 तक या उसके पूर्व तक आपातकालीन पैरोल की अवधि के रूप में न कि नियमित पैरोल के रूप में प्राप्त की जाएगी । (पैरा 7 और 8)

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की खंड न्यायपीठ पैरोल याचिका सं. 3849.

1894 के जेल अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत पैराल की अवधि बढ़ाए जाने हेतु पैरोल याचिका ।

याची की ओर से याची व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

प्रत्यर्थी की ओर से श्री के. आर. बिश्नोई (सरकारी काउंसेल)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने दिया ।

न्या. माहेश्वरी – हमने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याची और विद्वान् सरकारी काउंसेल को सुना ।

2. याची जो अभिकथित रूप से 2005 के सेशन मामला संख्या 17 में तारीख 21 मार्च, 2006 को पारित निर्णय और आदेश में बांसवाड़ा के अपर फास्ट ट्रैक न्यायाधीश द्वारा प्रदान किए गए दंडादेश को भोग रहा है, यह निवेदन करते हुए पैरोल याचिका फाइल की है कि वह जिला जालौर स्थित केसवाना मुक्त एयर कैंप में दंडादेश भोग रहा है और वर्तमान में 40 दिन के नियमित पैरोल पर है जो उसको तारीख 9 मार्च, 2013 से 17 अप्रैल, 2013 तक के लिए प्रदान किया गया था ।

3. याची ने निवेदन किया है कि उसके पैरोल के विस्तारण के दौरान उसके परिवार ने उसका विवाह तय कर दिया है जो तारीख 29 अप्रैल, 2013 को बांसवाड़ा में सम्पन्न होना है । याची ने इस तथ्य के पुष्टिकरण में लोक प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए कतिपय प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए हैं कि उसका विवाह इसी माह की तारीख 29 को सम्पन्न होना है ।

4. याची ने ऊपर वर्णित तथ्यों के संदर्भ में, विशेष रूप से विवाह के प्रयोजनार्थ 30 दिन का आपातकालीन पैरोल प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है ।

5. विद्वान् सरकारी काउंसेल ने जालौर की जिला जेल के अधीक्षक से इस बाबत सत्यापन भी प्राप्त कर लिया है जिसमें यह सूचित किया गया है कि याची ने वास्तविक कारावास में से 10 वर्ष 1 माह और 4 दिन का कारावास भोग लिया है और लगभग 3 वर्ष 6 माह और 7 दिन का परिहार उपार्जित किया है । उसका आचरण संतोषजनक पाया गया । विद्वान् सरकारी काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि याची ने पहले भी आपातकालीन पैरोल पर मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र जिला न्यायाधीश के समक्ष उसका विवाह निर्धारित हो जाने के आधार पर ही प्रस्तुत किया था किंतु सम्बद्ध जिला न्यायाधीश के उपलब्ध न होने के कारण उसके प्रार्थना पत्र पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सका था । तथापि, विद्वान् सरकारी काउंसेल ने आगे निवेदन किया कि सम्बद्ध पुलिस थाना ने

और साथ ही समाज कल्याण विभाग ने भी अपनी रिपोर्टें जिला मजिस्ट्रेट को भेजी हैं और उन रिपोर्टों के आधार पर याची का विवाह इस माह की 29 तारीख को ही निर्धारित होना पाया जाता है ।

6. याची ने निवेदन किया कि उसने पैरोल पर निर्मुक्त किए जाने के प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत बंधपत्र और 25,000/- रुपए की राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत किया है । उक्त बंधपत्र और प्रतिभू निश्चित रूप से तारीख 17 अप्रैल, 2013 को या उसके पूर्व उसके आत्मसमर्पण के प्रयोजनार्थ हैं ।

7. विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों के समुच्चय को ध्यान में रखते हुए हमारी सुविचारित राय है कि जब दंडादेश भोग रहे याची का आचरण अन्यथा रूप से संतोषप्रद पाया जाता है, और वह वर्तमान में भी पैरोल पर है और उसका विवाह तारीख 29 अप्रैल, 2013 को होना निर्धारित है तो न्याय हित की पूर्ति होगी यदि उसको तारीख 9 मार्च, 2013 के पैरोल निर्मुक्ति आदेश के जारी रहने के समान नियमों और शर्तों के आधार पर जैसा कि तारीख 9 मार्च, 2013 के आदेश में समाविष्ट है, इस अनुबंध शर्त के आधार पर कि याची द्वारा प्रस्तुत किए गए जमानत बंधपत्र और प्रतिभू को उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा जैसे कि उनको तारीख 10 मई, 2013 या उसके पूर्व आत्मसमर्पण की अपेक्षा के बाबत पढ़ा गया था ।

8. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने यह आदेश मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों और न्यायहित को ध्यान में रखते हुए पारित किया है । तथापि, याची द्वारा पैरोल के विस्तारण की अवधि तारीख 17 अप्रैल, 2013 के पश्चात् से अभिरक्षा के प्रयोजनार्थ उसके आत्मसमर्पण तक अर्थात् तारीख 10 मई, 2013 तक या उसके पूर्व तक आपातकालीन पैरोल की अवधि के रूप में न कि नियमित पैरोल के रूप में प्राप्त की जाएगी ।

9. याचिका भागतः मंजूर की गई जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है ।

याचिका भागतः मंजूर की गई ।

शु.

———

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सरवन सिंह

तारीख 9 अप्रैल, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति धर्म चन्द चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां अभियोजन साक्ष्य निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति का नहीं है तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित नहीं कर सका कि अभियुक्त द्वारा हत्या का अपराध किया गया वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत और उचित नहीं है ।

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती ज्ञान कौर (मृतका) के अभियुक्त सहित दो पुत्र और एक पुत्री थी । पुत्रों में से एक, पुत्री और उसके पति की मृत्यु हो गई । इस प्रकार, मृतक व्यक्तियों की हिस्सेदारी मृतक माता को अंतरित हो गई थी । जबकि अभियुक्त ने पहले ही अपने सम्पूर्ण हिस्सेदारी बेच दी थी और ग्राम हरीपुरा, टोहाना तहसील पोंटा साहिब चला गया था जो स्थान उसके ससुराल वालों के स्थान के नजदीक था जहां उसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने कुछ सम्पत्ति खरीदी थी और अपने कुटुंब के साथ वहां पर रह रहा था । श्रीमती ज्ञान कौर की हत्या से 10 वर्ष पूर्व उसने अभियुक्त से अपने कुटुंब के साथ अपने गांव वापस आने के लिए कहा क्योंकि वह अकेली रहती थी, इस प्रकार, उसके मनाने पर वह अपने कुटुंब के साथ वहां पर पहुंचा और ग्राम तरूवाला में अपनी मां के साथ व्यवस्थित हो गया था । मृतका माता ने एक अलग रसोईघर का प्रबंध किया था और उसने संविदा पर जुताई के लिए अभियुक्त को भूमि संपत्ति भी दी थी और मृतका ने अपने बड़े पौत्र अर्थात् अभियुक्त की संतान के पक्ष में विल का निष्पादन भी किया था परंतु यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त उसके बर्ताव से अच्छा महसूस नहीं किया था और इस प्रकार मृतका ने बाद में अर्थात् तारीख 21 मार्च, 2000 को विल को खंडित कर दिया । प्रधान सुरजीत सिंह भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित था । मृतका ने अभियुक्त से उसके मकान तथा जमीन को खाली करने के लिए आग्रह किया परंतु

अभियुक्त किसी भी भांति ऐसा करने के लिए हितबद्ध नहीं हुआ । इस प्रकार, माता और अभियुक्त पुत्र के बीच घोर वैरभाव प्रकट हुआ । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त लगभग 2.45 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पहुंचा और पुलिस को उपरोक्त तथ्य के बारे में सूचना दी जिसे दैनिक डायरी में लिखा गया । इसके पश्चात्, पुलिस अभियुक्त के साथ घटनास्थल पर पहुंची और उसने देखा कि श्री ज्ञान कौर का शव किचन में पड़ा हुआ है । इसके पश्चात्, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन सुरजीत सिंह का कथन अभिलिखित किया और उन्होंने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया । मृत्यु समीक्षा कागजातों को भरने के पश्चात् शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र पेश किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । प्रत्यर्थी उसकी दोषमुक्ति को राज्य द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – स्वीकृततः, वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । तथ्य को देखते हुए न्यायालय के समक्ष जो परिस्थितियां उसके समक्ष रखी गई हैं निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए । उस पर कोई अवलंब लिया जा सकता है । जहां तक प्रथम परिस्थिति का संबंध है उस पर अभियोजन पक्ष ने सुरजीत सिंह के कथन का अवलंब लिया जो पोंटा साहिब के रास्ते पर अभियुक्त से मिला था जो स्थान पुलिस थाने से 50 मीटर की दूरी पर है और अभियुक्त ने उसे बताया था कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है जिस पर उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया परंतु उसने यह कथन किया है कि उसने उसे बताया कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट करें । बाद में जब पुलिस ग्राम तरूवाला पहुंची वह उनके साथ था और देखा कि श्रीमती ज्ञान कौर अपने रसोईघर में मृत पड़ी हुई है । इस परिस्थिति को अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन करने के दौरान रखा गया था जिस पर उसने इनकार किया है । सुरजीत सिंह का उपरोक्त कथन संवीक्षा किए जाने के लिए रखा जाता है । यह सुसंगत है जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस के समक्ष कथन किया गया था जिसमें उसने न्यायिकेतर संस्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं किया है जिसके बारे में

अभियुक्त द्वारा पूर्वोक्त रूप में उससे किया जाना अभिकथित है बल्कि उसने यह कथन किया है कि उसे लगभग 3 बजे अपराह्न मृतका की हत्या के बारे में पता चला था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त कथन से भी विरोध प्रकट किया था परंतु उसके द्वारा ऐसे लोप होने के बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका । इसके अभाव में अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति अपने महत्व को खो देती है । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि इस मामले के हेतु से यह स्पष्ट है कि अपराध कारित किया गया । न्यायालय की राय यह है कि बिना हेतु के अपराध भी अपराध है परंतु अभियोजन पक्ष इस बात के लिए बाध्य है कि अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करें जिसे करने में अभियोजन पक्ष विफल हुआ है । (पैरा 14, 15, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 189 : **बाबू** बनाम **केरल राज्य** ;	19
[2005]	(2005) 3 एस. सी. सी. 114 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश** ;	19
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 : **शरद विर्धीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	19

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008-क की दांडिक अपील सं. 103.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — श्री एम. ए. खान, अपर महाधिवक्ता साथ में श्री पुष्पेन्द्र जयसवाल, उप-महाधिवक्ता तथा श्री रमेश ठाकुर सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री दीपक कौशल, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् दंड संहिता की धारा

302 के अधीन दंडनीय हत्या के अपराध के लिए ''अभियुक्त'' कहा गया है) उसकी दोषमुक्ति को राज्य द्वारा इस अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

2. विद्वान् अपर महाधिवक्ता जिनकी विद्वान् उप-महाधिवक्ता और विद्वान् सहायक महाधिवक्ता द्वारा सहायता की गई है, यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में इस मामले के साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है जिससे निर्णय राज्य के प्रतिकूल हुआ है । उन्होंने अभियुक्त पर उपस्थित परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है और यह दलील दी है कि यदि इन परिस्थितियों का समुचित रूप से मूल्यांकन किया जाता तब ऐसे आधार बनते जिससे कि अभियुक्त की दोषमुक्ति दोषसिद्धि में संपरिवर्तित हो जाती ।

3. इसके प्रतिकूल श्री दीपक कौशल विद्वान् काउंसेल ने प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होकर दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

4. हमने पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों के बारे में अत्यधिक सोच-समझकर विचार किया और सावधानीपूर्वक अभिलेख के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया ।

5. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि श्रीमती ज्ञान कौर (मृतका) के अभियुक्त सहित दो पुत्र और एक पुत्री थी । पुत्रों में से एक, पुत्री और उसके पति की मृत्यु हो गई । इस प्रकार, मृतक व्यक्तियों की हिस्सेदारी मृतक माता को अंतरित हो गई थी । जबकि अभियुक्त ने पहले ही अपने सम्पूर्ण हिस्सेदारी बेच दी थी और ग्राम हरीपुरा, टोहाना तहसील पोंटा साहिब चला गया था जो स्थान उसके ससुराल वालों के स्थान के नजदीक था जहां उसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने कुछ सम्पत्ति खरीदी थी और अपने कुटुंब के साथ वहां पर रह रहा था ।

6. श्रीमती ज्ञान कौर की हत्या से 10 वर्ष पूर्व उसने अभियुक्त से अपने कुटुंब के साथ अपने गांव वापस आने के लिए कहा क्योंकि वह अकेली रहती थी, इस प्रकार, उसके मनाने पर वह अपने कुटुंब के साथ वहां पर पहुंचा और ग्राम तरूवाला में अपनी मां के साथ व्यवस्थित हो गया था । मृतका माता ने एक अलग रसोईघर का प्रबंध किया था और उसने संविदा पर जुताई के लिए अभियुक्त को भूमि संपत्ति भी दी थी और मृतका ने अपने बड़े पौत्र अर्थात् अभियुक्त की संतान के पक्ष में विल का निष्पादन भी किया था परंतु यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त उसके बर्ताव

से अच्छा महसूस नहीं किया था और इस प्रकार मृतका ने बाद में अर्थात् तारीख 21 मार्च, 2000 को विल को खंडित कर दिया । प्रधान (अभि. सा. 1) सुरजीत सिंह भी इस तथ्य से भली-भांति परिचित था । मृतका ने अभियुक्त से उसके मकान तथा जमीन को खाली करने के लिए आग्रह किया परंतु अभियुक्त किसी भी भांति ऐसा करने के लिए हितबद्ध नहीं हुआ । इस प्रकार, माता और अभियुक्त पुत्र के बीच घोर वैरभाव प्रकट हुआ ।

7. तारीख 1 अप्रैल, 2006 को सुरजीत सिंह (अभि. सा. 1) पोंटा साहिब को जाने वाले रास्ते पर था तब लगभग 1.30 बजे अपराह्न अभियुक्त उसे मिला जिसके बारे में उस समय यह बातें प्रकट करना अभिकथित है कि उसने अपनी माता ज्ञान कौर की हत्या कर दी है । उक्त साक्षी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उससे यह कहा कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट कर दें ।

8. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त लगभग 2.45 बजे अपराह्न पुलिस थाने पर पहुंचा और पुलिस को उपरोक्त तथ्य के बारे में सूचना दी जिसे दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क में लिखा गया । इसके पश्चात्, पुलिस अभियुक्त के साथ घटनास्थल पर पहुंची और उसने देखा कि श्रीमती ज्ञान कौर का शव किचन में पड़ा हुआ है । इसके पश्चात्, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन सुरजीत सिंह (अभि. सा. 1) का कथन अभिलिखित किया और उन्होंने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/ग भी तैयार किया । मृत्यु समीक्षा कागजातों को भरने के पश्चात् शव को शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया था । उसी दिन पुलिस के अनुरोध पर डा. के. एल. भगत (अभि. सा. 16) द्वारा शवपरीक्षण किया गया था और उसने शव पर निम्नलिखित क्षतियां पाई थीं :–

> "(i) गर्दन के सामने भाग के चारों ओर गुमटें मौजूद थे । लाइरानक्श के ऊपर त्वचा पर नीलांछन मौजूद था ।
>
> (ii) यद्यपि गर्दन के विच्छेदन पर कोई बंध का चिह्न नहीं था और गर्दन के सबकोटिनियस उत्तक पर रक्त के बहिः शिरायन प्रकट हुआ था और स्वरयंत्र उपास्थि का अस्थिभंग हुआ था जो बाईं ओर कंठिकास्थि (कंठिकास्थि से बाएं हार्न पर) का अस्थिभंग भी हुआ था।
>
> (iii) स्वरयंत्र उपास्थि का अस्थिभंग हुआ था, श्वासप्रणाल विदीर्ण पाया गया था ।"

9. डाक्टर की यह राय है कि श्रीमती ज्ञान कौर (मृतका) की श्वासावरोध के कारण मृत्यु हुई थी (श्वासप्रणाल के विदीर्ण के साथ कंठिकास्थि का अस्थिभंग व स्वरयंत्र उपास्थि के अस्थिभंग के कारण गला घोंटने से जिससे श्वासावरोध और कार्डियो पल्मरी एरेस्ट हुआ था) ।

10. विसरा लिया गया था और उसे रासायनिक परीक्षा के लिए उसे भेजा गया था । शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 16/क पुलिस को सौंपा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/ङ के अनुसार विसरा में किसी जहर का पता नहीं चला था । इस प्रकार, मृत्यु के बारे में अंतिम राय वही रही थी ।

11. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् विचारण के लिए न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र पेश किया गया था जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

12. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा की और अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । उसने उन परिस्थितियों से जो उसके चारों ओर पाई गई थीं, इनकार किया है और निर्दोष होने की बात कही है । जब उससे अपनी प्रतिरक्षा देने के लिए कहा गया तब अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्षी 1 रमेश की परीक्षा कराई । उसने यह कथन किया है कि मृतका के अभियुक्त के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे यद्यपि अलग रसोईघर होने पर भी । प्रतिरक्षा साक्षी 2 धनवंत सिंह है । उसके अनुसार अभिकथित घटना के दिन मृतका ग्राम पुरवाला में अपने नातेदार के विवाह में मौजूद थी जो उसके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है । विचारण न्यायालय ने विचारण के अंत में अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास प्रकट किया है और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया क्योंकि परिस्थितियां जो न्यायालय के समक्ष रखी गई थीं अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं ।

13. अभिलेख पर साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष ने दो निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया है :–

"(i) अभियोजन साक्षी 1 सुरजीत सिंह के समक्ष किया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति; और

(ii) अभियुक्त की दोषिता का अभिवाक् जिसे दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/क में अभिलिखित किया गया है ।"

14. स्वीकृततः, वर्तमान मामला पारिस्थितिक साक्ष्य की ओर इंगित करता है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । तथ्य को देखते हुए न्यायालय के समक्ष जो परिस्थितियां उसके समक्ष रखी गई हैं निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए । उस पर कोई अवलंब लिया जा सकता है ।

15. जहां तक प्रथम परिस्थिति का संबंध है उस पर अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 सुरजीत सिंह के कथन का अवलंब लिया जो पोंटा साहिब के रास्ते पर अभियुक्त से मिला था जो स्थान पुलिस थाने से 50 मीटर की दूरी पर है और अभियुक्त ने उसे बताया था कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है जिस पर उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया परंतु उसने यह कथन किया है कि उसने उसे बताया कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट करें । बाद में जब पुलिस ग्राम तरूवाला पहुंची वह उनके साथ था और देखा कि श्रीमती ज्ञान कौर अपने रसोईघर में मृत पड़ी हुई है । इस परिस्थिति को अभियुक्त के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन करने के दौरान रखा गया था जिस पर उसने इनकार किया है ।

16. अभि. सा. 1 सुरजीत सिंह का उपरोक्त कथन संवीक्षा किए जाने के लिए रखा जाता है । यह सुसंगत है जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस के समक्ष कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क किया गया था जिसमें उसने न्यायिकेतर संस्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं किया है जिसके बारे में अभियुक्त द्वारा पूर्वोक्त रूप में उससे किया जाना अभिकथित है बल्कि उसने यह कथन किया है कि उसे लगभग 3 बजे अपराह्न मृतका की हत्या के बारे में पता चला था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त कथन से भी विरोध प्रकट किया था परंतु उसके द्वारा ऐसे लोप होने के बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका । इसके अभाव में अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति अपने महत्व को खो देती है ।

17. दूसरी परिस्थिति यह है कि जिसमें अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष अपनी दोषिता स्वीकार की गई है जिस संबंध में तारीख 1 अप्रैल, 2006 को 2.45 बजे अपराह्न दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क में

उक्त बात का उल्लेख किया गया था जिसे एच. एच. सी. बलबीर सिंह (अभि. सा. 21) और एम. सी. अमर सिंह (अभि. सा. 23) से साबित किया जाना ईप्सित है । यद्यपि, उसने इस बात से इनकार किया है कि यह साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या रूप से गढ़ा गया था परंतु सुसंगत रूप से यह कथन किया गया है कि वह पुलिस दल के साथ लगभग 3 बजे अपराह्न घटनास्थल पर पहुंचा था जबकि सुरजीत सिंह अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि पुलिस तरूवाला अर्थात् घटना के स्थान पर 2 बजे अपराह्न पहुंची थी और उसने पतवारखाना थाना से जीप में मृतका के घर पर पुलिस को आते हुए देखा था और वह उनके पीछे चला था जबकि गुरमीत सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया कि पुरवाला पर विवाह में उपस्थित होने के पश्चात् वह अपने गांव वापस लौट आया और उसे अभिकथित घटना के बारे में लगभग 1.30 बजे अपराह्न पता चला, इसके पश्चात्, वह ज्ञान कौर के मकान पर गया और देखा कि उसका शव रसोईघर में पड़ा हुआ था और पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी तथा अभियुक्त और सुरजीत सिंह (अभि. सा. 1) दोनों वहां पर मौजूद थे । इस विषय पर अभियोजन पक्ष द्वारा उसके वृत्तांत को हटाने के लिए इस साक्षी की पुनः परीक्षा नहीं की गई कि पुलिस 1.30 बजे अपराह्न घटनास्थल में नहीं थी । अतः, उपरोक्त चर्चित साक्ष्य, दैनिक डायरी प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/क की प्रविष्टि को भी ध्यान देने पर यह बात संदेहपूर्ण हो गई है और संस्वीकृति भी साक्ष्य में अग्राह्य है । यद्यपि, केवल साक्ष्य के आचरण के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है परंतु हमें यह प्रतीत होता है कि यह प्रविष्टि वास्तविक नहीं है और अभियोजन पक्षकथन को बल देने के विचार से ऐसी प्रविष्टि की गई है । (जोर देने के लिए रेखांकित किया गया ।)

18. विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी है कि इस मामले के हेतु से यह स्पष्ट है कि अपराध कारित किया गया । हमारी यह राय है कि बिना हेतु के अपराध भी अपराध है परंतु अभियोजन पक्ष इस बात के लिए बाध्य है कि अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करें जिसे करने में अभियोजन पक्ष विफल हुआ है ।

19. अतः, ऊपर कथित कारणों और **शरद विर्धीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1], **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **सतीश**[2] और **बाबू** बनाम **केरल राज्य**[3]

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.

[2] (2005) 3 एस. सी. सी. 114.

[3] (2010) 9 एस. सी. सी. 189.

वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन साक्ष्य निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति का नहीं है जिस पर हम अभियुक्त की दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में संपरिवर्तित करने के लिए अवलंब ले सकें । इस प्रकार, हमारी विचारित राय यह है कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल हुआ है और हम विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं । तद्नुसार राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज की जाती है ।

20. प्रत्यर्थी को उसके जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किया जाता है जो उसके द्वारा इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान किसी प्रक्रम पर पेश किए गए थे ।

अभिलेखों को वापस भेजा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

(2014) 1 दा. नि. प. 864 **हिमाचल प्रदेश**

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

सुरेश कुमार

तारीख 27 जून, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह और न्यायमूर्ति वी. के. शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य, हत्या के हेतुक, अभिकथित अपराध कारतूस की अभियुक्त से गैर-बरामदगी के कारण युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित न होने पर कि हत्या का अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था, अतः अभियुक्त के विरुद्ध निश्चायक सबूत न होने के कारण भी वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

हंसराज विद्या देवी का भाई है जो 7 बहनों में से एक है तथा बादड़ी कारखाने में काम करती है । प्रत्यर्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, विद्या देवी का ईश्वरतुल्य भाई है । वर्ष 2005 में वह राज्य राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्य करता था । तारीख 28 अप्रैल, 2005 को विद्या देवी ने रमेश कुमार कपड़े का व्यापारी मृतक के साथ अदालती विवाह किया था जो ग्राम पंचज्ञान, जिला बिलासपुर का निवासी था और उसके साथ रहना उसने प्रारंभ कर दिया था । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त के पूर्वोक्त विद्या देवी से अवैध संबंध थे परंतु समाज में किसी संदेह से बचने के लिए उसने अपने को उसका ईश्वरतुल्य भाई के रूप में पेश किया था । अभियुक्त का हंसराज के कुटुंब में सभी घरेलू मामलों पर अपना नियंत्रण था क्योंकि विद्या देवी ने रमेश कुमार के साथ विवाह करते समय उससे कोई परामर्श नहीं किया था और वह इस विवाह से खुश नहीं था । इस प्रकार, तारीख 30 अप्रैल, 2005 को उसने यह घोषणा की कि वह उसे विधवा बना देगा । ऐसी धमकी तारीख 1 मई, 2005 को दूरभाष से मृतक को दिया जाना अभिकथित है और वह ग्राम पंचज्ञान भी गया । विद्या देवी ने अपने भाई अभि. सा. 1 को यह सूचना दी थी कि वह अपने पति के साथ अपने पैतृक मकान ग्राम कोठीसेर, तहसील सुन्नी, जिला शिमला पर आएगी । तारीख 6 मई, 2005 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न उन्होंने टैक्सी किराए पर ली और कोठीसेर पर पहुंचे । शाम के वक्त वे हंसराज और अपनी बहन कमला, टैक्सी का ड्राइवर और विद्या देवी का पति रमेश कुमार के साथ चारपाई पर दूसरी मंजिल पर बैठे हुए थे । अचानक लगभग 8 बजे अपराह्न उन्होंने बंदूक की गोली की आवाज सुनी । रमेश कुमार के कनपटी क्षेत्र पर छर्रे की क्षतियां कायम हुई थीं और क्षतियों से रक्त बहने लगा और उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 1 हंसराज ने बाहर की ओर झांका और उसे काफी धुंआ निकलता हुआ दिखाई दिया और उसने रमेश कुमार को कंबल में लपेट लिया तथा उसी टैक्सी में सुन्नी स्थित लोक अस्पताल उसे ले गया । उप-निरीक्षक प्रकाश चन्द जो पुलिस चौकी सुन्नी पर भारसाधक था । तारीख 6 मई, 2005 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न उसने रन बहादुर नामक व्यक्ति से दूरभाष संदेश प्राप्त किया था कि ग्राम कोठीसेर में हंसराज के मकान पर बंदूक की गोली चलने की घटना घटी थी और एक व्यक्ति को क्षति कारित हुई थी । इस सूचना को दैनिक डायरी में लिखा । इसके पश्चात्, वह पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ । उसने पुलिस थाने, धल्ली पर सूचना भी भेजी थी । तथापि, घटनास्थल का निरीक्षण करने पर उसकी जानकारी में यह बात

आई कि आहत को पहले ही सुन्नी स्थित लोक अस्पताल ले जाया गया था । उसी बीच में निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी सुनील नेगी घटनास्थल पर पहुंचा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन हंसराज के कथन अभिलिखित किए । उप-निरीक्षक प्रकाश चंद ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और शव के फोटो लिए और शव को कांस्टेबल बलबीर सिंह के निरीक्षण में आईजीएमसी शव-परीक्षा के लिए भेजा गया था । निरीक्षक/ थाना भारसाधक अधिकारी सुनील नेगी ने मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए रुक्का भेजा था और मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया । वह उस कमरे में गया जहां मृतक बैठा हुआ था और पिछली खिड़की की जाली पर बंदूक की गोली के अवशेष को देखा । डबल बैड की चादर पर तथा जमीन पर रक्त देखा था । उसने नेट (जाली) के भाग को अपने कब्जे में लिया जिस पर छर्रे का निशान था । उसी बीच में एफएसएल पदधारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और अन्वेषण शुरू किया । उन्होंने खिड़की के पीछे की सलाख से छर्रे के चिह्न को उठा लिया । सुनील नेगी थाना भारसाधक अधिकारी ने वाड और छर्रे के छोटे टुकड़ों को ज्ञापन प्रदर्श पीबी के माध्यम से कब्जे में लिया जो डबल बैड पर बिखरे हुए पाए गए थे । इन सभी वस्तुओं को मोहरबंद कर दिया गया था । घटनास्थल का फोटोग्राफ लिया गया । उसने घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया था । डा. पीयूष कपिल जो फारेंसिक मेडिसन आईजीएमसी का रजिस्ट्रार है, ने पुलिस के लिखित अनुरोध पर शव की शव-परीक्षा की । उन्होंने शव के सिर के भाग का एक्सरे किया तथा स्काईग्राम किया । उनकी जानकारी में रमेश कुमार के शव पर पांच मृत्युपूर्व क्षतियां आईं, कुछ छर्रे और प्लास्टिक घटक तथा वायर मैश को सुरक्षित रखा था । दाहिने कर्णपाली के नजदीक छर्रों से कुछ छिद्रों को छोड़कर शिरोवल्क सामान्य था और आगे की अस्थि पर कई अस्थिभंग लाइनें दिख रही थीं । उसने खोपड़ी अस्थि के अग्र अस्थि में त्रि-अरी अस्थिभंग देखा था । पूर्ववर्ती कपाल खात में कई समूह में अस्थिभंग पर्मतु मस्तिष्क में कोई छर्रा नहीं था । अग्र पालि के आधारिय भाग पर पूर्ववर्ती कपालीय अस्थिभंग का मूल भी देखा गया और परूववर्ति कपालीय खात के आधार पर स्तिभंग हुआ था और मुख अस्थियों के पूर्ववर्ती भाग का विकिरण किया गया । श्वासप्रणाल रक्त से भरा हुआ था । दाहिनी आंख धंसी हुई थी । नाक के बाईं ओर बदबूदार लस के साथ लालिमा लिए हुए उभार मौजूद था । दाहिने ओर की जंभिका का नाक अस्थियों के साथ अस्थिभंग हुआ था । डाक्टरों की राय थी कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने की वजह से हुई थी जिससे मस्तिष्क में क्षति और रक्तस्राव आघात के कारण हुई थी । डाक्टर की यह राय है कि मृतक की मृत्यु

तत्काल क्षति के पश्चात् हुई थी । मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच की अवधि 16 से 20 घंटे थी । शव-परीक्षा के समय पर शव के सात फोटो लिए गए थे । शव-परीक्षा के समय पर राज्य चिकित्सा विधिक सलाहकार उपस्थित था । डाक्टर ने शवपरीक्षण रिपोर्ट (चार पन्नों) पर जारी की थी । क्षति सं. 1 से छर्रे बरामद किए गए थे जैसाकि शवपरीक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 2 में उल्लिखित है । प्लास्टिक संघटक और वायर से बरामद किए गए थे । भारसाधक अधिकारी, वहालती द्वारा डाक्टर को आवेदन आयुध के प्रकार और रेंज और सुरक्षित रखे गए विभिन्न कण की सुसंगतता के बारे में अपनी राय दें । उन्होंने अपनी राय दी कि अग्न्यायुध 1 से 2 मीटर की दूरी से ..... बोर आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, आग धुंआ और बिना जले कम बाहर निकले थे परंतु वाड की दूरी के .... था । तारीख 8 मई, 2005 को निरीक्षक सुनील नेगी ने यह सूचना प्राप्त की कि अभियुक्त सुरेश कुमार को पुलिस थाना कुमारसेन में निरुद्ध किया गया था । इस सूचना को प्राप्त करने पर वह पुलिस थाना गया और उससे पूछताछ की और उसे उसके मकान कांगल, सुन्नी तहसील ले गया जहां उसने विनोद नेगी और उमानंद के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया जाना अभिकथित है । बन्दूक जिससे गोली चलाई गई थी उसे धर्मपुर थच पर एक दूसरे मकान में छुपाया गया था जहां उसकी बरामदगी हुई । इसके पश्चात् वह पुलिस को उक्त स्थान पर ले गया और उसे पेश किया जिसको उसने अपने मकान के निचली मंजिल के बीच वाले कमरे में चारपाई पर छुपा रखा था । उसे पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और इसका नक्शा ज्ञापन तैयार किया । मकान की तलाशी लेने के दौरान अभियुक्त के पिता की एक और लाइसेंसशुदा बंदूक पाई गई जिसमें पांच सजीव कारतूस थे जिसको भी ज्ञापन के माध्यम से अलग कब्जे में लिया । खाका भी तैयार किया गया । बरामदगी का स्थल नक्शा भी तैयार किया गया था । तारीख 14 मई, 2005 को मारूति कार सं. एचआर-37-0006 जिसे अभिकथित अपराध किए जाने के संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया था उसे भी उसके दस्तावेजों के साथ के माध्यम से अंचल छाबड़ा से कब्जे में लिया गया । तारीख 16 मई, 2005 को अभियुक्त को बसंतपुर ले जाया गया जहां उसने हुकुमचंद और देवी राम के समक्ष इस आशय का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीएफ किया कि इस्तेमाल किए गए कारतूस हंसराज के मकान के नजदीक झाड़ियों पर फैंके गए थे जिन्हें उसके द्वारा बरामद किया जा सका । इस कथन के अनुसरण में वह उक्त स्थान पुलिस को ले गया और झाड़ियों से कारतूस पेश किया जिसे ज्ञापन प्रदर्श पीजी के माध्यम से कब्जे में लिया गया । अभिकथित बरामदगी के

घटनास्थल का नक्शा ज्ञापन के माध्यम से भी तैयार किया गया । जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तब मोबाइल फोन प्रदर्श पी 28 चिप के साथ ज्ञापन के माध्यम से भी कब्जे में लिया गया । निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी पूर्वोक्त ने मोबाइल सं. 9418127141 से मोबाइल काल डिटेल्स भी ली जिसे प्रदर्शित किया गया है । चूंकि अभियुक्त राजस्व विभाग में सेवा करता था, उसकी अनुपस्थिति के बारे में प्रमाणपत्र सहायक बंदोबस्त अधिकारी, शिमला से भी प्राप्त किया गया था । सहायक उप-निरीक्षक सत्तो कुमार ने मामले में आंशिक रूप से अन्वेषण किया और श्री मस्त राम का कथन अभिलिखित किया । हेड कांस्टेबल टेक राम जो पुलिस थाना धल्ली में मोहर्रिर हेड कांस्टेबल के पद पर था । सभी बरामदगियां जो घटनास्थल से की गई थीं उसके द्वारा मालखाने में जमा की गई थीं जिन्हें बाद में फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था जबकि अभि. सा. 27 कांस्टेबल लोकेन्द्र है जो पुलिस फोटोग्राफर था जिसकी सहायता अन्वेषण के दौरान फोटो लेने के लिए ली गई थी । हेड कांस्टेबल योगराज ने अभियुक्त द्वारा प्रयोग की गई पूर्वोक्त मारूति कार को कालका से श्री पुष्कर के माध्यम से ज्ञापन चाबियों सहित कब्जे में लिया गया और इस यान के दस्तावेज नरेन्द्र छाबड़ा द्वारा पुलिस को सौंपे गए थे । डा. ज्ञान ठाकुर राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का वैज्ञानिक अधिकारी है ने पार्सल सं. 5 की परीक्षा की थी जिसमें इसका मूल रक्त और ब्लड ग्रुप रखा हुआ था । उसकी राय के माध्यम से मानव रक्त ग्रुप ए हड्डियों के टुकड़ों तथा प्लास्टिक और जमीन से उठाए गए रक्त पर भी पाया गया था । रक्त मृतक रमेश कुमार के जांघिया पर भी पाया गया था जो परीक्षा के लिए अपर्याप्त था । राजेश कुमार वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी और प्राक्षेपिक, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने नेट (जाली) के टुकड़े की परीक्षा की जिसमें एक छिद्र पाया गया था जिसे 'कंट्रोल सेम्पल' के रूप में चिह्नांकित किया गया था । पार्सल सं. 3 जो काटन स्वाब का टुकड़ा था और पार्सल सं. 4 एक अन्य काटन स्वाब का टुकड़ा है जबकि पार्सल सं. 5 लाल रंग का प्लास्टिक टुकड़ा है और कुछ अस्थियों के टुकड़े पार्सल सं. 6 में काटन स्वाब था परंतु पार्सल सं. 7 में वाड और तीन छर्रे थे जबकि पार्सल सं. 8 में एसबीबीएल बंदूक सं. वाईए 7277 है और पार्सल सं. 9 में एसबीबीएल बंदूक सं. 40216 भी है । पार्सल सं. 10 में पांच सजीव कारतूस हैं और पार्सल सं. 11 में एक चला हुआ कारतूस है । पार्सल सं. 12 में 7 छर्रे थे और अस्थि की भांति सामग्री थी । पार्सल सं. 13 में प्लास्टिक का टुकड़ा था तथा पार्सल सं. 14 में पतले धातु की तार थी । उसने इन सभी वस्तुओं की परीक्षा की थी और अपने हस्ताक्षरों से

रिपोर्ट जारी की । उसकी यह राय है कि बरामद किए गए तीन सजीव कारतूसों की परीक्षा की गई थी, वे एक ही पाए गए थे । बंदूक सं. वाईए 7277 जिसमें बंदूक की गोली चलने का पता लगाया गया था । दूसरी बंदूक से गोली चलने का भी पता लगाया गया था और खाली कारतूस जिन्हें उसके द्वारा चिह्नित किया गया था बंदूक द्वारा चलाए गए थे । नेट और काटन के छिद्र में लीड पाया गया था । मृतक के सिर से डाक्टर द्वारा प्लास्टिक के टुकड़े बरामद किए गए थे जो वाड और छर्रे प्रदर्श पी-1, पी-2 भाग रूप में पाए जा सके और प्रदर्श पी-10 की परीक्षा की जा सके जो चलाए गए कारतूस प्रदर्श पी-27 का भाग रूप ही हो सकते हैं यद्यपि कोई निश्चित राय अभिव्यक्त नहीं की गई थी । अन्वेषण के दौरान पुलिस ने हरभजन सिंह के कथन को अभिलिखित किया है जो शस्त्र और गोला बारूद की दुकान वर्ष 2001 से कालका पर चला रहा था । वह विक्रय रजिस्टर लाया था । उस रजिस्टर में क्रमांक सं. 209 के संबंध में लाइसेंस सं. 247-क/चंबा के विरुद्ध 25 कारतूस विक्रय किए थे जिस लाइसेंसी बंदूक को अभियुक्त सुरेश कुमार के माध्यम से अभियुक्त के पिता श्री ख्याली राम ने 13 दिसंबर, 2007 को उसका नवीकरण कराया था । उस रजिस्टर में अभियुक्त के हस्ताक्षर भी पाए गए थे । इसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क है जिसे पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श 14/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । पूर्वोक्त विद्या देवी के साथ अभियुक्त का अवैध संबंध होना अभिकथित है । इस बात को छुपाने के लिए वह उसे ईश्वरतुल्य भाई करके पुकारा करती थी । अन्वेषण के दौरान यह भी प्रकट है कि अवकाश के दिन अभियुक्त हंसराज उसकी बहनों कमला और विद्या के मकान पर समय बिताने के लिए जाया करता था । उसका उनके घर पर बड़ा प्रभाव था और परिवार के क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप किया करता था । अभियुक्त मृतक के साथ विद्या देवी का विवाह किए जाने के कारण क्रोधित हो गया था और उसे विधवा बनाए जाने की उसने घोषणा की । तारीख 5 मई, 2005 को वह कमला के साथ वैन में परवानों से पहुंचा और कमला को उसने बसंतपुर (तहसील सुन्नी) पर उतार दिया और वह घर चली गई । अगले दिन अर्थात् तारीख 6 मई, 2005 को वह पुनः उसी वैन से बसंतपुर पहुंचा और साथ में अपनी बंदूक लाया तथा रमेश कुमार को गोली मार दी । बाद में उसके बारे में दूरभाष से पूछताछ किया जाना अभिकथित है । इस कार्य में वह निपुण था । सेशन न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया । दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध राज्य ने अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिलेख पर यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त की विद्या देवी के साथ घनिष्ठता थी और हंसराज के कुटुंब के सभी मामलों में चाहे वो किसी भी कारण से संबंधित हो वह अपनी अच्छी दखल रखता था । परंतु अभियुक्त के अपराध के साथ संबंध या तो उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए था या निश्चायक प्रकृति का पारिस्थितिक साक्ष्य होना चाहिए था जिससे संभवतः अभियुक्त की दोषिता मात्र अभियुक्त के बारे में प्रकट होना चाहिए । आपराधिक मामलों में पारिस्थितिक साक्ष्य का यदा-कदा बहुत महत्व होता है और इससे तथ्यों की शृंखला की कड़ी प्रकट होती है और जिससे अभियुक्त की दोषिता साबित की जानी चाहिए और इससे संभवतः निष्कर्ष निकाला जा सके । अतः, सर्वव्यापी प्रयोग का सिद्धांत यह है कि दोषिता का निष्कर्ष निकालने और उसे न्यायोचित ठहराने के मामलों में पारिस्थितिक साक्ष्य पर भी निर्भरता होती है । अपराध में फंसाने वाले तथ्य अभियुक्त की निर्दोषित के असंगत होनी चाहिए तथा किसी अन्य युक्तियुक्त परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण देने में अशक्तता होनी चाहिए तब वह दोषी है । यह सामान्यतया सुस्थिर है कि दांडिक मामले में हेतु दोषिता को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है यदि इस बात को साबित कर लिया जाए तो यह अभिलेख पर साक्ष्य को बल दे सकता है । परंतु इस मामले में अभिकथित हेतु साबित नहीं किया गया है । तथापि, हेतु की अपर्याप्तता का कोई परिणाम नहीं है । अधिकाशतः गंभीर अपराधों जो तुच्छ या सारहीन बातों पर किए जाते हैं । यह सुस्थापित है कि हेतु के अभाव या अपर्याप्तता पर यदि कोई सकारात्मक साक्ष्य हो तो उसका मामले में कोई महत्व नहीं हो सकता है । साक्ष्य की परीक्षा करने पर तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त द्वारा मृतक को दूरभाष से धमकी देने के बारे में कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है परंतु, यह साबित हुआ है कि तारीख 1 मई, 2005 को अभियुक्त विद्या देवी के भाई और बहन के साथ पंचज्ञान गया था परंतु न तो विद्या देवी और न मृतक वहां पर थे । इस प्रकार, वे उसी दिन वापस लौट गए । इसलिए, विद्या देवी के कुटुंब के सदस्यों के साथ पंचज्ञान पर 1 मई, 2005 को अभियुक्त के आने के बारे में तनिक भी कोई संदेह पैदा नहीं करता क्योंकि उसने मृतक या विद्या देवी के बारे में किसी बात का प्रकट रूप से कथन नहीं किया है परंतु उनके नहीं मिलने पर वह खुश नहीं था और अभियोजन पक्ष द्वारा पंचज्ञान पर तारीख 1 मई, 2005 को उसके आने के बारे में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका परंतु तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त द्वारा मृतक को धमकी देने के बारे में कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य

नहीं है जैसाकि अभिकथन किया गया है । यह परिस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि विद्या देवी से संबंधित सेलफोन सं. 9418127141 जो उसके अनुसार लगभग एक वर्ष पूर्व उसके द्वारा अभियुक्त को दिया गया था । तारीख 7 जुलाई, 2005 को लगभग 11.06 बजे इस सेलफोन से हंसराज (अभि. सा. 1) के लैंडलाइन सं. 0177-2784736 पर काल आई थी । इस तथ्य को साबित करने से यह अभिप्रेत नहीं होता है कि अभियुक्त का यह पता लगाने का आशय था कि उसका लक्ष्य सफल हो गया । अभियुक्त के अनुसार भी उसने अपने गांव कांगल से काल किया था परंतु अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए स्पष्टतः कुछ भी नहीं है कि काल करने के आशय को अपराध के साथ जोड़ने के लिए साबित किया जा सकता हो । न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा की गई । अभिकथित अपराध में प्रयुक्त कारतूस अभियुक्त से बरामद किया जाना साबित नहीं किया जा सका जैसाकि अभिकथित किया गया है संदेह के परे और इसके अतिरिक्त इसे अभियुक्त की बंदूक के साथ भी संबंधित नहीं किया जा सकता । विशेषज्ञ का साक्ष्य असंगत है और किसी विश्वास योग्य नहीं है । अभिकथित घटना लगभग 8/9 बजे अपराह्न घटी थी जब गहरा अंधेरा था । ऐसा कोई अवसर नहीं था कि उस हमलावर का उल्लेख करे जिसने बाहर से गोली चलाई थी । हंसराज और कमला देवी ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है कि वह अभियुक्त था जिसने मृतक पर गोली चलाई थी । यदि हंसराज की जानकारी में हमलावर आया था तब वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसके नाम का उल्लेख करने में चूक नहीं करता । अतः, पूर्वोक्त परिस्थितियां जो न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अत्यधिक अवलंब लिया गया है, उन्हें विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया जा सका या यदि कुछ परिस्थितियों को कुछ सीमा तक साबित किया गया था तो वे निश्चायक प्रकृति के नहीं हैं जिससे कि अभियुक्त की दोषिता की पूरी शृंखला इंगित होती हो । अभियुक्त को किसी अन्य परिकल्पना पर बिना संदेह छोड़ा जाता है, इसलिए, अभिलेख के साक्ष्य से न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आधार युक्तियुक्त हैं जो अभिलेख से प्रकट हैं । इस प्रकार, न्यायालय का इस आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार, अपील गुणरहित है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है । (पैरा 9, 10, 11, 19, 28 और 29)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	(2013) क्रिमिनल ला जर्नल 2040 (एस. सी) : **प्रकाश** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	11
[2005]	(2005) 3 एस. सी. सी. 169 : **मध्य प्रदेश राज्य** मार्फत **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य** बनाम **पटलन मल्लाह और अन्य** ;	7, 26
[1999]	ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3318 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जयलाल और अन्य** ;	26
[1997]	ए. आई. आर. 1997 आंध्र प्रदेश 758 : **कोदुर थिम्मा रेड्डी और अन्य** बनाम **राज्य** ;	26
[1990]	(1990) 1 शिमला एलसी 821 : **देवेन्द्र सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	11
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधी चन्द शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	11
[1971]	(1971) 3 एस. सी. सी. 208 : **गुजरात राज्य** बनाम **आदम फतेह मोहम्मद उमातिया और अन्य** ।	**7,** 27

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 159.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री पी. एम. नेगी, उप-महाधिवक्ता और जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री जगदीश वत्स, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह ने दिया ।

न्या. सिंह – राज्य ने 2005 के सेशन विचारण सं. 12-एस/7 में दंड संहिता की धारा 302 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 5 मार्च, 2007 को पारित प्रत्यर्थी की

दोषमुक्ति को चुनौती दी है ।

तथ्यों की पृष्ठभूमि इस प्रकार है

2. हंसराज (अभि. सा. 1) विद्या देवी (अभि. सा. 3) का भाई है जो 7 बहनों में से एक है तथा बादड़ी कारखाने में काम करती है । प्रत्यर्थी जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है, विद्या देवी का ईश्वरतुल्य भाई है । वर्ष 2005 में वह राज्य राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर कार्य करता था । तारीख 28 अप्रैल, 2005 को विद्या देवी ने रमेश कुमार कपड़े का व्यापारी मृतक के साथ अदालती विवाह किया था जो ग्राम पंचज्ञान, जिला बिलासपुर का निवासी था और उसके साथ रहना उसने प्रारंभ कर दिया था ।

अभियोजन पक्षकथन

3. यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त के पूर्वोक्त विद्या देवी से अवैध संबंध थे परंतु समाज में किसी संदेह से बचने के लिए उसने अपने को उसका ईश्वरतुल्य भाई के रूप में पेश किया था । अभियुक्त का हंसराज (अभि. सा. 1) के कुटुंब में सभी घरेलू मामलों पर नियंत्रण था क्योंकि विद्या देवी ने रमेश कुमार के साथ विवाह करते समय उससे कोई परामर्श नहीं किया था और वह इस विवाह से खुश नहीं था । इस प्रकार, तारीख 30 अप्रैल, 2005 को उसने यह घोषणा की कि वह उसे विधवा बना देगा । ऐसी धमकी तारीख 1 मई, 2005 को दूरभाष से मृतक को दिया जाना अभिकथित है और वह ग्राम पंचज्ञान भी गया ।

(ii) विद्या देवी (अभि. सा. 3) ने अपने भाई अभि. सा. 1 को यह सूचना दी थी कि वह अपने पति के साथ अपने पैतृक मकान ग्राम कोठीसेर तहसील सुन्नी जिला शिमला पर आएगी । तारीख 6 मई, 2005 को लगभग 6.30 बजे अपराह्न उन्होंने टैक्सी किराए पर ली और कोठीसेर पर पहुंचे । शाम के वक्त वे अभि. सा. 1 हंसराज और अपनी बहन कमला (अभि. सा. 12), टैक्सी का ड्राइवर और विद्या देवी का पति रमेश कुमार के साथ चारपाई पर दूसरी मंजिल पर बैठे हुए थे । अचानक लगभग 8 बजे अपराह्न उन्होंने बंदूक की गोली की आवाज सुनी । रमेश कुमार के कनपटी क्षेत्र पर छर्रे की क्षतियां कायम हुई थीं और क्षतियों से रक्त बहने लगा और उसकी मृत्यु हो गई । हंसराज (अभि. सा. 1) ने बाहर की ओर झांका और उसे काफी धुंआ निकलता हुआ दिखाई दिया और उसने रमेश कुमार को कंबल में लपेट लिया तथा उसी टैक्सी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

सुन्नी उसे ले गया ।

(iii) उप-निरीक्षक प्रकाश चन्द (अभि. सा. 27) (32) जो पुलिस चौकी सुन्नी पर भारसाधक था । तारीख 6 मई, 2005 को लगभग 8.45 बजे अपराह्न उसने रन बहादुर नामक व्यक्ति से दूरभाष संदेश प्राप्त किया था कि ग्राम कोठीसेर में हंसराज के मकान पर बंदूक की गोली चलने की घटना घटी थी और एक व्यक्ति को क्षति कारित हुई थी । इस सूचना को दैनिक डायरी (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 24/क) में लिखा गया था । इसके पश्चात्, वह पुलिस पदधारियों के साथ घटनास्थल की ओर अग्रसर हुआ । उसने पुलिस थाने, धल्ली पर सूचना भी भेजी थी । तथापि, घटनास्थल का निरीक्षण करने पर उसकी जानकारी में यह बात आई कि आहत को पहले ही सीएचसी सुन्नी पर ले जाया गया था । उसी बीच में निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी सुनील नेगी (अभि. सा. 29) (35) घटनास्थल पर पहुंचा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन हंसराज (अभि. सा. 1) के कथन प्रदर्श पीए को अभिलिखित किया । उप-निरीक्षक प्रकाश चंद ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और शव के फोटो लिए और शव को कांस्टेबल बलबीर सिंह के निरीक्षण में आईजीएमसी शव-परीक्षा के लिए भेजा गया था ।

(iv) निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी सुनील नेगी ने मामले के रजिस्ट्रेशन के लिए रुक्का भेजा था और मामले में अन्वेषण प्रारंभ किया । वह उस कमरे में गया जहां मृतक बैठा हुआ था और पिछली खिड़की की जाली पर बंदूक की गोली के अवशेष को देखा । डबल बैड की चादर पर तथा जमीन पर रक्त देखा था । उसने नेट (जाली) के भाग को अपने कब्जे में लिया जिस पर छर्रे का निशान था । उसी बीच में एफएसएल पदधारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और अन्वेषण शुरू किया । उन्होंने खिड़की के पीछे की सलाख से छर्रे के चिह्न को उठा लिया । सुनील नेगी थाना भारसाधक अधिकारी ने वाड और छर्रे के छोटे टुकड़ों को ज्ञापन प्रदर्श पीबी के माध्यम से कब्जे में लिया जो डबल बैड पर बिखरे हुए पाए गए थे । इन सभी वस्तुओं को मोहरबंद कर दिया गया था । घटनास्थल का फोटोग्राफ लिया गया था । उसने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/क भी तैयार किया था ।

(v) डा. पीयूष कपिल (अभि. सा. 21) जो फारेंसिक मेडिसन आईजीएमसी का रजिस्ट्रार है, ने पुलिस के लिखित अनुरोध पर शव की

शव-परीक्षा की । उन्होंने शव के सिर के भाग का एक्सरे किया था तथा स्काईग्राम प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/डी1 और डी2 किया था । उनकी जानकारी में रमेश कुमार के शव पर पांच मृत्युपूर्व क्षतियां आईं, कुछ छर्रे और प्लास्टिक घटक तथा वायर मैश को सुरक्षित रखा था । दाहिने कर्णपाली के नजदीक छर्रों से कुछ छिद्रों को छोड़कर शिरोवल्क सामान्य था और आगे की अस्थि पर कई अस्थिभंग लाइनें दिख रही थीं । उसने खोपड़ी अस्थि के अग्र अस्थि में त्रि-अरी अस्थिभंग देखा था । पूर्ववर्ती कपाल खात में कई समूह में अस्थिभंग पर्मतु मस्तिष्क में कोई छर्रा नहीं था । अग्र पालि के आधारीय भाग पर पूर्ववर्ती कपालीय अस्थिभंग का मूल भी देखा गया और परूववर्ति कपालीय खात के आधार पर अस्तिभंग हुआ था और मुख अस्थियों के पूर्ववर्ती भाग का विकिरण किया गया । श्वासप्रणाल रक्त से भरा हुआ था । दाहिनी आंख धंसी हुई थी । नाक के बाईं ओर बदबूदार लस के साथ लालिमा लिए हुए उभार मौजूद था । दाहिने ओर की जंभिका का नाक अस्थियों के साथ अस्थिभंग हुआ था । डाक्टरों की राय थी कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने की वजह से हुई थी जिससे मस्तिष्क में क्षति और रक्तस्राव आघात के कारण हुई थी । डाक्टर की यह राय है कि मृतक की मत्यु तत्काल क्षति के पश्चात् हुई थी । मृत्यु और शवपरीक्षण के बीच की अवधि 16 से 20 घंटे थी । शव-परीक्षा के समय पर शव के सात फोटो लिए गए थे । शव-परीक्षा के समय पर राज्य चिकित्सा विधिक सलाहकार उपस्थित था । डाक्टर ने शवपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/ई (चार पन्नों) पर जारी की थी ।

(iv) क्षति सं. 1 से छर्रे बरामद किए गए थे जैसाकि शवपरीक्षण रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 2 में उल्लिखित है । प्लास्टिक संघटक और वायर क्षति सं. 2 से बरामद किए गए थे । भारसाधक अधिकारी, वहालती द्वारा डाक्टर को आवेदन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/एफ आयुध के प्रकार और रेंज और सुरक्षित रखे गए विभिन्न कण की सुसंगतता के बारे में अपनी राय दें । उन्होंने अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 21/जी दी कि अग्न्यायुध 1 से 2 मीटर की दूरी से ..... बोर आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, आग धुंआ और बिना जले कम बाहर निकले थे परंतु वाड की दूरी के .... था ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी और बरामदगियां

(vii) तारीख 8 मई, 2005 को निरीक्षक सुनील नेगी (अभि. सा. 29) ने यह सूचना प्राप्त की कि अभियुक्त सुरेश कुमार को पुलिस थाना

कुमारसेन में निरुद्ध किया गया था । इस सूचना को प्राप्त करने पर वह पुलिस थाना गया और उससे पूछताछ की और उसे उसके मकान कांगल, सूनी तहसील ले गया जहां उसने विनोद नेगी और उमानंद के समक्ष प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/जी किया जाना अभिकथित है । बन्दूक जिससे गोली चलाई गई थी उसे धर्मपुर थच पर एक दूसरे मकान में छुपाया गया था जहां उसकी बरामदगी हुई । इसके पश्चात् वह पुलिस को उक्त स्थान पर ले गया और उसे पेश किया जिसको उसने अपने मकान के निचली मंजिल के बीच वाले कमरे में चारपाई पर छुपा रखा था । उसे पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/एच के माध्यम से कब्जे में लिया गया था और इसका नक्शा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/जे तैयार किया गया था । मकान की तलाशी लेने के दौरान अभियुक्त के पिता की एक और लाइसेंसशुदा बंदूक पाई गई जिसमें पांच सजीव कारतूस थे जिसको भी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/क के माध्यम से अलग कब्जे में लिया गया था । खाका प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/एल भी तैयार किया गया था । बरामदगी का स्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/एम भी तैयार किया गया था ।

(viii) तारीख 14 मई, 2005 को मारूति कार सं. एचआर-37-0006 जिसे अभिकथित अपराध किए जाने के संबंध में अभियुक्त द्वारा प्रयोग किया गया था उसे भी उसके दस्तावेजों के साथ प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग के माध्यम से अंचल छाबड़ा (अभि. सा. 19) से कब्जे में लिया गया था ।

(ix) तारीख 16 मई, 2005 को अभियुक्त को बंसतपुर ले जाया गया था जहां उसने हुकुमचंद और देवी राम के समक्ष इस आशय का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीएफ किया था कि इस्तेमाल किए गए कारतूस हंसराज के मकान के नजदीक झाड़ियों पर फेंके गए थे जिन्हें उसके द्वारा बरामद किया जा सका । इस कथन के अनुसरण में वह उक्त स्थान पर पुलिस को ले गया और झाड़ियों से कारतूस पेश किया जिसे ज्ञापन प्रदर्श पीजी के माध्यम से कब्जे में लिया गया था । अभिकथित बरामदगी के घटनास्थल का नक्शा ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 29/ओ के माध्यम से भी तैयार किया गया था ।

(x) जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तब मोबाइल फोन प्रदर्श पी. 28 चिप के साथ ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 26/क के माध्यम से भी कब्जे में लिया गया था । निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी पूर्वोक्त ने

मोबाइल सं. 9418127141 से मोबाइल काल डिटेल्स भी ली जिसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 15/क से प्रदर्शित किया गया है ।

(xi) चूंकि अभियुक्त राजस्व विभाग में सेवा करता था, उसकी अनुपस्थिति के बारे में प्रमाणपत्र सहायक बंदोबस्त अधिकारी, शिमला से भी प्राप्त किया गया था । सहायक उप-निरीक्षक सत्तो कुमार अभि. सा. 26 ने मामले में आंशिक रूप से अन्वेषण किया और श्री मस्त राम का कथन अभिलिखित किया ।

(xii) हेड कांस्टेबल टेक राम (अभि. सा. 28) जिसे पुलिस थाना धल्ली में मोहर्रिर हेड कांस्टेबल के पद पर था । सभी बरामदगियां जो घटनास्थल से की गई थीं उसके द्वारा मालखाने में जमा की गई थीं जिन्हें बाद में फारेंसिक परीक्षा के लिए भेजा गया था जबकि अभि. सा. 27 कांस्टेबल लोकेन्द्र है जो पुलिस फोटोग्राफर था जिसकी सहायता अन्वेषण के दौरान फोटो लेने के लिए ली गई थी ।

(xiii) हेड कांस्टेबल योगराज (अभि. सा. 26) ने अभियुक्त द्वारा प्रयोग की गई पूर्वोक्त मारूति कार को कालका से श्री पुष्कर के माध्यम से ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 8/ग चाबियों सहित कब्जे में लिया गया था और इस यान के दस्तावेज नरेन्द्र छाबड़ा द्वारा पुलिस को सौंपे गए थे ।

(xiv) डा. ज्ञान ठाकुर (अभि. सा. 22), राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का वैज्ञानिक अधिकारी ने पार्सल सं. 5 की परीक्षा की थी जिसमें इसका मूल रक्त और ब्लड ग्रुप रखा हुआ था । उसकी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 22/क के माध्यम से मानव रक्त ग्रुप ए हड्डियों के टुकड़ों तथा प्लास्टिक और जमीन से उठाए गए रक्त पर भी पाया गया था । रक्त मृतक रमेश कुमार के जांघिया पर भी पाया गया था जो परीक्षा के लिए अपर्याप्त था ।

(xv) राजेश कुमार (अभि. सा. 23) वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी और प्राक्षेपिक, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने नेट (जाली) के टुकड़े की परीक्षा की जिसमें एक छिद्र पाया गया था जिसे 'कंट्रोल सेम्पल' के रूप में चिह्नांकित किया गया था । पार्सल सं. 3 जो काटन स्वाब का टुकड़ा था और पार्सल सं. 4 एक अन्य काटन स्वाब का टुकड़ा है जबकि पार्सल सं. 5 लाल रंग का प्लास्टिक टुकड़ा है और कुछ अस्थियों के टुकड़े पार्सल सं. 6 में काटन स्वाब था परंतु पार्सल सं. 7 में वाड और तीन छर्रे थे जबकि पार्सल सं. 8 में एसबीबीएल बंदूक सं. वाईए 7277 है और पार्सल

सं. 9 में एसबीबीएल बंदूक सं. 40216 भी है । पार्सल सं. 10 में पांच सजीव कारतूस हैं और पार्सल सं. 11 में एक चला हुआ कारतूस है । पार्सल सं. 12 में 7 छर्रे थे और अस्थि की भांति सामग्री थी । पार्सल सं. 13 में प्लास्टिक का टुकड़ा था तथा पार्सल सं. 14 में पतले धातु की तार थी । उसने इन सभी वस्तुओं की परीक्षा की थी और अपने हस्ताक्षरों से रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 23/क जारी की । उसकी यह राय है कि तीन सजीव कारतूस प्रदर्श पी-22 से पी-24 तथा कारतूस प्रदर्श पी-25 और पी-26 की परीक्षा की गई थी, वे एक ही पाए गए थे । बंदूक प्रदर्श पी-15 (सं. वाईए 7277) जिसमें बंदूक की गोली चलने का पता लगाया गया था । दूसरी बंदूक से गोली चलने का भी पता लगाया गया था और खाली कारतूस जिन्हें उसके द्वारा चिह्नित किया गया था बंदूक प्रदर्श पी-15 द्वारा चलाए गए थे । नेट और काटन के छिद्र में लीड पाया गया था । मृतक के सिर से डाक्टर द्वारा प्लास्टिक के टुकड़े बरामद किए गए थे जो वाड और छर्रे प्रदर्श पी-1, पी-2 भाग रूप में पाए जा सके और प्रदर्श पी-10 की परीक्षा की जा सकी जो चलाए गए कारतूस प्रदर्श पी-27 का भाग रूप ही हो सकते हैं यद्यपि कोई निश्चित राय अभिव्यक्त नहीं की गई थी ।

(xvi) अन्वेषण के दौरान पुलिस ने हरभजन सिंह के कथन को अभिलिखित किया है जो शस्त्र और गोला बारूद की दुकान वर्ष 2001 से कालका पर चला रहा था । वह विक्रय रजिस्टर लाया था । उस रजिस्टर में क्रमांक सं. 209 के संबंध में लाइसेंस सं. 247-क/चंबा के विरुद्ध 25 कारतूस विक्रय किए थे जिस लाइसेंसी बंदूक को अभियुक्त सुरेश कुमार के माध्यम से अभियुक्त के पिता श्री ख्याली राम ने 13 दिसंबर, 2007 को उसका नवीकरण कराया था । उस रजिस्टर में अभियुक्त के हस्ताक्षर भी पाए गए थे । इसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 14/क है जिसे पुलिस द्वारा ज्ञापन प्रदर्श 14/ख के माध्यम से कब्जे में लिया गया था ।

हेतु

(xvii) पूर्वोक्त विद्या देवी के साथ अभियुक्त का अवैध संबंध होना अभिकथित है । इस बात को छुपाने के लिए वह उसे ईश्वरतुल्य भाई करके पुकारा करती थी । अन्वेषण के दौरान यह भी प्रकट है कि अवकाश के दिन अभियुक्त हंसराज के मकान पर उसकी बहनों कमला और विद्या के साथ समय बिताने के लिए जाया करता था । उसका घर पर बड़ा प्रभाव था और परिवार के क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप किया करता था । अभियुक्त मृतक के साथ विद्या देवी के विवाह किए जाने के कारण क्रोधित

हो गया था और उसे विधवा बनाए जाने की उसने घोषणा की । तारीख 5 मई, 2005 को वह कमला के साथ वैन में परवानों से पहुंचा और कमला को उसने बसंतपुर (तहसील सुन्नी) पर उतार दिया और वह घर चली गई । अगले दिन अर्थात् तारीख 6 मई, 2005 को वह पुनः उसी वैन से बसंतपुर पहुंचा और साथ में अपनी बंदूक लाया तथा रमेश कुमार को गोली मार दी । बाद में उसके बारे में दूरभाष से पूछताछ किया जाना अभिकथित है । इस कार्य में वह निपुण था ।

4. इन अभिकथनों पर पूर्वोक्त धाराओं के अधीन अभियुक्त के विचारण के लिए न्यायालय में चालान फाइल किया गया था । तद्नुसार पूर्वोक्त अपराधों के लिए उसे आरोप पत्रित किया गया था जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अपने साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की भी परीक्षा की गई थी । उसने इस मामले में मिथ्या फंसाए जाने का अभिकथन किया है और सभी परिस्थितियों से इनकार किया है जो उसके इर्द-गिर्द घूमती हुई पाई गई थीं । विचारण की समाप्ति पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया था क्योंकि अभियुक्त अभिकथित अपराध के साथ संबंधित नहीं किया जा सकता । इसलिए, राज्य द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

6. श्री पी. एम. नेगी विद्वान् महाधिवक्ता जिनकी सम्यक् रूप से श्री जे. एस. राना विद्वान् सहायक महाधिवक्ता द्वारा सहायता की गई है, दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि इस मामले में हेतु साबित किया गया है । घटनास्थल पर पाए गए खाली कारतूस जो अभियुक्त से उस स्थान से बरामद किया जाना अभिकथित है और यह राय व्यक्त की कि अभियुक्त की बंदूक से गोली चलाई गई थी । इसलिए, मामले की कड़ी साबित हुई है । विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण साक्ष्य की गलत रूप से अवेक्षा की है । इसके अतिरिक्त, यह बात साबित हुई है कि अभियुक्त उस परिक्षेत्र के चारों दिशाओं में अपनी बंदूक के साथ देखा गया था तथा उस स्थान पर मारूति कार से पहुंचा था ।

7. दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री जगदीश वत्स ने दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और बलपूर्वक यह दलील दी है कि फारेंसिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट जिन्होंने बंदूकों और अपराध

के कारतूस की परीक्षा की, किसी कारणवश या नाम से प्रकट सामग्री के बारे में उसकी राय से समर्थन नहीं हुआ है । इसलिए, **गुजरात राज्य** बनाम **आदम फतेह मोहम्मद उमातिया और अन्य**[1], **मध्य प्रदेश राज्य** मार्फत **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य** बनाम **पलटन मल्लाह और अन्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए उसकी रिपोर्ट अर्थहीन हो जाती है अन्यथा उसकी राय निश्चित नहीं है । यह भी दलील दी गई कि समीप के स्थान पर अभियुक्त की शारीरिक रूप से मौजूदगी की कोई सुसंगतता भी नहीं है ।

8. हमने परस्पर दलीलों पर सोच-समझकर तथा सावधानीपूर्वक विचार किया और अभिलेख के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक पुनः परीक्षा की ।

9. अभिलेख पर यह सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त की विद्या देवी (अभि. सा. 3) के साथ घनिष्ठता थी और हंसराज (अभि. सा. 1) के कुटुंब के सभी मामलों में चाहे वो किसी भी कारण से संबंधित हो वह अपनी अच्छी दखल रखता था । परंतु अभियुक्त के अपराध के साथ संबंध या तो उसका प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए था या निश्चायक प्रकृति का पारिस्थितिक साक्ष्य होना चाहिए था जिससे संभवतः अभियुक्त की दोषिता मात्र अभियुक्त के बारे में प्रकट होना चाहिए ।

10. आपराधिक मामलों में पारिस्थितक साक्ष्य का यदा-कदा बहुत महत्व होता है और इससे तथ्यों की शृंखला की कड़ी प्रकट होती है और जिससे अभियुक्त की दोषिता साबित की जानी चाहिए और इससे संभवतः निष्कर्ष निकाला जा सके । अतः, सर्वव्यापी प्रयोग का सिद्धांत यह है कि दोषिता का निष्कर्ष निकालने और उसे न्यायोचित ठहराने के मामलों में पारिस्थितिक साक्ष्य पर भी निर्भरता होती है । अपराध में फंसाने वाले तथ्य अभियुक्त की निर्दोषित के असंगत होनी चाहिए तथा किसी अन्य युक्तियुक्त परिकल्पना द्वारा स्पष्टीकरण देने में अशक्तता होनी चाहिए तब वह दोषी है ।

11. यह सामान्यतया सुस्थिर है कि दांडिक मामले में हेतु दोषिता को साबित करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं है यदि इस बात को साबित कर लिया जाए तो यह अभिलेख पर साक्ष्य को बल दे सकता है । परंतु इस मामले में अभिकथित हेतु साबित नहीं किया गया है । तथापि, हेतु की

---

[1] (1971) 3 एस. सी. सी. 208.

[2] (2005) 3 एस. सी. सी. 169.

अपर्याप्तता का कोई परिणाम नहीं है । अधिकाशतः गंभीर अपराधों जो तुच्छ या सारहीन बातों पर किए जाते हैं । यह सुस्थापित है कि हेतु के अभाव या अपर्याप्तता पर यदि कोई सकारात्मक साक्ष्य हो तो उसका मामले में कोई महत्व नहीं हो सकता है । **शरद बिरधी चन्द शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1], **देवेन्द्र सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] तथा **प्रकाश** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले देखिए ।

12. अभियोजन पक्ष ने अपराध से अभियुक्त को संबद्ध करने वाली निम्नलिखित परिस्थितियों का अवलंब लिया है :–

"(i) तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त ने रमेश कुमार को मारने के लिए धमकाया था तथा वह उसके गांव तारीख 1 मई, 2005 को भी गया था ।

(ii) अभियुक्त घटना से कुछ पूर्व बन्दूक के साथ अपराध के स्थान के नजदीक देखा गया था ।

(iii) मृतक को पहुंची बन्दूक की गोली की क्षति अभि. सा. 13 ने देखी थी और यह कहा था कि वह अभियुक्त था जिसने मृतक पर गोली चलाई ।

(iv) अभियुक्त द्वारा हरभजन सिंह (अभि. सा. 14) से तारीख 4 मार्च, 2005 को गोला बारूद क्रय किया गया था ।

(v) अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में खाली कारतूस की बरामदगी हुई थी ।

(vi) फारेंसिक राय ; और

(vii) घटना के पश्चात् अभियुक्त ने परिवादी के कुशल क्षेम पूछने के बारे में उसके मकान पर फोन किया था जो इस आशय से अभिकथित किया जाना प्रकट है कि वह इस बारे में जानना चाहता था कि क्या उसका उद्देश्य सफल हो गया है ।"

परिस्थिति सं. (I)

13. यह स्वीकृत मामला है कि तारीख 28 अप्रैल, 2005 को विद्या

---

[1] [1985] 1 उम. नि. प. 995 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

[2] (1990) 1 शिमला एलसी 821.

[3] (2013) क्रिमिनल ला जर्नल 2040 (एस. सी.)

देवी का मृतक के साथ विवाह हुआ था । सोहन लाल (अभि. सा. 6) के अनुसार तारीख 30 अप्रैल, 2005 को हंसराज (अभि. सा. 1) और उसकी बहन विवाह में सम्मिलित होने के लिए शिमला पर पहुंचे थे और उसी दिन अभियुक्त के साथ वापस चले गए ।

14. ललित किशोर (अभि .सा. 7) को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, परंतु उसने यह कथन किया है कि उसे इस बारे में पता नहीं है कि मृतक द्वारा उसकी अनुपस्थिति में किसका टेलीफोन संदेश प्राप्त किया गया था परंतु यह दूरभाष संदेश शिमला की ओर से आया था तथा उन्होंने उनसे यह कहा था कि वे विवाह के पश्चात् उनके स्थान पर पहुंचे । उसने स्पष्ट रूप से यह इनकार किया है कि उक्त दूरभाष संदेश अभियुक्त की ओर से आया था क्योंकि वह इस विवाह से खुश नहीं था । यद्यपि मृतक ने उसे धमकियों के बारे में बताया था परंतु वह यह नहीं कह सकता है कि वह अभियुक्त ही था जिसने उसे धमकी दी थी ।

15. मृतक के बड़े भाई टेक चंद (अभि. सा. 9) का कपड़े का व्यापार था और पंचज्ञान पर उसकी दुकान थी । उसके अनुसार, तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त और विद्या देवी की बड़ी बहन ने मृतक को दूरभाष से यह सूचना दी थी कि अभियुक्त विद्या देवी की मृतक के साथ विवाह से खुश नहीं है । तारीख 1 मई, 2005 को अभियुक्त टैक्सी से पंचज्ञान की ओर आया था परंतु रमेश वहां पर नहीं था । विद्या देवी ने मृतक को अभियुक्त से नहीं मिलने दिया था । उसने यह भी कथन किया है कि शाम को विद्या देवी ने अपने पैतृक मकान पर टेलीफोन किया था और उसकी बड़ी बहन ने यह बताया कि उनके विवाह को उनके द्वारा स्वीकार किया गया था । वे समारोह का आयोजन करने जा रहे थे और उन्हें समारोह में उपस्थित होना चाहिए था परंतु शिकायतकर्ता के कुटुंब के सदस्यों ने विद्या देवी और रमेश को वहां नहीं जाने के लिए दबाव बनाया था । तथापि, विद्या देवी ने उनके अनुरोध की अवहेलना की और तारीख 6 मई, 2005 को मस्त राम की टैक्सी में बसंतपुर पर समारोह में सम्मलित होने के लिए रमेश को ले गई । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त द्वारा टेलीफोन संदेश दिया गया था और उसे तारीख 2 मई, 2005 को धमकियों के बारे में पता चला था । तथापि, उसकी मौजूदगी में टेलीफोन पर मृतक और अभियुक्त के बीच कोई वार्तालाप नहीं हुई थी । इसके अतिरिक्त, इस टेलीफोन की धमकी के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं था परंतु उसके अनुसार उसके भाई ने

उसके बारे में उसे बताया था और जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने का सुझाव दिया था परंतु विद्या देवी ने उससे कहा कि उनके संबंध बिगड़ जाएंगे । उसने यह भी कथन किया कि तारीख 1 मई, 2005 को विद्या देवी के भाई बिट्टू ने समारोह में उपस्थित होने के लिए दूरभाष से संदेश दिया था परंतु उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तारीख 1 मई, 2005 को मृतक पंचज्ञान की ओर जा रहा है ।

16. विद्या देवी की बहन कमला (अभि. सा. 12) ने किसी भी रीति में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इस प्रकार, उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था । उसके अनुसार, विद्या अभियुक्त को "ईश्वरतुल्य" भाई मानती थी और वह उसे राखी बांधा करती थी तथा वह उनके मकान में रखे गए समारोह में वह उपस्थित होता था । यदा-कदा वह परवानों पर उनके वहां भी आया करता था । उसने यह भी कथन किया है कि विद्या देवी (अभि. सा. 4) ने अपने मित्रों के साथ मनन-चिंतन करने के बाद मृतक से सगाई की थी जो उस समय पंचज्ञान पर रहता था । विद्या और सुरेश अभियुक्त रमेश से मिलने के लिए शिमला भी गए थे और उनके आपसी संबंध भाई और बहन के रूप में थे ।

17. मस्त राम (अभि. सा. 13) दर्जी है और वह पंचज्ञान पर दुकान चलाता था और मृतक की दुकान पर गया था जो उसका मित्र था । उसके अनुसार तारीख 1 मई, 2005 को मृतक उसे पंचज्ञान पर मिला था । तारीख 30 अप्रैल, 2005 को 10.30 बजे अपराह्न मृतक को अभियुक्त से दूरभाष पर धमकियां मिली थीं क्योंकि वह अपनी सुरूचि के लिए विद्या देवी का मृतक के साथ विवाह होना नहीं चाहता था । मृतक भयभीत हो गया और उससे कहा कि वह उसे मंडी पर छोड़ दे परंतु उसने उसे इस बारे में आश्वस्त किया कि उसके जीवन में कोई खतरा नहीं है । कुछ भी प्रतिकूल घटित नहीं होगा । अगले दिन रमेश और विद्या देवी अपने मकान पर नहीं थे और उस दिन अभियुक्त, कमला और ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति वैन पर पंचज्ञान पर पहुंचे । वे रमेश के अते-पते के बारे में पूछताछ करने लगे । अभियुक्त क्रोधित था और वापस लौट गया । लगभग 1 या 2 दिन पश्चात् उसने दूरभाष संदेश प्राप्त किया कि शिकायतकर्ता के मकान में समारोह की व्यवस्था की गई है परंतु उन्होंने विद्या और मृतक से यह कहा कि वे इस समारोह में उपस्थित न हों परंतु उन्होंने इस राय की अवहेलना की ।

18. यह सुसंगत है कि विद्या देवी (अभि. सा. 3) ने यह स्वीकार

किया है कि तारीख 1 मई, 2005 को उसका भाई अभि. सा. 1 बहन कमला पंचज्ञान पर पहुंचे थे और तारीख 1 मई, 2005 को वे उनसे मिले बिना वापस चले गए । उसी दिन उसने अपने भाई और बहन से परवानों पर उन्हें यह सूचना देते हुए संपर्क किया कि वह अपने पैतृक मकान पर जा रही है और उसके द्वारा अभियुक्त को भी इस बारे में सूचना दी गई ।

19. पूर्वोक्त साक्ष्य की परीक्षा करने पर तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त द्वारा मृतक को दूरभाष से धमकी देने के बारे में कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है परंतु यह साबित हुआ है कि तारीख 1 मई, 2005 को अभियुक्त विद्या देवी के भाई और बहन के साथ पंचज्ञान गया था परंतु न तो विद्या देवी और न मृतक वहां पर थे । इस प्रकार, वे उसी दिन वापस लौट गए । इसलिए, विद्या देवी के कुटुंब के सदस्यों के साथ पंचज्ञान पर तारीख 1 मई, 2005 को अभियुक्त के आने के बारे में तनिक भी कोई संदेह पैदा नहीं करता क्योंकि उसने मृतका या विद्या देवी के बारे में किसी बात का प्रकट रूप से कथन नहीं किया है परंतु उनके नहीं मिलने पर वह खुश नहीं था और अभियोजन पक्ष द्वारा पंचज्ञान पर तारीख 1 मई, 2005 को उसके आने के बारे में कुछ भी साबित नहीं किया जा सका परंतु तारीख 30 अप्रैल, 2005 को अभियुक्त द्वारा मृतक को धमकी देने के बारे में कोई अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है जैसाकि अभिकथन किया गया है ।

परिस्थिति सं. (II)

20. जहां तक घटना से कुछ पूर्व बंदूक के साथ अपराध के स्थान के नजदीक अभियुक्त को देखे जाने का प्रश्न संबंधित है, अभियोजन पक्ष ने नरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 8) और पुष्कर (अभि. सा. 11) के कथनों का अत्यधिक अवलंब लिया है । नरेन्द्र कुमार (अभि. सा. 8) मारूति वैन सं. एचआर-37-0006 का स्वामी है, उसका दामाद कमला का "ईश्वरतुल्य भाई" है । उसने अभियुक्त को मारूति वैन सं. एचआर-37-0006 बेची थी । पुष्कर (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि तारीख 5 मई, 2005 को वह धर्मपुर के लिए कालका पर बस का इंतजार कर रहा था जहां जीवन ने उससे संपर्क किया और मारूति वैन सं. एचआर-37-0006 में अभियुक्त को कांगल ले जाने के लिए कहा । वह समहत हो गया । कालका से आते हुए उसने परवानों से एक महिला को भी बैठा लिया और मसोबरा से एक और व्यक्ति को बैठा लिया जिसे जलोग पर उतार दिया गया था । वे

कांगल पर रात्रि में रुके परंतु अगले दिन अभियुक्त "पंदोउ देवता" पर गया और तब कांगल पर उसके मकान पर गया और 5 बजे अपराह्न वापस होने की यात्रा प्रारंभ की । उस समय अभियुक्त के पास बंदूक थी और एक पोलोथिन पैकेट उसके पास था उसे लगभग 7.30/8.00 बजे अपराह्न बसंतपुर पर उतार दिया गया और उसने उसे 400/- रुपए दिए और उसने उसे यह अनुदेश दिया कि यदि उसकी जरूरत उसे पड़ी तो वह अगले दिन उसको बुला लेगा, कम से कम वह कालका पर अंचल छाबड़ा (अभि. सा. 19) के पास वैन को छोड़ गया । अभियुक्त ने उससे कहा कि उसे अपनी बहन के मकान पर जाना है परंतु उसके पश्चात् उसने अभियुक्त से कोई संदेश प्राप्त नहीं किया । अगले दिन उसने वैन सौंप दी और चाबी अंचल को दे दी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह उक्त घटना से पूर्व अभियुक्त को नहीं जानता था और न अभियुक्त की मजिस्ट्रेट के समक्ष शिनाख्त की गई थी । कांगला/बसंतपुर से कोठीसेर के बीच की दूरी के बारे में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं है जहां अभिकथित घटना घटी थी । यद्यपि, वह स्थान बसंतपुर के नजदीक था । ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष ने कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्त को विद्या देवी के पैतृक मकान पर जाते हुए देखा गया था जहां उक्त घटना घटी थी । तथापि, यह साबित हुआ है कि अभियुक्त ने अपने साथ बंदूक रखी थी जब उसे तारीख 6 मई, 2005 को सायं में उतारा गया था ।

परिस्थिति सं. (III)

21. मस्त राम (अभि. सा. 13) ने यह कथन किया है कि बंदूक की गोली मृतक के शंकास्थि क्षेत्र पर लगी थी और हंसराज यह चिल्लाया था कि तुम्हारे भाई सुरेश ने रमेश की हत्या कर दी परंतु कमला ने उसके मुंह पर अपने हाथ को रखकर उसे कुछ बोलने से रोका परंतु कमला (अभि. सा. 12) ने ऐसी बात नहीं कही । उसने इस तथ्य पर भी विवाद किया है कि अभियुक्त विद्या देवी का रमेश के साथ विवाह होने के कारण क्रोधित था । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी । यद्यपि, हंसराज ने अपने कथन में कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया था जब न्यायालय में उसकी परीक्षा की गई तब उसने यह बताया था कि वह अभियुक्त था जिसने मृतक को गोली मारी थी और न इस तथ्य का प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है । अतः, यह परिस्थिति असंगत होते हुए बेअसर हो गई है ।

परिस्थिति सं. (IV)

22. इसके अतिरिक्त, ख्याली राम जो अभियुक्त के पिता हैं उन्होंने यह साबित किया है कि तारीख 4 मार्च, 2005 को अभियुक्त ने अपने पिता के लाइसेंस के संबंध में 25 कारतूस क्रय किए थे । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार कि वह कारण जिस वजह से अभियुक्त क्रोधित हुआ था तारीख 28 अप्रैल, 2005 मृतक के साथ विद्या देवी के विवाह का कारण था । अतः, अपराध कारित किए जाने के आशय से तारीख 4 मार्च, 2005 को कारतूसों के क्रय किए जाने को नहीं माना जा सकता । अतः, इस परिस्थिति को भी साबित नहीं किया गया ।

परिस्थिति सं. (V)

23. दागे गए कारतूस की अभिकथित बरामदगी के संबंध में अभियुक्त का प्रकटीकरण कथन प्रदर्श पीएफ है जिसके अनुसरण में ज्ञापन प्रदर्श पीजी के माध्यम से बरामदगी हुई थी ।

24. यह सुसंगत है कि अभियुक्त को तारीख 7 मई, 2005 को गिरफ्तार किया गया था और अभिकथित प्रकटीकरण कथन तारीख 16 मई, 2005 को अभि. सा. 25 (यथामुद्रित) 34 देवी राम की मौजूदगी में किया गया था । घटना की तारीख से प्रकटीकरण कथन करने का समय अंतराल इसे संदेहपूर्ण बनाता है । इसके अतिरिक्त, देवी राम की प्रतिपरीक्षा जो एक औसत साक्षी है, उसको अत्यधिक महत्व दिया गया है जिससे खाली कारतूस की बरामदगी पर संदेह को प्रशमन करता है । उसके अनुसार तारीख 10/11 मई, 2005 को पुलिस ने इस बारे में अभियुक्त से पूछताछ की कि कारतूस कहां है तब उसने यह कथन किया था कि उसने उसे झाड़ियों में फेंक दिया था । अभियुक्त को उक्त स्थान पर ले जाया गया और तारीख 11 मई, 2005 को उसने उसे बरामद कराया था । उसने यह भी कथन किया है कि कारतूस "संधाई माता मंदिर" की ओर आम रास्ता के बाईं ओर 2-3 फीट की दूरी पर बरामद किया गया था, उक्त संधाई माता मंदिर हंसराज के मकान से नीचे की ओर था जबकि प्रकटीकरण कथन तारीख 16 मई, 2005 के बरामदगी ज्ञापन से यह दर्शित होता है कि खाली कारतूस के बारे में हंसराज के मकान के ऊपर की ओर पाया जाना अभिकथित है परंतु अभियोजन की संपूर्ण कहानी तारीख 16 मई, 2005 को कारतूस की बरामदगी की कहानी को नष्ट करती है क्योंकि देवी राम अभि. सा. ने यह कथन किया है कि इसे हंसराज पूर्वोक्त

के मकान से नीचे की ओर तारीख 10/11 मई, 2005 को पहले ही बरामदगी की गई थी । अतः, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कथन और खाली कारतूस की बरामदगी मजाक है । यह परिस्थिति विधि के अनुसरण में साबित नहीं की गई है ।

परिस्थिति सं. (VI) फारेंसिक राय

25. तथ्य को देखते हुए वैज्ञानिक अपराध शास्त्र, फारेंसिक प्राक्षेपिक के मुख्य सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि क्या वर्णित गोली या कारतूस विशिष्ट आयुध से प्रयोग की गई थी । इस संबंध में हाल के दौरान वैज्ञानिक जानकारी काफी व्यापक हो गई है जिस पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है । अब यह संभव हो गया है कि न केवल बंदूक से दागे गए कारतूस की तुलना की जा सकती है बल्कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की संख्या का भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है और संभाव्यता की मात्राओं का विनिश्चय किया जा सकता है । उन दूरियों का जहां से गोली चलाई गई थी तथा गोली चलाने का अनुमानित समय जब आयुध से अंतिम गोली चलाई गई थी तथा इसी तरह की प्रकृति के अन्य प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है । इन सभी प्रश्नों का वर्तमान मामले में समाधान किया जाना अपेक्षित था । जैसाकि पहले ही मताभिव्यक्ति की गई है कारतूस बरामद नहीं किया गया था और इसे तारीख 16 मई, 2005 को पाया गया था जैसाकि पुलिस ने कथन किया है परंतु औसत साक्षी देवी राम के अनुसार इसे तारीख 10/11 मई, 2005 को पाया गया था । इस प्रकार, कारतूस की बरामदगी का आधार इस आधार पर भी संदेहपूर्ण है कि इस बारे में भिन्न-भिन्न स्थानों को बताया गया है जैसाकि प्रकटीकरण कथन और बरामदगी ज्ञापन में उपदर्शित है । इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक भी है कि छर्रों के साथ कारतूस को संबंधित किया जाए कि तब वे आयुध से कैसे चले थे और उससे कैसे छोड़े गए । यह संभव है कि न केवल बंदूक से गोली चलाने का समय का घटना के समय से मिलान नहीं किया गया परंतु बंदूक पर अंगूठे के निशान और कारतूस के कैप पर अंगूठे का निशान तथा कारतूस के आधार का मिलान होना चाहिए था जो विवादित कारतूसों पर पाया गया । इसके अतिरिक्त, छर्रे के संबंध में प्रश्नगत अग्न्यायुध के बारे में पता लगाना चाहिए । अग्न्यायुध विशेषज्ञ राजेश कुमार (अभि. सा. 23) वैज्ञानिक अधिकारी का इस विशिष्ट मामले में जो निष्कर्ष निकाला गया, उसे इस मामले में हमारे समक्ष नहीं रखा गया अन्यथा उसकी राय निश्चायक प्रतीत नहीं होती है और उसने बंदूक प्रदर्श पी-15 के साथ

अपराध के कारतूस को संबंधित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई सामग्री/कारण को पेश नहीं किया ।

26. विशेषज्ञ द्वारा माइक्रो फोटोग्राफ भी नहीं लिए गए या उन्हें पेश नहीं किया गया और न उसके द्वारा उसका कच्चा नक्शा तैयार किया गया । इसके अतिरिक्त उसने उस विषय पर पर्याप्त जानकारी रखने और निपुणता को भी प्रकट नहीं किया है । उसने मधुबन (हरियाणा) न्यायालयिक प्रयोगशाला, चंडीगढ़ और सागर (मध्य प्रदेश) में केवल व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया था, उसके पास उस विषय पर कोई डिप्लोमा नहीं था । इस निमित्त **कोदुर थिम्मा रेड्डी और अन्य** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब ले सकते हैं जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अग्न्यायुध विशेषज्ञ द्वारा अग्न्यायुध के बारे में डाटा एकत्रित नहीं कर लिए जाते जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है, उन डाटाओं को नहीं लिया जाता या बृहत फोटो को उसने पेश नहीं किया ताकि विशेषज्ञ की राय न्यायालय द्वारा सत्यापित की जा सकती । न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ की राय को उसकी सत्यता पर समाधान न होने पर स्वीकार नहीं करना चाहिए । इसके अतिरिक्त, **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जयलाल और अन्य**[2] तथा **मध्य प्रदेश राज्य** मार्फत **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य** बनाम **पटलन मल्लाह और अन्य**[3] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब भी लिया जा सकता है जिसका प्रभाव यह है कि विशेषज्ञ को अपनी राय के समर्थन में तुलनात्मक अभिलेख या फोटोग्राफ तैयार करना अपेक्षित है ।

27. इसके अतिरिक्त, **गुजरात राज्य** बनाम **आदम फतेह मोहम्मद उमातिया और अन्य**[4] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

> "(i) अनदगा कारतूस की परीक्षा का कोई फोटोग्राफ नहीं लिया गया था । फोटोग्राफों से शिनाख्त के साक्ष्य का समर्थन नहीं हुआ और राय की अभिव्यक्ति में भी कुछ नहीं पाया गया । साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं होता है कि कारतूस की परीक्षा और खाली कारतूस उसी

---

[1] ए. आई. आर. 1997 आंध्र प्रदेश 758.

[2] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3318.

[3] (2005) 3 एस. सी. सी. 169.

[4] (1971) 3 एस. सी. सी. 208.

आयुध से चलाई गई थी या अनदगा कारतूस उसी आयुध से चलाया गया था ।

(ii) कारतूसों की परीक्षा करने पर उभार के चिह्न और खाली कारतूसों पर उभार के चिह्न एक से थे परंतु इस बारे में यह साबित नहीं किया जा सकता है कि खाली कारतूस राइफल से दागा गया था । खाली कारतूसों पर उभार का चिह्न आंख की आकार का था । विशेषज्ञ साक्षी ने खाली कारतूसों का मिश्रित फोटोग्राफ नहीं लिया जो कारतूसों की परीक्षा द्वारा अभ्यारोपित किया गया है । फोटोग्राफ जो लिए गए थे वे उसी प्रकाश में नहीं लिए गए थे ।

(iii) यदि कारतूसों के तल पर दांतेदार चिह्न भिन्न-भिन्न थे तब इससे यह दर्शित होता है कि वे उसी आयुध से नहीं दागे गए थे । विशेषज्ञ के साक्ष्य यह अभिनिर्धारित करने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता कि खाली कारतूस प्रश्नगत राइफल से दागे गए थे ।

(iv) इसका तब तक पता नहीं लगाया जाता जब तक कि किसी वस्तु की तलाशी लेने पर इसे न पाया गया हो । जिसे गोपनीय रूप से छुपाया गया था ।

इस प्रकार विशेषज्ञ की राय हमें कहीं भी उचित प्रतीत नहीं होती और साबित परिस्थिति के रूप में इसका अवलंब नहीं लिया जा सकता ।"

परिस्थिति सं. (VII)

28. यह परिस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि विद्या देवी अभि. सा. 3 से संबंधित सेलफोन सं. 9418127141 जो उसके अनुसार लगभग एक वर्ष पूर्व उसके द्वारा अभियुक्त को दिया गया था । तारीख 7 जुलाई, 2005 को लगभग 11.06 बजे इस सेल फोन से हंसराज (अभि. सा. 1) के लैंडलाइन सं. 0177-2784736 पर काल आई थी । इस तथ्य को साबित करने से यह अभिप्रेत नहीं होता है कि अभियुक्त का यह पता लगाने का आशय था कि उसका लक्ष्य सफल हो गया । अभियुक्त के अनुसार भी उसने अपने गांव कांगल से कॉल किया था परंतु अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए स्पष्टतः कुछ भी नहीं है कि कॉल करने के आशय को अपराध के साथ जोड़ने के लिए साबित किया जा सकता हो ।

निष्कर्ष

29. हमारे द्वारा पूर्वोक्त साक्ष्य की आलोचनात्मक परीक्षा की गई । अभिकथित अपराध में प्रयुक्त कारतूस अभियुक्त से बरामद किया जाना साबित नहीं किया जा सका जैसाकि अभिकथित किया गया है संदेह के परे और इसके अतिरिक्त इसे अभियुक्त की बंदूक प्रदर्श पी-15 के साथ भी संबंधित नहीं किया जा सकता । विशेषज्ञ का साक्ष्य असंगत है और किसी विश्वास योग्य नहीं है । अभिकथित घटना लगभग 8/9 बजे अपराह्न घटी थी जब गहरा अंधेरा था । ऐसा कोई अवसर नहीं था कि उस हमलावर का उल्लेख करे जिसने बाहर से गोली चलाई थी । हंसराज और कमला देवी ने अभियोजन वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है कि वह अभियुक्त था जिसने मृतक पर गोली चलाई थी । यदि हंसराज की जानकारी में हमलावर आया था तब वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसके नाम का उल्लेख करने में चूक नहीं करता । अतः, पूर्वोक्त परिस्थितियां जो हमारे समक्ष रखी गई हैं जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अत्यधिक अवलंब लिया गया है, उन्हें विधि के अनुसरण में साबित नहीं किया जा सका या यदि कुछ परिस्थितियों को कुछ सीमा तक साबित किया गया था तो वे निश्चायक प्रकृति की नहीं हैं जिससे कि अभियुक्त की दोषिता की पूरी शृंखला इंगित होती हो । अभियुक्त को किसी अन्य परिकल्पना पर बिना संदेह छोड़ा जाता है, इसलिए, अभिलेख के साक्ष्य से हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के आधार युक्तियुक्त हैं जो अभिलेख से प्रकट हैं । इस प्रकार, हमें इस आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । इस प्रकार, अपील गुणरहित है और इसे तद्नुसार खारिज किया जाता है ।

30. इस मामले की कार्यवाहियों के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा किसी समय पर पेश किए गए जमानत बंधपत्रों से उन्मोचित किया जाता है ।

31. तद्नुसार मामले का निपटारा किया गया ।

अपील खारिज की गई ।

आर्य

———————

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

गरीबू उर्फ राजीव कुमार

तारीख 18 सितंबर, 2013

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 379 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) – धारा 41 और 42 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872] – वन की लकड़ी की चोरी – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, साक्षियों के साक्ष्य तथा अभिलेख के साक्ष्य से यह साबित नहीं होता हो कि वन की लकड़ी की चोरी का अपराध अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया है, वहां अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी स्पष्ट और अकाट्य साक्ष्य के अभाव में उन्हें दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है ।

रेंज अधिकारी की उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । पुलिस घटनास्थल गई और घटना के स्थान का नक्शा तैयार किया । खैर के पेड़ों की जड़ें 1 क्विंटल थीं । खैर के लट्ठे और जड़ों की सूची को प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति सहित कब्जे में लिया गया था । अन्वेषण के दौरान 'शिवालिक ट्रक यूनियन, अंब' से संबंधित एक प्राप्ति रसीद बुक जिसका क्रमांक सं. 201 से 300 थी जिसमें प्राप्ति रसीदें क्रम सं. 224 तक पहले ही जारी की जा चुकी थीं जिसके द्वारा ट्रक बालू लादने के लिए था, कब्जे में लिया गया । प्राप्ति रसीद सं. 213 तारीख 22 दिसंबर, 1997 जिसमें प्रश्नगत ट्रक को दिखाया गया है और इसमें अभियुक्त-प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार का नाम था, उसे गिरफ्तार किया गया । प्रत्यर्थी द्वारा साक्षी विजय कुमार और बिधीचन्द के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया गया था जिसके अनुसरण में वह पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया था जहां खैर के लट्ठे अभिगृहीत किए गए थे और पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष उक्त स्थान को उसके द्वारा बताया गया था उसके पश्चात् वह पुलिस दल उस स्थान पर ले गया जहां से खैर के पेड़ काटे गए थे । उस स्थान को चिह्नांकित किया गया और यह पाया गया कि पेड़ खसरा सं. 721 से काटे गए थे जो भूमि अभियुक्त कृष्ण

कुमार के स्वामित्व में थी । पुलिस ने दंड संहिता की धारा 379 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार, कृष्ण देव, जंडु **उर्फ** कुलदीप कुमार और कृष्ण कुमार को अपराध में अंतर्वलित पाया । तद्नुसार, उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया और उन्हें आरोपपत्रित किया गया था । विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त-प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार को दोषसिद्ध किया गया था और केवल भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया जबकि अन्य प्रत्यर्थियों को जिसमें इसके पश्चात् अभियुक्त कहा गया है दोषमुक्त कर दिया गया था । राज्य ने विद्वान् विचारण न्यायालय के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार ट्रक सं. एचआईई-475 का ड्राइवर था परंतु कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान न कर सका जब वह उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था । जब वन अधिकारियों द्वारा वन उत्पाद से भरे हुए ट्रक में मध्यक्षेप किया था । इन साक्षियों के कथनों से यह भी प्रकट है कि प्राप्ति रसीद बालू के भरने के लिए जारी किया जाता था । इसे तारीख 22 दिसंबर, 1997 को 4.00 बजे पूर्वाह्न लाया गया था जबकि प्रश्नगत ट्रक 9.00 बजे अपराह्न नाका पर रोका गया था । किसी भी व्यक्ति द्वारा बचकर भागे जाने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकी । अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि मध्यक्षेप करने के समय पर वह अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार था जो ट्रक चला रहा था या उक्त ट्रक में परिवहन किए जाने के लिए खैर के पेड़ के लट्ठे को ढो रहा था । अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को अभिकथित अपराधों से संबंधित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य भी नहीं है । प्रकटीकरण कथन जिसे लिया जाना अभिकथित है इस कारण से कोई परिणाम नहीं निकलता है कि स्थान जो अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार द्वारा बताया जाना अभिकथित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित उसके कथनों के अनुसार है जिन स्थानों के बारे में पुलिस को पहले ही ज्ञात था । इसके अतिरिक्त वह स्थान जहां से अभिकथित खैर के पेड़ काटे गए थे अन्य सह-हिस्सेदारों के साथ अभियुक्त-व्यक्तियों में से एक के स्वामित्व में था जिन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया था । इस प्रकार, संक्षेप में, पूर्वोक्त कारणों से अभियुक्त-व्यक्ति कृष्ण देव, जंडु और कुलदीप कुमार और कृष्ण

कुमार के विरुद्ध पूर्णतया कोई साक्ष्य नहीं है । इन अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है । (पैरा 9, 10, 11 और 12)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2006 की दांडिक अपील सं 118 और 191.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री एच. के. एस. ठाकुर, अपर महाधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री अजय शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 की ओर से श्री इंदर दत्त, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह – ये दोनों अपीलें दांडिक मामला सं. 6-II/99 में विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2005 में पारित किए गए निर्णय से उद्‌भूत हुए हैं ।

2. पक्षकारों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया ।

3. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 23 दिसम्बर, 1997 को रेंज वन अधिकारी, देहरा द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी कि तारीख 22 दिसंबर, 1997 को लगभग 9.00 बजे अपराह्न ट्रक सं. एचआईई-475 प्रागपुर से वन बैरियर के पास पहुंचा था । इसे टार्च के प्रकाश से रोकने का संकेत दिया गया था । ड्राइवर ने ट्रक को रोका । इसमें सवार लोगों के साथ वह अंधेरे में भाग गया । पूर्वोक्त ट्रक खैर के लट्‌ठे और उसकी जड़ों से भरा हुआ था । इसे कब्जे में लिया गया था तथा प्रभागीय वन अधिकारी को इस बात की सूचना दी गई ।

(ii) रेंज अधिकारी की उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । पुलिस घटनास्थल गई और घटना के स्थान का नक्शा तैयार किया । खैर के पेड़ों की जड़ें 1 क्विंटल थीं । खैर के लट्‌ठे और जड़ों की सूची को प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति सहित कब्जे में लिया गया था ।

(iii) अन्वेषण के दौरान 'शिवालिक ट्रक यूनियन, अंब' से संबंधित एक प्राप्ति रसीद बुक जिसका क्रमांक सं. 201 से 300 थी जिसमें प्राप्ति रसीदें क्रम सं. 224 तक पहले ही जारी की जा चुकी थीं जिसके द्वारा ट्रक

बालू लादने के लिए था, कब्जे में लिया गया ।

(iv) प्राप्ति रसीद सं. 213 तारीख 22 दिसंबर, 1997 जिसमें प्रश्नगत ट्रक को दिखाया गया है और इसमें अभियुक्त-प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार का नाम था, उसे गिरफ्तार किया गया ।

(v) प्रत्यर्थी द्वारा साक्षी विजय कुमार और बिधीचन्द के समक्ष प्रकटीकरण कथन किया गया था जिसके अनुसरण में वह पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया था जहां खैर के लट्ठे अभिगृहीत किए गए थे और पूर्वोक्त साक्षियों के समक्ष उक्त स्थान को उसके द्वारा बताया गया था ।

(vi) उसके पश्चात् वह पुलिस दल उस स्थान पर ले गया जहां से खैर के पेड़ काटे गए थे । उस स्थान को चिह्नांकित किया गया और यह पाया गया कि पेड़ खसरा सं. 721 से काटे गए थे जो भूमि अभियुक्त कृष्ण कुमार के स्वामित्व में थी ।

(vii) पुलिस ने दंड संहिता की धारा 379 तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार, कृष्ण देव, जंडु **उर्फ** कुलदीप कुमार और कृष्ण कुमार को अपराध में अंतर्वलित पाया । तद्नुसार, उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया और उन्हें आरोपपत्रित किया गया था ।

4. विचारण की समाप्ति पर अभियुक्त-प्रत्यर्थी गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार को दोषसिद्ध किया गया था और केवल भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया जबकि अन्य प्रत्यर्थियों को जिसमें इसके पश्चात् अभियुक्त कहा गया है दोषमुक्त कर दिया गया था ।

5. अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार को दंडादिष्ट करते हुए उस पर भारतीय वन अधिनियम की धारा 42 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए केवल 2,000/- रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया था और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर 2 मास की अवधि का साधारण कारावास भोगने का दंड दिया गया ।

6. राज्य ने अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के अधीन दांडिक अपील सं. 191/2006 में दंड को

बढ़ाने की ईप्सा की तथा दांडिक अपील सं. 118/2006 में चोरी के अपराध के लिए (दंड संहिता की धारा 379) गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार सहित अन्य अभियुक्त-व्यक्ति कृष्ण देव, जंडु **उर्फ** कुलदीप कुमार और कृष्ण कुमार की दोषमुक्ति को चुनौती दी है ।

7. राज पाल सिंह (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि तारीख 22 दिसंबर, 1997 को ट्रक यूनियन द्वारा शाम को ट्रक सं. एचआईई-475 के संबंध में प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क जारी की थी, जिसका ड्राइवर अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार था । उसने यह भी कथन किया है कि इस प्राप्ति रसीद को पुलिस द्वारा साक्षियों की मौजूदगी में अन्वेषण के दौरान अपने कब्जे में लिया था । राममूर्ति (अभि. सा. 9) बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ग का साक्षी है ।

8. विरेन्द्र (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार का ड्राइविंग लाईसेंस ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क को अपने कब्जे में लिया गया था ।

9. पूर्वोक्त साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार ट्रक सं. एचआईई-475 का ड्राइवर था परंतु कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान न कर सका जब वह उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था । जब वन अधिकारियों द्वारा वन उत्पाद से भरे हुए ट्रक में मध्यक्षेप किया था । इन साक्षियों के कथनों से यह भी प्रकट है कि प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क बालू के भरने के लिए जारी किया जाता था । इसे तारीख 22 दिसंबर, 1997 को 4.00 बजे पूर्वाह्न लाया गया था जबकि प्रश्नगत ट्रक 9.00 बजे अपराह्न नाका पर रोका गया था । किसी भी व्यक्ति द्वारा बचकर भागे जाने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकी ।

10. अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि मध्यक्षेप करने के समय पर वह अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार था जो ट्रक चला रहा था या उक्त ट्रक में परिवहन किए जाने के लिए खैर के पेड़ के लट्ठे को ढो रहा था । अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को अभिकथित अपराधों से संबंधित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य भी नहीं है ।

11. प्रकटीकरण कथन जिसे लिया जाना अभिकथित है इस कारण से कोई परिणाम नहीं निकलता है कि स्थान जो अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार द्वारा बताया जाना अभिकथित है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम

की धारा 27 के अधीन अभिलिखित उसके कथनों के अनुसार है जिन स्थानों के बारे में पुलिस को पहले ही ज्ञात था । इसके अतिरिक्त वह स्थान जहां से अभिकथित खैर के पेड़ काटे गए थे अन्य सह-हिस्सेदारों के साथ अभियुक्त-व्यक्तियों में से एक के स्वामित्व में था जिन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया था ।

12. इस प्रकार, संक्षेप में, पूर्वोक्त कारणों से अभियुक्त-व्यक्ति कृष्ण देव, जंडु और कुलदीप कुमार और कृष्ण कुमार के विरुद्ध पूर्णतया कोई साक्ष्य नहीं है । इन अभियुक्त-व्यक्तियों की दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए, इसे खारिज किया जाता है ।

13. जहां तक अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार की दोषमुक्ति का संबंध है उसके विरुद्ध उसकी दोषसिद्धि के लिए कोई भी विधिक साक्ष्य नहीं है जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया था ।

14. दंड बढ़ाने की ईप्सा करने की दशा में अभियुक्त के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377(3) में निरूपित अपनी दोषमुक्ति का अभिवाक् करने के अधिकार हैं । साक्ष्य को विश्लेषण करने पर मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूर्वोक्त साक्ष्य के बल पर अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार को भारतीय वन अधिनियम की धारा 41 और 42 के अधीन भी दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । तद्नुसार, उक्त अपराधों के अधीन उसकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, कोई जुर्माने की रकम यदि पहले ही उसके द्वारा जमा की गई है तो वापस किया जाता है ।

15. तद्नुसार, दंड बढ़ाने और दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं । परिणामस्वरूप, अभियुक्त गरीबू **उर्फ** राजीव कुमार को पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर दोषमुक्त भी किया जाता है यदि कोई जुर्माने की रकम उसके द्वारा जमा की गई है तो उसे वापस किया जाता ।

16. अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

आर्य

गतांक से आगे.....

स्पष्टीकरण 1 – इस उपधारा और उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए "सेवानिवृत्ति की तारीख" से, सेवानिवृत्ति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधीन उसी या किसी अन्य वर्ग 1 पद पर या किसी राज्य सरकार के अधीन वैसे ही किसी अन्य पद पर सेवा-विच्छेद के बिना पुनर्नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारी के संबंध में, वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसको केन्द्रीय सरकार का ऐसा अधिकारी सरकारी सेवा में अन्ततः पुनर्नियोजित नहीं रहता ।

स्पष्टीकरण 2 – केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के बारे में, जिसे उसकी सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी के दौरान किसी विशिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि उसने सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे नियोजन में अपने बने रहने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की ली है ।

(3) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा ऐसे अधिकारी को, उस आवेदन में विनिर्दिष्ट वाणिज्यिक नियोजन को ग्रहण करने के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे, अनुज्ञा दे सकती है, या ऐसे कारणों से, जो आदेश में अभिलिखित किए जाएंगे, अनुज्ञा देने से इनकार कर सकती है ।

(4) केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञा देने में या देने से इनकार करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–

(क) जिस नियोजन को ग्रहण करने का विचार है उसकी प्रकृति और नियोजक के पूर्ववृत्त ;

(ख) क्या उस नियोजन में जिसे ग्रहण करने का उसका विचार है, उसके कर्तव्य ऐसे हो सकते हैं जिनसे उसे सरकार का विरोध करना पड़े ;

(ग) क्या ऐसे अधिकारी ने सेवा के दौरान उस नियोजक के

साथ, जिसके अधीन उसका नियोजन प्राप्त करने का विचार है, ऐसे कोई संव्यवहार किए थे जो इस संदेह के लिए युक्तियुक्त आधार हो सकते हैं कि ऐसे अधिकारी ने उस नियोजक के साथ पक्षपात किया था ;

(घ) कोई अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं ।

(5) यदि उपधारा (3) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार नहीं करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है, या आवेदक को ऐसे इनकार की संसूचना नहीं देती है, तो यह समझा जाएगा कि केन्द्रीय सरकार ने ऐसी अनुज्ञा दे दी है जिसके लिए आवेदन किया गया है ।

(6) यदि केन्दीय सरकार ऐसी अनुज्ञा किन्हीं शर्तों के अधीन देती है या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार करती है जिसके लिए आवेदन किया गया है तो आवेदक, उस आशय के केन्द्रीय सरकार के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, किसी ऐसी शर्त या इनकार के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है, और केन्द्रीय सरकार उस पर ऐसे आदेश कर सकती है जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश जो ऐसी शर्त को रद्द करने या किन्हीं शर्तों के बिना ऐसी अनुज्ञा देने वाले आदेश से भिन्न है, अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी समय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करता है या कोई ऐसी शर्त भंग करता है जिस पर कोई वाणिज्यिक नियोजन ग्रहण करने के लिए उसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा दी गई है तो केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जो उसमें अभिलिखित किए जाएंगे, यह घोषणा करने के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे सरकारी अंशदानों के, जो उस अधिकारी के संबंध में किए गए हों, इतने भाग का हकदार नहीं होगा जितना उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि वह उसे प्राप्त कर चुका है तो यह निदेश देने के लिए सक्षम होगी कि वह सरकारी अंशदानों के उक्त भाग के बराबर रकम केन्द्रीय सरकार को वापस करे :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश, सम्बन्धित अधिकारी को ऐसी घोषणा या

निदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर दिए बिना, नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–

(i) संबंधित अधिकारी की वित्तीय परिस्थिति ;

(ii) संबंधित अधिकारी द्वारा ग्रहण किए गए वाणिज्यिक नियोजन की प्रकृति और उससे उपलब्धियां ;

(iii) ऐसी अन्य सुसंगत बातें जो विहित की जाएं ।

(8) यदि कोई ऐसी रकम, जो उपधारा (7) के अधीन किसी आदेश द्वारा वापस की जानी अपेक्षित है, विहित अवधि के भीतर वापस नहीं की जाती हैं तो वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(9) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश संबंधित अधिकारी को संसूचित किया जाएगा ।

(10) इस धारा के उपबंध, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में या किसी अंशदायी भविष्य निधि को लागू नियमों में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

(11) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

7. **सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

8. **अधिनियम को अन्य भविष्य निधियों को लागू करने की शक्ति** – [1][(1)] [2][समुचित सरकार,] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि [3][(धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबन्ध,] स्थानीय प्राधिकारी उधार अधिनियम, 1914 (1914 का 9) के अर्थ में किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे, और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तद्नुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, सरकार हो ।

[4][(2)] [5][समुचित सरकार,] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि [3][(धारा 6क को छोड़कर) इस अधिनियम के सब उपबंध,] अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी के अथवा ऐसी संस्थाओं के किसी समूह के कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित किसी भविष्य निधि को लागू होंगे और ऐसी घोषणा कर दिए जाने पर, यह अधिनियम तद्नुकूल ऐसे लागू होगा मानो ऐसी भविष्य निधि, सरकारी भविष्य निधि हो और वह प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा में निधि है, सरकार हो :

परन्तु धारा 6 इस प्रकार लागू होगी मानो उस धारा में निर्दिष्ट अंशदान करने वाला प्राधिकारी, सरकार हो ।

(3) [5][समुचित सरकार,] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था का नाम जोड़ सकेगी जिसे वह ठीक समझे और इस प्रकार जोड़ा जाना ऐसे प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम द्वारा किया गया हो ।]

[6][(4) इस धारा में "समुचित सरकार" से अभिप्रेत है –

(क) किसी छावनी प्राधिकरण, किसी महापत्तन के लिए पत्तन

---

[1] 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा धारा 8 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1975 के अधिनियम सं. 46 की धारा 3 द्वारा (7-2-1977 से) अंत:स्थापित ।

[4] 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

प्राधिकरण और किसी ऐसी संस्था के संबंध में, जो या जिसके उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को [1][संविधान] की सप्तम अनुसूची की सूची 1 के अंतर्गत प्रतीत हों, केन्द्रीय सरकार ; और

(ख) अन्य मामलों में राज्य सरकार ।

स्पष्टीकरण – सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी संस्था के संबंध में "राज्य सरकार" से उस राज्य की राज्य सरकार अभिप्रेत है जिसमें वह सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है ।]

9. **सैनिकों की सम्पदाओं के बारे में व्यावृत्तियां** – धारा 4 या धारा 5 की कोई बात किसी ऐसी संपदा के धन को लागू नहीं होगी जिसके प्रबंध के प्रयोजनों के संबंध में रेजीमैंटल डैट ऐक्ट, 1893 (56 और 57 विक्ट. सी. 5) लागू होता है ।

10. [**निरसन** ।] – निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

[2][अनुसूची

[धारा 8 की उपधारा (2) देखिए]

संस्थाओं की सूची

1. पास्चर इंस्टीच्यूट आफ इंडिया, कसौली ।
2. कलकत्ता सुधार अधिकरण ।
3. प्रतिपाल्य अधिकरण ।
4. भारतीय केन्द्रीय कपास समिति ।
5. रांची में मानसिक रोगों के लिए यूरोपियन अस्पताल के न्यासी ।
6. भारतीय महिलाओं को महिला चिकित्सा सहायता उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय संस्था ।

---

[1] विधि अनुकूल आदेश, 1950 द्वारा "भारत शासन अधिनियम, 1935" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1930 के अधिनियम सं. 1 की धारा 4 द्वारा मद 1 से 7 से युक्त अनुसूची जोड़ी गई । 1927 के अधिनियम सं. 12 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा मूल अनुसूची का लोप किया गया ।

7. कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई महाविद्यालय ।

[1]8. भारतीय कोयला श्रेणीकरण बोर्ड ।

9. लेडी मिन्टो इंडियन नर्सिंग एसोसिएशन ।

10. भारतीय रैडक्रास सोसाइटी ।

11. भारतीय लाख उपकर समिति ।

12. भारतीय रैडक्रास सोसाइटी की मद्रास राज्य शाखा ।

13. इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया ।

14. बिहार और उड़ीसा चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ।

[2]* * * * *

16. चाय जिला उत्प्रवासी श्रम अधिनियम, 1932 (1932 का 22) के अधीन उत्प्रवासी श्रमिकों के नियंत्रण के लिए बनाई गई संस्था ।

17. मुम्बई फिल्म सैंसर बोर्ड ।

18. कलकत्ता विश्वविद्यालय ।

19. केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड ।

20. भारतीय रिजर्व बैंक ।

[3]* * * * *

22. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ।

23. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ।

24. भारतीय काफी उपकर समिति ।

25. आंग्ल-भारतीय तथा यूरोपियन शिक्षा के लिए अंतर्राज्यिक बोर्ड ।

26. भारतीय अनुसंधान निधि संस्था ।

27. दिल्ली संयुक्त जल और मल बोर्ड ।

---

[1] अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन अधिसूचनाओं द्वारा समय-समय पर 7 के पश्चात् मदें जोड़ी गईं ।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रविष्टि "15. पंजाब विश्वविद्यालय ।" का लोप किया गया ।

[3] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रविष्टि "21. दि ट्रस्टीज आफ दि विक्टोरिया मैमोरियल पार्क रंगून" का लोप किया गया ।

28. भारतीय क्षय रोग संस्था ।

29. कोयला खान भरण बोर्ड ।

30. भारतीय रेल स्लीपर पूल ग्रुप समिति ।

31. भारतीय काफी मंडी वृद्धि बोर्ड ।

32. कोयला खान बचाव स्टेशन समिति ।

33. भारतीय काफी बोर्ड ।

[1]* * * * * *

35. भारतीय रबड़ बोर्ड ।

36. भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ।

37. अखिल भारतीय पशु प्रदर्शन समिति ।

38. कोयला खान श्रम कल्याण निधि ।

39. भारतीय नारियल समिति ।

40. भारतीय केन्द्रीय तंबाकू समिति ।

41. कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

42. भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति ।

43. कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, 1952 (1952 का 12) के अधीन स्थापित कोयला बोर्ड ।

44. दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी, नई दिल्ली ।

45. केन्द्रीय चाय बोर्ड ।

46. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ।

47. औषधियों की देशी पद्धतियों के बारे में केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, जामनगर ।

48. भारतीय मानक संस्थान, दिल्ली ।

49. सूती कपड़ा निधि समिति ।

50. देशबंधु कालेज, कालकाजी ।

---

[1] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा प्रविष्टि "34 दी एन. डब्ल्यू. एफ. प्रोविन्शियल ब्रांच आफ दी इण्डियन रेड क्रास सोसाइटी" का लोप किया गया ।

51. दामोदर घाटी निगम ।

52. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

53. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ।

54. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।

55. लारेंस स्कूल (सनावर) सोसाइटी ।

56. कलावती सरन शिशु अस्पताल, नई दिल्ली ।

57. श्री गुरु तेगबहादुर खालसा कालेज, दिल्ली ।

58. चाय बोर्ड, नई दिल्ली ।

59. लेडी श्रीराम महिला कालेज, नई दिल्ली ।

60. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।

61. केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड ।

62. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ।

63. योजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली ।

64. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन स्थापित भविष्य निधि के प्रशासन के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ।

65. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ।

66. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन (निगमित) स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ।

67. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी, मुम्बई ।

68. भारतीय नर्सिंग काउंसिल ।

69. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन (निगमित) स्थापित गुजरात राज्य वित्तीय निगम ।

70. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी, मद्रास ।

71. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन निगमित राजस्थान वित्तीय निगम ।

72. एयर इंडिया इन्टरनेशनल कार्पोरेशन ।

73. साहित्य अकादमी, नई दिल्ली ।

74. पन्ना लाल गिरधारी लाल डी.ए.वी. कालेज, नई दिल्ली ।

75. दिल्ली सामाजिक कार्य स्कूल, दिल्ली ।

76. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ।

77. कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948 के अधीन स्थापित भविष्य निधि के प्रबंध के लिए न्यासी बोर्ड ।

78. जानकी देवी महाविद्यालय, नई दिल्ली ।

79. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली ।

80. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ।

81. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ।

82. आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र, जामनगर ।

83. भारतीय विनिधान केन्द्र, नई दिल्ली ।

84. इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन ।

85. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी, कानपुर ।

86. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन स्थापित विशाखापत्तनम डॉक श्रमिक बोर्ड ।

87. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ।

88. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन निगमित उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम ।

89. संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली ।

90. आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली ।

91. दिल्ली वक्फ बोर्ड ।

92. अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

93. भारतीय विधि संस्थान ।

94. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी, दिल्ली ।

95. दयाल सिंह कालेज, नई दिल्ली ।

96. प्रमिला कालेज, दिल्ली ।

97. सनातन धर्म कालेज, नई दिल्ली ।

98. भारतीय फार्मेसी परिषद् ।

99. सैनिक स्कूल सोसाइटी ।

100. भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता ।

101. सालार जंग संग्रहालय बोर्ड हैदराबाद ।

102. ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ।

103. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के अधीन निगमित मध्य प्रदेश वित्तीय निगम ।

104. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन स्थापित कोचीन डॉक श्रम बोर्ड ।

105. केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् ।

106. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) द्वारा गठित भारतीय स्टेट बैंक ।

107. अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, बंगलौर ।

108. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली ।

109. दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड, दिल्ली ।

110. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली ।

111. अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर ।

112. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता ।

113. भारतीय प्रैस परिषद् ।

114. राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ।

115. भारतीय जनसंचार संस्थान ।

116. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई ।

117. कोचीन पत्तन न्यास ।

118. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ।

119. कांदला पत्तन न्यास ।

120. मोरमुगाव पत्तन न्यास ।

121. पारादीप पत्तन न्यास ।

122. नेहरू स्मारक म्यूजियम और लाइब्रेरी, नई दिल्ली ।

123. नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली ।

124. भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् ।

125. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई ।

126. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली ।

127. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कलकत्ता ।

128. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मद्रास ।

129. निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन ।

130. ढलाई एवं गढ़ाई तकनीक का राष्ट्रीय संस्थान, रांची ।

131. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट ।

132. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।

133. नेशनल इंस्टीच्यूट आफ बैंकिंग मैनेजमेंट, मुम्बई ।

134. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान, चंडीगढ़ ।

135. इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) के अधीन स्थापित इलायची बोर्ड ।

136. विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता ।

137. केन्द्रीय जन सहयोग अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।

138. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन मोरमुगाव डॉक श्रम बोर्ड ।

139. सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली ।

140. लौह अयस्क बोर्ड ।

141. भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।

142. भारतीय खनिज विद्यापीठ, धनबाद ।

143. नाविक भविष्य निधि संगठन ।

144. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ।

145. भारतीय भुचुंबकत्व संस्थान, मुम्बई ।

146. केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।

147. बालभवन सोसाइटी (इंडिया) ।

148. पावर इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसाइटी ।

149. राष्ट्रीय जन विज्ञान संस्थान ।

150. रमण रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर ।

151. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ।

152. राष्ट्रीय श्रम संस्थान ।

[1][153. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली ।]

[2][154. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ।]

[3][155. डिपार्टमैंट आफ इलैक्ट्रानिक्स अक्रेडिटेशन कम्प्यूटर कोर्सिस ।]

[4][156. डिसकाउण्ट एण्ड फाइनेंस हाउस आफ इण्डिया लिमिटेड ।]

[5][157. एजुकेशन एण्ड रिसर्च नेटवर्क (ई.आर.एन.ई.टी.) ।]

---

[1] अधिसूचना सं. का. आ. 3401, तारीख 30-11-1987, भाग 2, धारा 3(ii) द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] अधिसूचना सं. का. आ. 676, तारीख 17-2-1988, भाग 2, धारा 3(ii) द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] अधिसूचना सं. का. आ. 1832, तारीख 4-7-1947, भाग 2, धारा 3(ii) द्वारा जोड़ा गया ।

[4] अधिसूचना सं. का. आ. 1784, तारीख 31-8-1998 द्वारा जोड़ा गया ।

[5] अधिसूचना सं. का. आ. 2410, तारीख 15-7-2002 द्वारा जोड़ा गया ।